झारखण्ड सरकार

जीवनांक हस्तक

(प्रथम संशोधित संस्करण)

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
योजना एवं विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

unicef

झारखण्ड सरकार

जीवनांक हस्तक

-: प्रस्तावना :-

राज्य सरकार भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र में 1 जनवरी 2000 से जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की नयी प्रणाली लागू करने हेतु की गई अनुशंसा के अनुसरण में अविभाजित बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 के आधार पर कार्य कर रही है। अधिनियम एवं नियमावली को कार्यान्वित करने के निमित्त नागरिक रजिस्ट्रीकरण कार्य से जुड़े व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा आम जनता को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से एक संदर्भ पुस्तिका की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ''जीवनांक-हस्तक'' का यह प्रथम संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अधिनियम नियमावली के साथ-साथ समय-समय पर निर्गत अनुदेशों एवं परिपत्रों के साथ विभिन्न प्रकार की पृच्छाएँ एवं उनके समाधान सन्निहित हैं।

इस पुस्तक का मुद्रण यूनिसेफ, झारखण्ड के सौजन्य से संभव हो सका है। जिसके लिए यह निदेशालय यूनिसेफ, झारखण्ड, क्षेत्रीय कार्यालय का आभारी है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री रतन कुमार, निदेशक-सह-अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), श्री विमलेश कुमार पाण्डेय, उप निदेशक-सह-उपमुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (जीवनांक) तथा जीवनांक शाखा के श्री अखिलानन्द तिवारी, स०सां०प० एवं श्री जीतेन्द्र कुमार दूबे, क०सां०स० के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इस पुस्तक को यह स्वरूप प्रदान करने में निदेशालय के जीवनांक/कम्प्यूटर शाखा में पदस्थापित निम्नलिखित कार्मिकों का सहयोग भी सराहनीय रहा है:-

श्री राजदेव प्रसाद सिंह (स०सां०प०), श्री शैलेन्द्र कुमार मित्रा (क०सां०स०), श्री संजय कुमार सिन्हा (क०सां०स०), श्री शशि भूषण चौधरी (क०सां०स०), श्री बीरेन्द्र कुमार (क०सां०स०), श्री विनय कुमार सिन्हा (कम्प्यूटर ऑपरेटर) एवं श्री सुबोध कुमार (कम्प्यूटर ऑपरेटर)।

आशा है कि यह ''हस्तक'' निबंधन कार्य में संलग्न व्यक्तियों एवं आम नागरिकों के लिये अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा तथा संपूर्ण राज्य में निबंधन कार्य को सम्मानजनक स्थिति में लाने में मील का पत्थर साबित होगा।

जे० एस० बुर्जिया
प्रधान सचिव
-सह-
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु)
योजना एवं विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

क्रम सं०	विषय-सूची		पृष्ट सं०
1.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969	–	7–17
2.	बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999	–	18–23
3.	जीवनांक सांख्यिकी के विभिन्न प्रपत्र	–	24–41
4.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के विधिक उपबन्धों के संबंध में भारत के महा-रजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण	–	42–81
5.	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की नियुक्ति की अधिसूचना	–	82
6.	उप-मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) (ग्रामीण+शहरी) की नियुक्ति की अधिसूचना	–	83
7.	शहरी क्षेत्र के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) यथा-कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना	–	84
8.	छावनी पर्षद रामगढ़ के लिए रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की नियुक्ति	–	85
9.	विभिन्न अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की नियुक्ति	–	86–87
10.	चौकीदार द्वारा जन्म मृत्यु की घटनाओं की सूचना देने के संबंध में अधिसूचक के पद पर नियुक्त किए जाने की अधिसूचना	–	88–89
11.	चौकीदार द्वारा जन्म मृत्यु की घटनाओं की सूचना देने के संबंध में आरक्षी विभाग का आदेश	–	90
12.	नगर निगम / नगर पालिका में जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु पुराने नियम में संशोधन	–	91
13.	जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अर्न्तगत किए गए अपराधों के विरूद्ध अभियोजन संस्थित करने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में।	–	92
14.	जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 25 के अधीन संस्थित मुकदमों के संचालन तथा उसके लिए निधि की व्यवस्था के संबंध में।	–	93
15.	20 हजार से कम आबादी की नगर पालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों में जीवनांक कार्य के सम्पादन के संबंध में।	–	94
16.	जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण हेतु विभिन्न स्तरों के सांख्यिकी पदाधिकारियों के लिए माप दण्ड का निर्धारण	–	95–97
17.	जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण हेतु प्रपत्र का निर्धारण	–	98–100
18.	स्कूल में प्रथम प्रवेश के समय जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपास्थापित करने के संबंध में।	–	101

19.	गुमशुदा (लापता) व्यक्ति से संबंधित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में	–	102–103
20.	गोद लेने वाले शिशु (Adopted Child) के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ।	–	104–107
21.	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना	–	108–109
22.	चिकित्सा संस्थानों द्वारा मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु अधिसूचना	–	110–118
23.	राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की सूची	–	119
24.	मृत्यु के कारणों की सूची	–	120–123
25.	जन्म एवं मृत्यु निबंधन हेतु राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति के गठन हेतु अधिसूचना	–	124
26.	अन्तर्विभागीय समन्वय समिति में भारत के महारजिस्ट्रार को समिति के सदस्य के रूप में मनोनित करने हेतु अधिसूचना	–	125
27.	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को नगरी क्षेत्र एवं कंटोनमेंट बोर्ड में विलंबित जीवनांक घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु विहित पदाधिकारी घोषित किया जाना	–	126
28.	वरीय स्वास्थ्य पदाधिकारी, बोकारो स्टील लि० को निबंधक घोषित किया जाना	–	127
29.	रजिस्ट्रार नामकुम मिलिट्री अस्पताल, नामकुम, राँची को निबंधक घोषित किया जाना	–	128
30.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्र अस्पताल, मेरू, हजारीबाग को पदेन निबंधक घोषित किया जाना	–	129
31.	भू सम्पदा पदाधिकारी, भारी अभियंत्रण निगम, हटिया, राँची को जगन्नाथपुर क्षेत्र के लिए पदेन निबंधक नियुक्त किया जाना	–	130
32.	निबंधक का कर्तव्य एवं शक्ति	–	131
33.	कलेक्शन ऑफ वाईटल स्टैटिस्टिक्स	–	132
34.	विलंबित जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में	–	133–134
35.	नगर निगम/नगर पालिका तथा शहरों के आसपास बनने वाली बस्तियों में जीवनांक घटनाओं के निबंधन की व्यवस्था के संबंध में	–	135
36.	विलम्ब से निबंधन, अभिलेखों की तलाशी एवं उद्धरण के लिए प्राप्त फीस को जमा करने के संबंध में	–	136
37.	धारा (13) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म–मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत करने के संबंध में	–	137
38.	शव परीक्षा के लिए पुलिस संरक्षण में ली गई शवों की सूचना के संबंध में	–	138–139
39.	निबंधन प्रणाली से जुड़े कार्यों में प्रगति लाने हेतु मार्गदर्शन	–	140–143
40.	जन्म मृत्यु के निबंधन से संबंधित प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा कार्यों के निरीक्षण/स्थानीय जांच/समीक्षा के संबंध में	–	144–146

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

(31 मई, 1969)

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो – –

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – –

(1) यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी।

2. परिभाषाएं और निर्वचन – –

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''जन्म'' से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अभिप्रेत है;

(ख) ''मृत्यु'' से जीवित – जन्म हो जाने के पश्चात किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है;

(ग) ''भ्रूण – मृत्यु'' से गर्भाधान के उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण से पूर्व जीवन के सब लक्षणों का अभाव हो जाना अभिप्रेत है;

(घ) ''जीवित-जन्म'' से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है, जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात् श्वांस लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शित करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जन्म समझा जाता है;

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 'राज्य सरकार' से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(छ) ''मृत - जन्म'' से ऐसी भ्रूण-मृत्यु अभिप्रेत है जहां गर्भाधान का उत्पाद कम से कम विहित गर्भावधि प्राप्त कर चुका है।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत नहीं है, निर्देश का उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण - स्थापन

3. भारत का महारजिस्ट्रार --

(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझें, महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिये वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करें, महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिये, नियुक्त कर सकेगी।

(3) महारजिस्ट्रार उन राज्य क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिये कदम उठाएगा और उक्त राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

4. मुख्य रजिस्ट्रार --

(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी राज्य के लिये एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझें, मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका निर्वहन करने के लिये वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिये, नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गये नियमों और किये गये आदेशों के निष्पादन के लिये मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा।

(4) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिये समुचित अनुदेश निकाल कर या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण की दक्ष पद्धति सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगा तथा उस राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर, जिन्हें विहित किया जाए, धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण खंड --

(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खण्डों में, जिन्हें वह ठीक समझे, विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खण्डों के लिये विभिन्न नियम विहित कर सकेगी।

6. जिला रजिस्ट्रार --

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिये एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझें और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिये जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करें।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समय-समय पर निकाले गये आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिये उत्तरदायी होगा।

7. रजिस्ट्रार --

(1) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिये या किसी अन्य क्षेत्र के लिये या उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिये एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गयी इत्तिला, फीस या इनाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होनेवाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिये पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिये अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिये भी कदम उठाएगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिये वह नियुक्त किया गया हो।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिये अपने कार्यालय में ऐसे दिनों

और ऐसे समयों पर, जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दें, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिये वह नियुक्त हो, उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखें होंगे।

(5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकेगा।

अध्याय 3
जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

8. **जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये अपेक्षित व्यक्ति** -- (1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूपों में प्रविष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित विभिन्न विशिष्टियों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं, --

(क) खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी घर में, चाहे वह निवासीय हो या अनिवासीय, हुए जन्म और मृत्यु की बाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियां निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्क पुरूष;

(ख) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बाबत, जेल का भारसाधक जेलर;

(घ) किसी चावड़ी, छत, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासा, पांथशाला बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक व्यक्ति;

(ङ) लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गये किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर :

परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामणी या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा

(च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिये,

जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में इत्तिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बजाय वह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो।

9. **बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबन्ध** -- किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक धारा 8 में निर्दिष्ट इत्तिला रजिस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा :

परन्तु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक विशिष्टियां देंगे ।

स्पष्टीकरण -- इस धारा में ''बागान'' पद से चार हैक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो चाय, काफी, काली मिर्च, रबड़, इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, उपजाने के लिये तैयार की जा रही है या जिसमें ऐसी उपज वस्तुतः होती है तथा ''बागान का अधीक्षक'' पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के श्रमिकों या बागान के कार्य का भार या अधीक्षण रखता हो, चाहे वह प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो।

10. **जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य**--

(1) (i) जन्म या मृत्यु के समय उपस्थित दाई या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक का,

(ii) शवों के व्ययन के लिये अलग कर दिये गये किसी स्थान के प्रबंधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की, जिसमें उसने परिचर्या की हो या वह उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सूचना रजिस्ट्रार को इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से दे जिसे विहित किया जाए।

(2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा।

(3) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाए वहां उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा-व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीस लिये बिना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबंद्ध इत्तिला देने के लिये अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देते समय रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा।

11. **इत्तिला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना** -- प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इत्तिला मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गये रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रजिस्टर में अपने नाम, वर्णन और निवास स्थान के सामने अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टियां रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएंगी।

12. **इत्तिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना** -- जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी।

13. **जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण** -

(1) जिस जन्म या मृत्यु की इत्तिला तदर्थ विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब - फीस, जो विहित की जाए, दिये जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इत्तिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस दिये जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के पेश किये जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(3) जो जन्म या मृत्यु, होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गयी हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश पर और विहित फीस दिये जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(4) इस धारा के उपबन्ध ऐसी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे जो किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उसके लिये, विनिर्दिष्ट समय के भीतर कराने में किसी व्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरूद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मृत्यु को ऐसी किसी कार्रवाई के लम्बित रहने के दौरान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

14. **बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण** - जहां किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माता या पिता या संरक्षक बालक के नाम के संबंध में इत्तिला, या तो मौखिक या लिखित रूप में, रजिस्ट्रार को विहित कालावधि के भीतर देगा और तब रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्रविष्टि को आद्यक्षरित करेगा और उस पर तारीख डालेगा।

15. **जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना** - यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गये रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्ररूपतः या सारतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गयी है तो वह ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों की बाबत जिन पर और ऐसी

परिस्थितियों की बाबत जिनमें ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्द किया जा सकेगा, बनाए जाएं, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किये बिना पार्श्व में यथोचित प्रविष्टि करके उस प्रविष्टि की गलती को ठीक कर सकेगा या उस प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा तथा पार्श्व-प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसमें ठीक या रद्द करने की तारीख जोड़ देगा।

अध्याय 4
अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

16. विहित प्ररूप में रजिस्टरों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना --

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता हो, विहित प्ररूप में जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूपों और अनुदेशों के अनुसार, जो समय-समय पर विहित किये जाएं, जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियां करने के लिये पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवाएगा और प्रदाय कराएगा; तथा ऐसे प्ररूपों की स्थानीय भाषा में एक प्रति प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाह्य द्वार पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जाएगी।

17. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी - (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत फीस और डाक-महसूल के संदाय से संबद्ध नियम भी है, कोई व्यक्ति --

(क) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगा : तथा

(ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सकेगा; परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु संबंधी कोई उद्धरण, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा।

(2) इस धारा के अधीन दिये गये सभी उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्धरण देने के लिये राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, प्रमाणित किये जाएंगे और उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध हो, साबित करने के प्रायोजन के लिये साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।

18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण - रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गये रजिस्टरों की परीक्षा ऐसी रीति से, और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे जिला रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा।

19. कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिये भेजा जाना -

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जाएं, उस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये रजिस्टर की जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों के बारे में एक विवरणी भेजेगा।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारों द्वारा विवरणियों में दी गयी इत्तिला का संकलन कराएगा और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु की सांख्यिकीय रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जाएं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करेगा।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

20. भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध –

(1) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, महारजिस्ट्रार भारत के नागरिकों के भारत से बाहर जन्म और मृत्यु विषयक ऐसी इत्तिला रजिस्ट्रीकृत कराएगा जो उसे नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन बनाए गये और भारतीय कौंसल कार्यालयों में ऐसे नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी नियमों के अधीन प्राप्त हो और प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकरण भी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप में किया गया समझा जाएगा।

(2) भारत से बाहर जन्मे ऐसे बालक की दशा में, जिसकी बाबत उपधारा (1) में यथा उपबंधित इत्तिला प्राप्त न हुई हो, यदि बालक के माता–पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आएं तो वे बालक के भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय, बालक का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे मानो बालक का जन्म भारत में हुआ था और धारा 13 के उपबंध ऐसे बालक के जन्म को पूर्वोक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् लागू होंगे।

21. जन्म या मृत्यु के संबंध में इत्तिला अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति – रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मौखिक या लिखित रूप से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इत्तिला जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगा।

22. निदेश देने की शक्ति – केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उस राज्य में निष्पादन करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

23. शास्तियां ––

(1) कोई व्यक्ति जो ––

(क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है; अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई चिकित्सा-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाणपत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिये इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वह जुर्माने से जो दस रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जाएगा।

24. अपराधों के प्रशमन की शक्ति -

(1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर पचास रूपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगा।

(2) ऐसी धनराशि दे देने पर वह व्यक्ति उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25. अभियोजन के लिये मंजूरी - इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

26. रजिस्ट्रारों और उप-रजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना - सभी रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, जब वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के उपबंधों के अनुसरण में कार्य

कर रहे हों या कार्य करते तात्पयित हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

27. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** - राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (जो धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति से भिन्न हो) ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी।

28. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिये परित्राण** --

(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के, महारजिस्ट्रार के, किसी रजिस्ट्रार के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन कर रहा हो, विरूद्ध न होगी।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात से हुए या होने से संभाव्य किसी नुकसान के लिये सरकार के विरूद्ध नहीं होगी।

29. **इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्यांक 6 के अल्पीकरण में न होना** -- इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के उपबंधों के अल्पीकरण में है।

30. **नियम बनाने की शक्ति** --

(1) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिये उपबंध कर सकेंगे --

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों के प्ररूप;

(ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रार को धारा 8 के अधीन इत्तिला दी जानी चाहिए;

(ग) वह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जन्म और मृत्यु की सूचना दी जाएगी;

(घ) वह व्यक्ति जिससे और वह प्ररूप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा;

(ङ) वे विशिष्टियां जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा;

(छ) धारा 13 के अधीन किये गये रजिस्ट्रीकरण के लिये संदेय फीसें;

(ज) धारा 4 के उपधारा (4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना;

(झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों की तलाशी और ऐसी तलाशी के लिये तथा रजिस्टरों में से उद्धरण दिये जाने के लिये फीसें;

(ञ) वे प्ररूप जिनमें और वे अन्तराल जिन पर विवरणियां और सांख्यिकीय रिपोर्ट धारा 19 के अधीन दी और प्रकाशित की जाएगी;

(ट) रजिस्ट्रारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना और अन्तरण;

(ठ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में गलतियों को ठीक करना और उनकी प्रविष्टियों को रद्द करना;

(ड) कोई अन्य विशेष जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।,

31. निरसन और व्यावृति --

(1) धारा 29 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उतना अंश, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत, निकाला गया कोई अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन ऐसे की गयी समझी जाएगी मानों वे उस समय प्रवृत्त थे जब वह बात या कार्रवाई की गयी थी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए।

32. कठिनाई दूर करने की शक्ति - यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी क्षेत्र में लागू करने में उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

अधिसूचना
3 मार्च, 2000
बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999

सं0 492- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (18,1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बिहार की राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है यथा:-

1. संक्षिप्त नाम- (1) यह नियमावली बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 1-जनवरी, 2000 से प्रवृत्त होगी।

(4) यह नियमावली बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1970 और उसमें समय-समय पर बाद में किये गये संशोधन को प्रतिस्थापित करेगी।

2. परिभाषाएं- इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969,

(ख) ''फारम'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संलग्न फारम, और

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

3. गर्भाविधि- धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के प्रयोजनार्थ गर्भाविधि 28 (अट्ठाइस) सप्ताह की होगी।

4. धारा 4 (4) के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना - धारा 4 की उप-धारा (4) के अधीन हरेक वर्ष के लिए प्रतिवेदन इस नियवाली के साथ संलग्न विहित फारम में तैयार किया जाएगा और वह धारा 19 के उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकी प्रतिवेदन के साथ उस वर्ष, जिससे यह प्रतिवेदन संबंधित हो, के पश्चात्वर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिये फारम आदि :-

(1) रजिस्ट्रार को जन्म, मृत्यु और मृत-जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिये यथास्थिति, धारा-8 या धारा- 9 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना क्रमशः फारम - 1, 2 और 3, जिन्हें इससे आगे सामूहिक रूप में प्रतिवेदन फारम कहा जायेगा, में दी जायेगी। यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त प्रतिवेदन फारमों में उसकी प्रविष्टि की जायेगी और सूचना देने वाले का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन फारम की विधिक् सूचना वाला भाग ''विधिक् भाग'' कहलायेगा और सांख्यिकीय सूचना वाला भाग ''सांख्यिकी भाग'' कहलायेगा।

(3) उपनियम- (1) में विनिर्दिष्ट सूचना जन्म, मृत्यु की तारीख से 21 (इक्कीस) दिन के भीतर दी जायेगी।

(6) यान में जन्म-मृत्यु :

(1) यदि किसी गतिमान यान में कोई जन्म या मृत्यु होती हो तो यान का प्रभारी व्यक्ति धारा-8 की उपधारा-1 के अधीन प्रथम विराम-स्थान पर उसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ ''यान'' शब्द से अभिप्रेत है भूमि, वायु या जल पर प्रयुक्त होनेवाली किसी भी प्रकार की सवारी और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान, नाव, पोत, रेलवाहन, मोटरकार, मोटर साईकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा भी सम्मिलित है।

(2) ऐसी मृत्यु की दशा में जो धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड (क) से (ङ) के अन्तर्गत नहीं आती हो और जिसमें मृत्यु की जांच - पड़ताल की गयी हो तो जिस पदाधिकारी ने जांच-पड़ताल की हो वह धारा-8 की उपधारा-1 के अधीन इसकी सूचना देगा या दिलवायेगा।

(7) धारा-10 (3) के अधीन प्रमाण पत्र का फारम :-

मृत्यु के कारण के संबंध में धारा-10 की उपधारा-(3) के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र फारम 4 या 4 (क) में जारी किया जायेगा और रजिस्ट्रार मृत्यु के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात उस माह के ऐसे सभी प्रमाण-पत्र, जिससे प्रमाण-पत्र सम्बन्धित हो, के ठीक अगले माह की 10 तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(8) धारा-12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना :-

(1) सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से संबंधित रजिस्टर से धारा-12 के अधीन दिये जानेवाले प्रविष्टियों के उद्धरण, यथास्थिति, फारम संख्या-5 या फारम संख्या-6 में होंगे।

(2) धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड ''क'' में निर्दिष्ट घर में होनेवाले जन्म और मृत्यु की घटनाएं जिनकी जानकारी रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को सीधे भेजी जाती है, की दशा में यथास्थिति घर अथवा परिवार का मुखिया जैसा भी मामला हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर

में उपस्थित घर के मुखिया का कोई निकटतम रिश्तेदार जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण, उसकी सूचना दिये जाने के 30 (तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार से प्राप्त कर सकेगा।

(3) धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड-''क'' में निर्दिष्ट घर में होनेवाली जन्म और मृत्यु, जिनकी जानकारी उक्त धारा की उपधारा-2 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती हो, की दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से प्राप्त उद्धरण, यथास्थिति, सम्बद्ध घर अथवा परिवार के मुखिया को अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित मुखिया के किसी निकटतम रिश्तेदार को रजिस्ट्रार द्वारा उद्धरण जारी करने के 30 (तीस) दिन के भीतर देगा।

(4) धारा-8 की उपधारा-1 के खण्ड-(ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट संस्थागत जन्म - मृत्यु की दशा में नवजात शिशु अथवा मृतक का नजदीकी रिश्तेदार संबंधित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति से जन्म अथवा मृत्यु की घटना घटने के 30 (तीस) दिन के भीतर उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

(5) यदि उप-नियम (2) से (4) में यथा निर्देशित संबंधित व्यक्ति द्वारा नियत अवधि तक जन्म अथवा मृत्यु के उद्धरण प्राप्त नहीं किये जायें तो रजिस्ट्रार अथवा उप-नियम-4 में यथा उल्लिखित संबंधित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर संबंधित परिवार को डाक से उद्धरण भेज देगा।

(9) विलम्बित रजिस्ट्रीकरण का प्राधिकारी और उसके लिये देय फीस :

(1) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना, नियम-5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किन्तु जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण 2/- (दो रूपये) विलम्बित फीस के भुगतान करने पर किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को, उसके होने के 30 (तीस) दिनों के पश्चात परन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण इस निमित्त प्र. वि. पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और 5/- (पांच रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

(3) यदि किसी जन्म या मृत्यु का, उसके होने के एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रीकरण नहीं होता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आदेश पर और रु० 10/- (दस रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर किया जायेगा।

(10) धारा-14 के प्रयोजनार्थ अवधि :

(1) जहां किसी शिशु के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के किया गया हो वहां ऐसे शिशु के माता-पिता या संरक्षक रजिस्ट्रार को शिशु के नाम के संबंध में मौखिक या लिखित सूचना शिशु के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह के भीतर देगा।

परन्तु यदि ऐसी कोई सूचना 12 माह या 1 वर्ष की अवधि के पश्चात किन्तु 15 वर्ष के भीतर दी जाती हो तो उसकी गणना निम्न रूप में की जायेगी :-

(।) जहां रजिस्ट्रीकरण जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 1991 के लागू होने की तारीख से पूर्व किया गया हो, वहां नियम के प्रारम्भ की तारीख से या

(।।) जहां रजिस्ट्रीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 1991 के लागू होने की तारीखा के बाद किया गया हो, वहां रजिस्ट्रीकरण की तारीखा से,

धारा-23 की उपधारा-(4) के उपबन्धों के अध्यधीन रजिस्ट्रार --

(क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में हो तो 5/- (पांच रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर संबंधित जन्म-रजिस्टर के संबद्ध फारम के सुसंगत स्तम्भ में नाम दर्ज करेगा।

(ख) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में नहीं हो और यदि सूचना मौखिक रूप में दी गयी हो तो आवश्यक विशिष्टियां देते हुए एक रिपोर्ट देगा और यदि सूचना लिखित रूप में दी गयी हो तो उसे 5/- (पांच रूपये) विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिये राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेषित कर देगा।

(2) यथास्थिति, माता-पिता या अभिभावक, धारा-12 के अधीन उसे दिये गये उद्धरण की प्रति या धारा-17 के अधीन उसे दिया गया प्रमाणित उद्धरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रार शिशु के नाम से संबंधित आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उप-नियम-(1) के परन्तुक के खण्ड-(ख) में अधिकथित रूप से कार्रवाई करेगा।

(11) जन्म-मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करना :-

(1) यदि रजिस्ट्रार को यह प्रतिवेदन दिया जाता है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय या प्रारूपिक गलती हो गयी हो या यदि ऐसी किसी गलती का उसे अन्यथा पता लगता हो और यदि रजिस्टर उसके कब्जे में हो तो रजिस्ट्रार इस विषय में जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसी कोई गलती हो गयी है तो वह धारा-15 में किये गये उपबन्ध के अनुसार (उस प्रविष्टि को शुद्ध या रद्द करके) गलती को ठीक करेगा और गलती को तथा उसे कैसे ठीक किया गया है यह दर्शाते हुए ऐसी प्रविष्टि का एक उद्धरण राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को भेज देगा।

(2) उप-नियम-1 में निर्देशित मामले में, यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं हो तो, रजिस्ट्रार राज्य सरकार को या इसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को रिपोर्ट करके सुसंगत रजिस्टर मंगायेगा तथा इस विषय में जांच करने के पश्चात यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई गलती हुई है तो वह आवश्यक सुधार कर देगा।

(3) रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर, उप-नियम-(2) में उल्लिखित ऐसा कोई सुधार राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः त्रुटिपूर्ण है तो रजिस्ट्रार त्रुटि की प्रकृति बताने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा प्रस्तुत किये जाने और तथ्यों का या मामले की जानकारी रखनेवाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मामले के सही तथ्यों के दिये जाने पर धारा-15 के अधीन विहित रीति से प्रविष्टि का सुधार कर सकेगा।

(5) उप-नियम-(1) और उप-नियम-(4) में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार, उसमें निर्दिष्ट प्रकार के किये गये किसी सुधार की आवश्यक विवरण सहित एक प्रतिवेदन राज्य सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को देगा।

(6) यदि रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गयी है, तो वह मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा धारा-25 के

अधीन इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवश्यक विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन देगा और उसकी सुनवाई के समय इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(7) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस नियम के अधीन किसी प्रविष्टि का सुधार या उसे रद्द किया गया हो, तो उसकी सूचना उस व्यक्ति के, जिसने धारा-8 या धारा-9 के अधीन सूचना दी है, स्थायी पते पर भेज दी जाएगी।

(12) धारा-16 के अधीन रजिस्टर का प्ररूप :

प्ररूप संख्या-1, 2 और 3 के विधिक भाग से जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर क्रमशः प्ररूप संख्या- 7 , 8 और 9 का निर्माण होगा।

(13) धारा-17 के अधीन भुगतेय फीस और डाक खर्च :-

(1) धारा-17 के अधीन की जानेवाली खोज, जारी किये जाने वाले उद्धरण अथवा अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र के लिये भुगतेय फीस निम्नलिखित होगी :-

	रूपये -पैसे
(क) प्रथम वर्ष में किसी एक प्रविष्टि की खोज के लिये जिसके लिये खोज की गयी हो	2 . 00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिये जिसके लिये खोज जारी हो	2 . 00
(ग) प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिये	5 . 00
(घ) जन्म अथवा मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देने के लिये	2 . 00

(2) किसी जन्म या मृत्यु के संबंध में ऐसा कोई उद्धरण रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, यथा स्थिति फारम संख्या - 5 या फारम संख्या - 6 में निर्गत किया जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की धारा- 76 में उपबन्धित रीति से प्रमाणित किया जायेगा।

(3) यदि जन्म अथवा मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं पायी जाये, तो रजिस्ट्रार फारम संख्या-10 में अनुपलब्धता-प्रमाण- पत्र जारी करेगा।

(4) ऐसा कोई उद्धरण अनुपलब्धता-प्रमाण-पत्र उसकी मांग करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकेगा या इस निमित्त डाक-खर्च के भुगतान किये जाने पर डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।

(14) धारा-19 (1) के अधीन अन्तराल और सामयिक विवरणियों का फारम : -

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात प्रत्येक माह से संबंधित प्रतिवेदित करने वाले फारमों के सभी सांख्यिकीय भागों को संक्षिप्त मासिक सारांश प्रतिवेदन के साथ फारम संख्या-11 में जन्म के लिये, फारम संख्या-12 में मृत्यु के लिए और फारम संख्या-13 में मृत-जन्म के लिये मुख्य रजिस्ट्रार या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को आगामी माह की 5 (पांच) तारीख को या उसके पूर्व भेजेगा।

(2) इस प्रकार विनिर्दिष्ट पदाधिकारी, प्राप्त हुए ऐसे सभी प्रतिवेदन फारमों के सांख्यिकीय भागों को उस माह की 10 (दस) तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को अग्रेषित कर देगा।

(15) धारा-१७ (2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन :-

धारा -19 की उप धारा-(2) के अधीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित फारम की सारणियों में होगी और उसका संकलन संबंधित वर्ष के ठीक पश्चातवर्ती वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व कर लिया जायेगा तथा उसका प्रकाशन उसके पश्चात, यथाशीघ्र, किन्तु किसी भी दशा में उक्त तारीख से पांच माह के बाद नहीं किया जायेगा।

(16) प्रशमन करने वाले अपराधों के लिये शर्तें :-

(1) धारा-23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपराधिक कार्यवाहियों के शुरू किये जाने से पूर्व या पश्चात कर सकेगा यदि इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी का यह समाधान हो जाये कि अपराध (अनवधानतावश) अन्वेक्षावश या प्रथमबार किया गया है।
(2) ऐसे किसी अपराध का प्रशमन, धारा-23 की उप-धारा-(1), (2) और (3) के अधीन अपराधों के लिये अधिक से अधिक 50/- (पचास रूपये) और उपधारा-(4) के अधीन अपराधों के लिये अधिक से अधिक 10/- (दस रूपये) तक की ऐसी राशि के भुगतान पर, जो उक्त पदाधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा।

(17) धारा-30 (2) (ट) के अधीन रजिस्टर और अन्य अभिलेख : -

(1) जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर, स्थायी महत्व के अभिलेख होंगे और वे नष्ट नहीं किये जायेंगे।
(2) अधिनियम की धारा-13 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने से संबंधित न्यायालय के आदेश तथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा वे नष्ट नहीं किये जायेंगे।
(3) धारा-10 की उप धारा-(3) के अधीन मृत्यु के कारण के संबंध में दिया गया प्रमाण-पत्र मुख्य रजिस्ट्रार या इस निमित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा कम-से-कम पांच वर्ष तक रखा जायेगा।
(4) प्रत्येक जन्म-रजिस्टर, मृत्यु-रजिस्टर और मृत-जन्म-रजिस्टर, रजिस्ट्रार द्वारा, जिस कलेन्डर वर्ष से वह संबंधित हो उसकी समाप्ति के पश्चात बारह माह की कालावधि तक अपने कार्यालय में रखा जायेगा, तत्पश्चात ऐसा रजिस्टर सुरक्षित अभिरक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अंतरित कर दिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से
अनिल कुमार, सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

(नियम 4 देखिये)

अधिनियम के कार्यकरण पर रिपोर्ट

1. राज्य, उसकी सीमाओं और उसके राजस्व जिलों का संक्षिप्त वर्णन ।
2. प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन ।
3. क्षेत्रों में भिन्नता के बारे में स्पष्टीकरण ।
4. रजिस्ट्रीकरण-क्षेत्र में परिवर्तन-विस्तार ।
5. विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रीकरण तंत्र का प्रशासनिक स्थापना ।
6. इस अधिनियम के प्रति जनता की साधारण प्रतिक्रिया ।
7. जन्म और मृत्यु की अधिसूचना ।
8. मृत्यु के कारण के चिकित्सकीय प्रमाणन में प्रगति ।
9. अभिलेखों का अनुरक्षण
10. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर ढूंढना ।
11. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण ।
12. अपराधों का अभियोजन और प्रशमन ।
13. अधिनियम के क्रियान्वयन में पेश आनेवाली कठिनाईयाँः-
    (1) प्रशासनिक
    (2) अन्य
14. अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेश और अनुदेश ।
15. सामान्य टिप्पणियां ।

वार्षिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन की अनुसूची*

1. वर्ष .....में कार्यरत रजिस्ट्रेशन केन्द्रों की कुल संख्या :-

कुल संख्या	ग्रामीण केन्द्र	शहरी	अस्पताल

2. वर्ष.....में दर्ज की गई घटनाओं की कुल संख्या :-

रजिस्ट्रेशन केन्द्रों का विवरण	जन्म की घटना	मृत्यु की घटना	शिशु मृत्यु की घटना	अभियुक्ति
ग्रामीण केन्द्र				
शहरी केन्द्र				
अस्पताल				

3. वर्ष.....में खोले गये नये केन्द्रों की संख्या :-

ग्रामीण	शहरी	अस्पताल

4. वर्ष में मासिक सारांश विवरणियों की प्राप्ति की संख्या :-

रजिस्ट्रेशन केन्द्र	लक्ष्य (देय)	वास्तव में प्राप्त
ग्रामीण		
शहरी		
अस्पताल		

5. वर्ष ..... में किये गये -
   (क) विलंबित रजिस्ट्रेशन की संख्या :-
   (ख) विलंब शुल्क के रुप में प्राप्त की गई राशि (रुपये में) :-

6. अधिनियम की धारा 8 (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के अधीन सूचनादाता प्रणाली (संस्थागत सूचनागत प्रणाली) की कारगरता पर टिप्पणी :-

7. वर्ष.....में -
   (क) प्रपत्रों की प्राप्ति एवं वितरण की सं. :-
   (ख) इस पर किया गया व्यय (रुपये में) :-

8. वर्ष ..... में आयोजित किये गये
   (क) प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला की संख्या :-

जिला स्तर	
अनुमंडल स्तर	
प्रखंड स्तर	

   (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या :-

जिला स्तर	
अनुमंडल स्तर	
प्रखंड स्तर	

9. वर्ष ..... के दौरान निरीक्षण किये गये रजिस्ट्रेशन केन्द्रों की संख्या :-

ग्रामीण	
शहरी	

10. अभिलेखों (जन्म एवं मृत्यु रजिस्टरों) का अनुरक्षण :-

अभिलेखागार में जमा किये गये अभिलेखों (रजिस्टरों) का पूर्ण विवरण					
रजिस्ट्रेशन केन्द्र	वर्ष जिनका अभिलेख जमा किया गया	जमा किये गये रजिस्टरों की संख्या			
		जन्म रजिस्टर	मृत्यु रजिस्टर	मृत-जन्म रजिस्टर	अभियुक्ति
ग्रामीण					
शहरी					
अस्पताल					

11. वर्ष..... में किये गये प्रचार-प्रसार एवं अन्य प्रोत्साहन कार्य-कलाप का विवरण :-

12. वर्ष..... में प्राप्त सांख्यिकी भागों की प्राप्ति एवं कोड की जाँच कर निदेशालय में प्रेषण की संख्या :-

सांख्यिकीय भागों का विवरण	लक्ष्य	प्राप्ति की संख्या	निदेशालय में प्रेषण की संख्या
जन्म			
मृत्यु			
मृत-जन्म			

13. अधिनियमों/नियमों के क्रियान्वयन में पेश आने वाली कठिनाइयाँ :-

(क) प्रशासनिक-

(ख) अन्य-

14. जिला प्रशासन या किसी और तंत्र द्वारा प्रणाली में सुधार लाने के लिये उठाये गये कदम (यदि कोई हो) :-

15. वर्ष..... में अधिनियम की धारा के अधीन अपराधों के बारे में चलाये गये अभियोग - :-

(क) कुल संख्या :-

(ख) दण्ड स्वरुप वसूली गई कुल राशि (रुपये में) :-

हस्ताक्षर

स्थान-

दिनांक-

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

-सह-

अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)

***** यह अनुसूची जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-4(4) के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन के विहित प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना है ।

जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचना
इस भाग को जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

1 जन्म की तारीख:
(शिशु जन्म के वास्तविक तिथि, उदाहरणार्थ 01.01.2000)
2 लिंग :
('पुरुष' या 'स्त्री' पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं ।)
3 शिशु का नाम अगर कोई हो :
(अगर नामकरण नहीं किया गया हो, तो खाली छोड़ दें ।)
4 पिता का नाम:
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है ।)
5 माता का नाम :
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है ।)
6 जन्म का स्थान :
(नीचे लिखे उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 को चिह्नित करें ।
और अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें,
जहाँ जन्म की घटना हुई है।)
1 अस्पताल/संस्थान –नाम :

2 घर : पता :

3 अन्य स्थान :

7 सूचक का नाम :
पता :
(1 से 20 तक के सभी मदों
के पूरा करने के पश्चात् सूचक
यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख
देंगे)

तारीख : सूचक का हस्ताक्षर या बाँयें अँगूठे का निशान

जन्म रिपोर्ट
सांख्यिकीय सूचना
इस भाग को अलग कर सांख्यिकीय प्रशोधन के लिए भेजा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

8 माता के निवास का शहर या ग्राम :
(सामान्यत: माता जहाँ निवास करती है । यह प्रसव के स्थान से भिन्न हो सकता है । घर का पता अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।)
(क) शहर/ग्राम का नाम:
(ख) यह शहर है या ग्राम: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें ।)
1. शहर 2. ग्राम

(ग) जिला का नाम :

(घ) राज्य का नाम :
9 परिवार का धर्म: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें।)
1 हिन्दू 2. मुस्लिम 3 इसाई
4 अन्य कोई धर्म: (धर्म का नाम अंकित करें।)
10 पिता की शिक्षा का स्तर :
शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें, उदाहरणार्थ अगर सातवाँ वर्ग तक पढ़ा हो और छठा वर्ग उत्तीर्ण हुआ हो, तो छठा वर्ग लिखें ।)
11 माता की शिक्षा का स्तर:
शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें, उदाहरणार्थ अगर सातवाँ वर्ग तक पढ़ा हो और छठा वर्ग उत्तीर्ण हुआ हो, तो छठा वर्ग लिखें ।)
12 पिता का व्यवसाय:
(अगर व्यवसाय नहीं हो, तो 'शून्य' लिखें ।)
13 माता का व्यवसाय:
(अगर व्यवसाय नहीं हो, तो 'शून्य' लिखें ।)

बहु जन्मों की स्थिति में प्रत्येक शिशु के लिये अलग-अलग फारम भरें और नीचे बाँयें तरफ के बॉक्स के अभ्युक्ति मद में 'जुडवाँ जन्म' या 'तिहरा जन्म' अंकित करें ।)

सूचक द्वारा भरने हेतु

14 शादी के समय माता की उम्र (पूरे वर्षों में)
(एक से ज्यादा बार विवाहित होने की स्थिति में प्रथम विवाह के समय की उम्र अंकित करें ।)

15 इस प्रसव के समय माता की उम्र (पूरे वर्षों में):

16 इस शिशु सहित माता द्वारा जनित कुल जीवित जन्मों की संख्या :
(पूर्व के विवाह / विवाहों द्वारा जनित जीवित जन्म की संख्या भी समाविष्ट की जाये, अगर कोई हो।)

17 प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार :
(नीचे अंकित उपयुक्त को चिह्नित करें ।)
1 संस्थागत - सरकारी
2 संस्थागत - निजी या गैर सरकारी
3 चिकित्सक, नर्स या प्रशिक्षित दाई
4 परम्परागत प्रसाविका
5 संबंधी या अन्य

18 प्रसव की विधि : (नीचे अंकित उपयुक्त को चिह्नित करें)
1 प्राकृतिक
2 शल्य क्रिया
3 चिमटी (यांत्रिक निष्करण) / निर्वात मार्जक द्वारा
19 जन्म के समय शिशु का वजन (कि.ग्राम में)
(अगर उपलब्ध हो)
20 गर्भाधान की अवधि (सप्ताहों में):

(मदों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाँयीं तरफ हस्ताक्षर करें ।)

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
रजिस्ट्रीकरण इकाई:
शहर/ग्राम: जिला:
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु-

नाम	कोड संख्या
जिला :	
तहसील :	
शहर/ग्राम :	
रजिस्ट्रीकरण इकाई :	

रजिस्ट्रीकरण की संख्या: रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
जन्म की तारीख :
लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
जन्म का स्थान : 1. अस्पताल/संस्थान 2. घर

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररुप सं० 2

मृत्यु रिपोर्ट
विधिक सूचना
इस भाग को मृत्यु रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

1 मृत्यु की तारीख:
(मृत्यु की वास्तविक तिथि, उदाहरणार्थ 01.01.2000)

2 मृतक का नाम :
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है।)

3 पिता /पति का नाम:
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है ।)

4 मृतक का लिंग :
('पुरूष या 'स्त्री', पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं)

5 मृतक की उम्र :
(यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से अधिक हो, तो उसकी उम्र पूरे वर्षों में लिखें। यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1वर्ष से कम हो, तो पूरे महीनों में लिखें और यदि 1 महीना से कम हो, तो पूरे दिनों में और यदि एक दिन से कम हो, तो पूरे घंटों में लिखें)

6 मृत्यु का स्थान :
(नीचे लिखी प्रविष्टि 1, 2 या 3 जो उपयुक्त हो, चिह्नित करें । अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें,
जहाँ मृत्यु की घटना हुई है। यदि अन्य स्थान पर मृत्यु हुई हो, तो उस स्थल की पहचान दें।)
1 अस्पताल/संस्थान -नाम :
2 घर : पता :
3 अन्य स्थान :

7 मृतक का स्थायी पता :

8 सूचक का नाम :
पता :

(1 से 19 तक के सभी मदों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे)

तारीख : सूचक का हस्ताक्षर या बाँयें अँगूठे का निशान

प्ररुप सं० 2

मृत्यु रिपोर्ट
सांख्यिकीय सूचना
इस भाग को अलग कर सांख्यिकीय प्रशोधन के लिए भेजा जाना है ।

अलग कर सांख्यिकी प्रशोधन के लिए भेजा जाना है

सूचक द्वारा भरने हेतु

9 मृतक के निवास स्थान का शहर या ग्राम:
(मृतक जहाँ वास्तव में निवास करते थे । यह उस स्थान जहाँ मृत्यु की घटना हुई है, से भिन्न हो सकता है । घर का पता अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।)
(क) शहर/ग्राम का नाम:
(ख) यह शहर है या ग्राम: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें ।)

1. शहर 2. ग्राम

(ग) जिला का नाम :

(घ) राज्य का नाम :

10 धर्म: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें।)
1 हिन्दू 2. मुस्लिम 3 इसाई
4 अन्य कोई धर्म: (धर्म का नाम अंकित करें।)

11 मृतक का व्यवसाय :
(अगर व्यवसाय न हो तो 'शून्य' अंकित करें ।)

12 मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार :
(नीचे अंकित उपर्युक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)
1 संस्थागत

2 संस्थान से अलग चिकित्सा सहायता

3 कोई चिकित्सा सहायता नहीं

सूचक द्वारा भरने हेतु

13 क्या मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण हुआ था ?
(नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)
1 हाँ 2 नहीं

14 रोग का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण :
(सभी मृत्युओं की दशा में चाहे वह चिकित्सीय प्रमाणित हो अथवा नहीं)

13 स्त्री की मृत्यु की दशा में, क्या मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव के समय या गर्भ समाप्ति के 6 सप्ताह के अन्दर घटित हुई :
(नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)

1 हाँ 2 नहीं

16 (यदि धूम्र-पान के आदी थे-
तो कितने वर्षों से ?:

17 यदि किसी रूप में तम्बाकू (खैनी, सुरती)
खाने के आदी थे - तो कितने वर्षों से ? :

18 यदि किसी रूप में सुपारी (कसैली) खाने
के आदी थे (पान मशाला सहित)- तो कितने वर्षों से ?:

19 यदि मद्य-पान करने के आदी थे -
तो कितने वर्षों से ?:

(मदों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाँयीं तरफ हस्ताक्षर करें ।)

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
रजिस्ट्रीकरण इकाई:
शहर/ग्राम: जिला:
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु-

	नाम	कोड संख्या
जिला :		
तहसील :		
शहर/ग्राम :		
रजिस्ट्रीकरण इकाई :		

रजिस्ट्रीकरण की संख्या: रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
मृत्यु की तारीख : लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
उम्र : वर्षों/महीनों/दिनों/घंटों
मृत्यु का स्थान : 1. अस्पताल/संस्थान 2. घर
3. अन्य स्थान

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

मृत-जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचना
इस भाग को मृत जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

1 जन्म की तारीख:
(वास्तविक तिथि, महीना एवं वर्ष अंकित करें, उदाहरणार्थ 01.01.2000)

2 लिंग :
('पुरूष या 'स्त्री', पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं)

3 पिता का नाम:
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है ।)

4 माता का नाम:
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है ।)

5 जन्म का स्थान :
(नीचे लिखी प्रविष्टि 1 या 2 को चिह्नित करें ।
और अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें, जहाँ जन्म की घटना हुई है।

1 अस्पताल/संस्थान -नाम :

2 घर : पता :

3 अन्य स्थान :

6 सूचक का नाम :
पता :

(1 से 12 तक के सभी मदों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे)

तारीख : सूचक का हस्ताक्षर या बाँयें अँगूठे का निशान

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
रजिस्ट्रीकरण इकाई:
शहर/ग्राम: जिला:
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

अलग कर सांख्यिकी प्रशोधन के लिये भेजा जाना है ।

मृत-जन्म रिपोर्ट
सांख्यिकीय सूचना
इस भाग को अलग कर सांख्यिकीय प्रशोधन के लिए भेजा जाना है ।

बहु जन्मों की दशा में प्रत्येक के लिये पृथक प्रविष्टि करें और नीचे बॉक्स के अभ्युक्ति स्तम्भ में 'जुड़वाँ' या 'तिहरा' उल्लेख करें ।)

सूचक द्वारा भरने हेतु

7 माता के निवास का शहर या ग्राम :
(सामान्यत: माता जहाँ निवास करती है । यह प्रसव के स्थान से भिन्न हो सकता है ।
घर का पता अंकित करना आवश्यक नहीं है ।)
(क) शहर/ग्राम का नाम:
(ख) यह शहर है या ग्राम: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें।)
1. शहर 2. ग्राम

(ग) जिला का नाम:

(घ) राज्य का नाम :

8 इस प्रसव के समय माता की उम्र पूरे वर्षों में :

9 माता की शिक्षा का स्तर :
(पूरा किये गये शिक्षा के स्तर अंकित करें । उदाहरणार्थ अगर सातवाँ वर्ग तक पढ़ी हो और मात्र छठा वर्ग उत्तीर्ण हुई हो, तो छठा वर्ग लिखें ।)

10 प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार : (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें ।)
1 संस्थागत - सरकारी
2 संस्थागत - निजी या गैर प्रशिक्षित दाई
3 चिकित्सक, नर्स या प्रशिक्षित दाई
4 परम्परागत प्रसाविका
5 संबंधी या अन्य

11 गर्भाधान की अवधि : (सप्ताहों में)

12 भ्रूण मृत्यु का कारण : (यदि ज्ञात हो)

(स्तम्भों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाँयीं तरफ हस्ताक्षर करें।)

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु-

	नाम	कोड संख्या
जिला :		
तहसील :		
शहर/ग्राम :		
रजिस्ट्रीकरण इकाई :		

रजिस्ट्रीकरण की संख्या:
रजिस्ट्रीकरण की तारीख:
जन्म की तारीख:
लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
जन्म का स्थान : 1. अस्पताल/संस्थान 2. घर

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 4

(नियम 7 देखिये)

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(अस्पताल अन्तः रोगियों के लिए, मृत जन्मों के लिए व्यवहार नहीं किया जाना है।)

प्ररूप संख्या 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जाना है ।

अस्पताल का नाम ----------

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उस व्यक्ति जिसकी विवरणियां नीचे दी जा रही हैं, की मृत्यु अस्पताल के वार्ड संख्या ----------में तारीख---------- को ----------बजे पूर्वाह्न/अपराह्न, में हुई ।

मृतक का नाम : ----------					सांख्यिकीय कार्यालय के उपयोग के लिए
लिंग	**मृत्यु के समय उम्र**				
	यदि आयु 1 या 1 से अधिक वर्ष हो, तो उम्र पूरे वर्षों में	यदि आयु एक वर्ष से कम हो, तो उम्र महीनों में	यदि आयु एक महीने से कम हो, तो उम्र दिनों में	यदि आयु एक दिन से कम हो, तो उम्र घन्टों में	
1. पुल्लिंग 2. स्त्रीलिंग					
मृत्यु का कारण				बीमारी की शुरूआत और मृत्यु के बीच अनुमानित अन्तराल	
I **तात्कालिक कारण :** उस बीमारी, चोट या उलझन को बताएं जिसकी वजह से मृत्यु हुई, न कि मरने का कारण, उदाहरण के लिए दिल का दौरा, कमजोरी आदि ।	(क) ..... कारण (परिणाम स्वरूप)			.....	.....
पूर्ववत् कारण : मृत्यु के उक्त कारण के लिए, यदि कोई पुरानी बीमारी हो तो बताएं।	(ख) ..... कारण (परिणाम स्वरूप) (ग)			.....	.....
II मृत्यु के लिए अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण जिसका उस बीमारी या हालत से कोई सम्बन्ध नहीं हो जिसके कारण मृत्यु हुई हो।	.....			.....	.....

मृत्यु का प्रकार

1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 3. आत्महत्या 4. मानववध/हत्या 5. लम्बित अनुसंधान चोट कैसे हुई ?

यदि मृतक महिला थी तो क्या मृत्यु गर्भावस्था में हुई ? 1. हां 2. नहीं

यदि हां तो क्या कोई प्रसव हुआ था ? 1. हां 2. नहीं

मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाले चिकित्सा परिचायक का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापन की तिथि .....

निर्देशों के लिए पीछे देखें

(अलग करके मृतक के सम्बन्धी को दिया जाये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----------

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ----------निवासी ----------इस अस्पताल में ----------

----------को दिनांक ---------- को भर्ती किया गया और उसकी मृत्यु दिनांक---------- को हुई ।

चिकित्सक ----------

(चिकित्सा अधीक्षक, अस्पताल का नाम)

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र
प्ररूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नाम :- पूर्ण रूप में दिया जाना है संक्षेप में नहीं । यदि मृतक शिशु हो और मृत्यु के समय तक उसका नामकरण नहीं हुआ है, पुत्र या पुत्री लिखकर उसके माता और पिता का नाम अंकित करें।

आयु:- यदि मृतक की उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो, तो उम्र पूरे वर्षों में दें । यदि मृतक की उम्र 1 वर्ष से कम हो, तो उसे महीनों में दें। और यदि 1 महीने से कम हो, तो पूर्ण किये गये दिनों में दें। तथा यदि 1 दिन से कम हो तो घन्टों में दीजिए।

मृत्यु का कारण :- इस भाग को चिकित्सा कर रहे चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमेशा भरा जाना चाहिए। मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र दो भागों में विभाजित हैं, I और II । पुन: भाग I को तीन भागों में विभक्त किया गया है-यथा पंक्ति (क), (ख) और (ग)। यदि रोग ग्रस्त की एक दशा से मृत्यु पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, तो यह भाग I की पंक्ति (क) पर लिखा जाएगा और भाग I के शेष भाग या भाग II में कुछ अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरणार्थ चेचक, (बड़ी माता) खंडीय निमोनिया, हृदय रोग, सुखंडी (बेरी-बेरी) मृत्यु के यथेष्ट कारण हैं और सामान्यत: इससे ज्यादा अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्राय: मृत्यु के समय उपस्थित रोग ग्रस्त की अनेक दशायें होंगी और तब चिकित्सक प्रमाण-पत्र को सही रूप से भरेंगे ताकि सही मूल कारण का सारणीयन हो सके। सर्वप्रथम मृत्यु के तात्कालिक कारण को भाग I (क) में अंकित करें। यह मृत्यु की प्रक्रिया का अभिप्राय: नहीं है, उदाहरणार्थ हृदय गति का अवरोध, श्वसन क्रिया में अवरोध आदि। ये बातें प्रमाण-पत्र में बिल्कुल अंकित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु की प्रक्रियायें हैं, न कि मृत्यु का कारण। तत्पश्चात् उन कारणों को लें जहाँ तात्कालिक कारण पेचीदा हो या कुछ अन्य कारणों के दूरगामी परिणामस्वरूप हो। यदि वैसा हो तो पूर्ववत कारण भाग I की पंक्ति (ख) में अंकित करें। कभी-कभी मृत्यु की घटनाओं में तीन स्तर की प्रक्रियायें होंगी। यदि वैसा हो, तो पंक्ति (ग) पूरे किये जाएंगे। सारणीयन किये जाने वाले मूल कारण हमेशा भाग I के अंत में अंकित किया जाना है। उपस्थित रोगग्रस्त दशायें या चोट जो घटित घटनाओं के सिलसिले में मृत्यु के कारण से सीधे संबंधित नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु का कारण बनी। कभी-कभी चिकित्सक यह निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं, विशेष तौर पर शिशु मृत्युओं की स्थिति में विभिन्न स्वतंत्र दशाओं में मृत्यु के प्राथमिक कारण क्या हैं, लेकिन मात्र एक ही कारण सारणीयन किया जाना है, इसलिए चिकित्सक द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाना है। यदि अन्य रोग मूल कारण के परिणाम स्वरूप नहीं हो तो वे भाग II में प्रविष्ठ किये जायें। दो या अधिक दशाओं को एक पंक्ति में न लिखें। कृपया प्रमाण-पत्रों में रोगों के पूरा नाम को लिखें, ताकि गलत पढ़ने के जोखिम से बचा जा सके कानूनी तौर पर जहां तक संभव हो।

प्रारंभ :- जहां तक सम्भव हो, बीमारी की शुरूआत और मृत्यु के बीच के अन्तराल स्तम्भ पूरा भरें, भले ही उसे लगभग रूप में भरें, अर्थात् 'जन्म से' 'अनेक वर्षों से'।

दुर्घटना से या हिंसा से हुई मृत्यु:- बाह्य कारण एवं चोट की प्रकृति दोनों आवश्यक हैं और उनका विवरण दिया जाना चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को चोट का विवरण अंकित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यथा शरीर के भाग में लगी चोट का विवरण देते हुए बाह्य कारण का पूर्ण विवरण अंकित करना चाहिये, जब ऐसा अंकित

किया जाता हो, उदाहरण (क) हाइपोस्टैटिक निमोनिया, (ख) गर्दन की हड्डी का टूटना, (ग) घर की सीढ़ी से गिरना।

मातृ मृत्यु :- गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु आश्वस्त हो लें। यह सूचना गर्भ धारण करने योग्य आयु की सभी महिलाओं के लिये आवश्यक है, चाहे गर्भ का मृत्यु से कोई संबंध न हो।

वृद्धावस्था या वृद्धत्व :- वृद्धावस्था को मृत्यु के कारण के रूप में अंकित नहीं किया जाना चाहिए, यदि अन्य विशिष्ट कारण ज्ञात हो। अगर मृत्यु के कारण के रूप में बुढ़ापा का योगदान हो, तो इसे भाग II में अंकित किया जाना चाहिए, उदाहरण (क) पुरानी खांसी, बुढ़ापा। सूचना की पूर्णत: रोगी के पूर्ण विवरण (केस हिस्ट्री) की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सूचना उपलब्ध हो, तो यथेष्ट विवरण दिया जाना चाहिए ताकि मूल कारण को सही ढ़ंग से वर्गीकृत करने में सहूलियत हो सके।

उदाहरण :- रक्तक्षीणता-रक्तक्षीणता का प्रकार दें, अगर ज्ञात हो, नवद्रव्य (न्यूप्लाजम)-सूचित करें कि शुरूआत या केसरी है और निर्धारित करें, प्राथमिक न्यूॅप्लाजम के स्थान के साथ, जब कभी सम्भव हो। हृदय रोग-विशेष रूप से दशा के बारे में विवरण दें, अगर रक्ताधिक्य (कनजेस्टीव हर्ट-फेल्यूअर) हृदयगति रूकना, फेफड़े का पुराना रोग आदि उल्लिखित है तो पूर्व दशाओं का विवरण दें। टेटनस-पूर्ववर्ती चोट का विवरण दें, अगर ज्ञात हो। शल्य-क्रिया-उस स्थिति का विवरण दें जिसके लिये शल्य-क्रिया की गई थी। पेचिस-दण्डा (खूनी)-अमीबी, अमाशा आदि का उल्लेख करें, अगर ज्ञात हो। गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएँ-जटिलताओं का विशेष रूप से विवरण दें। यक्ष्मा (ट्यूबरकलोसिस)- प्रभावित अंगों का विवरण दें।

लाक्षणिक कथन:- ऐंठन, अतिसार (दस्त की बीमारी), ज्वर, जलोदर, पीलिया, दुर्बलता आदि ऐसे लक्षण हैं, जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकते हैं। कभी-कभी इससे अधिक कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है, परन्तु जब कभी सम्भव हो, उस रोग को लिखें, जो लक्षणों को प्रदर्शित करता हो।

मृत्यु का प्रकार:- बाह्य कारणों से हुई मृत्यु ''प्राकृतिक'' रूप में पहचान न किया जाए, अगर मृत्यु का कारण ज्ञात हो कि दुर्घटना, आत्महत्या या मानववध के परिणामस्वरूप हुआ हो, और इस संबंध में अनुसंधान किया जाना हो, तो मृत्यु का कारण अपरिवर्तित रूप में अंकित किया जाना चाहिए और मृत्यु का प्रकार ''लम्बित अनुसंधान'' के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

प्ररूप संख्या 4 (क)

॥ नियम 7 देखिये ॥

<u>मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र</u>

(गैर संस्थानिक मृत्युओं के लिए, मृत जन्म के लिए व्यवहार नहीं किया जाना है।)

प्ररूप संख्या 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जाना है ।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....निवासी ..... दिनांक ..... से दिनांक.....
.....तक मेरे इलाज में थे और उनकी मृत्यु दिनांक ..... को ..... पूर्वाह्न/अपराह्न में हुई ।

मृतक का नाम :				सांख्यिकीय कार्यालय के उपयोग के लिए
लिंग	**मृत्यु के समय उम्र**			
	यदि 1 या 1 से अधिक वर्ष हो, तो उम्र पूरे वर्षों में	यदि 1 वर्ष से कम हो, तो उम्र महीनों में	यदि 1 महीने से कम हो, तो उम्र दिनों में	यदि आयु एक दिन से कम हो, तो उम्र घन्टों में	
1. पुरुष 2. स्त्री					

मृत्यु का कारण		बीमारी की शुरूआत और मृत्यु के बीच अनुमानित अन्तराल
I	(क)	....
उस बीमारी, चोट या उलझन को बताएं जिसकी वजह से मृत्यु हुई, न कि मरने का कारण। उदाहरण के लिए दिल का दौरा, कमजोरी आदि ।	कारण (परिणाम स्वरूप)	
पूर्ववत् कारण :	(ख)	....
मृत्यु के उक्त कारण के लिए, यदि कोई पुरानी बीमारी हो तो बताएं।	कारण (परिणाम स्वरूप)	
	(ग)	....
II		
मृत्यु के लिए अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण	.....	....
जिसका उस बीमारी या हालत से कोई	.....	....
सम्बन्ध नहीं हो जिसके कारण मृत्यु हुई हो।	.....	....

मृत्यु का प्रकार चोट कैसे लगी ?

1. प्राकृतिक 2. कृत्रिम 3. आत्महत्या 4. मानववध 5. लम्बित अनुसंधान

यदि मृतक महिला थी, तो क्या मृत्यु गर्भाकाल में हुई ? 1. हां 2. नहीं

यदि हाँ तो क्या कोई प्रसव हुआ था ? 1. हां 2. नहीं

मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाले चिकित्सा परिचायक का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापन की तिथि .....

निर्देशों के लिए पीछे देखें

(अलग कर मृतक के सम्बन्धी को दिया जाय।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....निवासी .....दिनांक .....
.....से दिनांक ..... तक मेरे ईलाज में थे और उनकी मृत्यु दिनांक ..... को पूर्वाह्न/अपराह्न में हुई ।

चिकित्सक ----------

निबंधन संख्या सहित चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सा परिचारक का हस्ताक्षर और पता

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र
प्ररूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नाम :- पूर्ण रूप में दिया जाना है संक्षेप में नहीं। यदि मृतक शिशु हो और मृत्यु के समय तक उसका नामकरण नहीं हुआ है, तो पुत्र या पुत्री लिखकर उसके माता और पिता का नाम अंकित करें।

आयुः- यदि मृतक की उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो, तो उम्र पूरे वर्षों में दें। यदि मृतक की उम्र 1 वर्ष से कम हो, तो उसे महीनों में दें। और यदि 1 महीने से कम हो, तो पूर्ण किये गये दिनों में दें। तथा यदि 1 दिन से कम हो तो घन्टों में दीजिए।

मृत्यु का कारण :- इस भाग को चिकित्सा कर रहे चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमेशा भरा जाना चाहिए। मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र दो भागों में विभाजित हैं, I और II । पुनः भाग I को तीन भागों में विभक्त किया गया है- यथा पंक्ति (क), (ख) और (ग) I यदि रोग ग्रस्त की एक दशा से मृत्यु पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, तो यह भाग I की पंक्ति (क) पर लिखा जाएगा और भाग I के शेष भाग या भाग II में कुछ अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरणार्थ चेचक, (बड़ी माता) खंडीय निमोनिया, हृदय रोग, सुखंडी (बेरी-बेरी) मृत्यु के यथेष्ट कारण हैं और सामान्यतः इससे ज्यादा अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रायः मृत्यु के समय उपस्थित रोग ग्रस्त की अनेक दशायें होंगी और तब चिकित्सक प्रमाण-पत्र को सही रूप से भरेंगे ताकि सही मूल कारण का सारणीयन हो सके। सर्वप्रथम मृत्यु के तात्कालिक कारण को भाग I (क) में अंकित करें। यह मृत्यु की प्रक्रिया का अभिप्रायः नहीं है, उदाहरणार्थ हृदय गति का अवरोध, श्वसन क्रिया में अवरोध आदि। ये बातें प्रमाण-पत्र में बिल्कुल अंकित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु की प्रक्रियायें है, न कि मृत्यु का कारण तत्पश्चात् उन कारणों को लें जहाँ तात्कालिक कारण पेचीदा हो या कुछ अन्य कारणों के दूरगामी परिणामस्वरूप हो। यदि वैसा हो तो पूर्ववत कारण भाग I की पंक्ति (ख) में अंकित करें। कभी-कभी मृत्यु की घटनाओं में तीन स्तर की प्रक्रियायें होंगी। यदि वैसा हो, तो पंक्ति (ग) पूरे किये जाएंगे। सारणीयन किये जाने वाले मूल कारण हमेशा भाग I के अंत में अंकित किया जाना है। उपस्थित रोगग्रस्त दशायें या चोट जो घटित घटनाओं के सिलसिले में मृत्यु के कारण से सीधे संबंधित नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु का कारण बनी। कभी-कभी चिकित्सक यह निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं, विशेष तौर पर शिशु मृत्युओं की स्थिति में विभिन्न स्वतंत्र दशाओं में मृत्यु के प्राथमिक कारण क्या हैं, लेकिन मात्र एक ही कारण सारणीयन किया जाना है, इसलिए चिकित्सक द्वारा आवश्य निर्णय लिया जाना है। यदि अन्य रोग मूल कारण के परिणाम स्वरूप नहीं हो तो वे भाग II में प्रविष्ठ किये जायें। दो या अधिक दशाओं को एक पंक्ति में न लिखें। कृपया प्रमाण-पत्रों में रोगों के पूरे नाम को लिखें, ताकि गलत पढ़ने के जोखिम से बचा जा सके, कानून तौर पर जहां तक संभव हो।

प्रारंभ :- जहां तक सम्भव हो, बीमारी की शुरूआत और मृत्यु के बीच के अन्तराल स्तम्भ पूरा भरें, भले ही उसे लगभग रूप में भरे, अर्थात् 'जन्म से' अनेक वर्षों से'।

दुर्घटना से या हिंसा से हुई मृत्युः- बाह्य कारण एवं चोट की प्रकृति दोनों आवश्यक हैं और उनका विवरण दिया जाना चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को चोट का विवरण अंकित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यथा शरीर के

भाग में लगी चोट का विवरण देते हुए बाह्य कारण का पूर्ण विवरण अंकित करना चाहिये, जब ऐसा अंकित किया जाता हो, उदाहरण (क) हाइपोस्टैटिक निमोनिया, (ख) गर्दन की हड्डी का टूटना, (ग) घर की सीढ़ी से गिरना।

मातृ मृत्यु :- गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु आश्वस्त हो लें। यह सूचना गर्भ धारण करने योग्य आयु की सभी महिलाओं के लिये आवश्यक है, चाहे गर्भ का मृत्यु से कोई संबंध न हो।

वृद्धावस्था या वृद्धत्व :- वृद्धावस्था को मृत्यु के कारण के रूप में अंकित नहीं किया जाना चाहिए, यदि अन्य विशिष्ट कारण ज्ञात हो। अगर मृत्यु के कारण के रूप में बुढ़ापा का योगदान हो, तो इसे भाग II में अंकित किया जाना चाहिए, उदाहरण (क) पुरानी खांसी, बुढ़ापा। सूचना की पूर्णतः रोगी के पूर्ण विवरण (केस हिस्ट्री) की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सूचना उपलब्ध हो, तो यथेष्ट विवरण दिया जाना चाहिए ताकि मूल कारण को सही ढ़ंग से वर्गीकृत करने में सहूलियत हो सके।

उदाहरण :- रक्तक्षीणता-रक्तक्षीणता का प्रकार दें, अगर ज्ञात हो, नवद्रव्य (न्यूप्लाजम)-सूचित करें कि शुरूआत या केसरी है और निर्धारित करें, प्राथमिक न्यूॅप्लाजम के स्थान के साथ, जब कभी सम्भव हो। हृदय रोग-विशेष रूप से दशा के बारे में विवरण दें, अगर रक्ताधिक्य (कनजेस्टीव हर्ट-फेल्यूअर) हृदयगति रूकना, फेफड़े का पुराना रोग आदि उल्लिखित है तो पूर्व दशाओं का विवरण दें। टेटनस-पूर्ववर्ती चोट का विवरण दें, अगर ज्ञात हो। शल्य-क्रिया-उस स्थिति का विवरण दें जिसके लिये शल्य-क्रिया की गई थी। पेचिस-दण्डा (खूनी)-अमीबी, अमाशा आदि का उल्लेख करें, अगर ज्ञात हो। गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएँ-जटिलताओं का विशेष रूप से विवरण दें। यक्ष्मा (ट्यूबरकलोसिस)- प्रभावित अंगों का विवरण दें।

लाक्षणिक कथनः- ऐंठन, अतिसार (दस्त की बीमारी), ज्वर, जलोदर, पीलिया, दुर्बलता आदि ऐसे लक्षण हैं, जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकते हैं। कभी-कभी इससे अधिक कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है, परन्तु जब कभी सम्भव हो, उस रोग को लिखें, जो लक्षणों को प्रदर्शित करता हो।

अनुसूची 13 – प्ररुप संख्या 5
(नियम 8 देखिये)

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

जन्म प्रमाण–पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–12/17 तथा बिहार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया)
(Issued under Section 12/17 of Registration of Births and Deaths Act. 1969 and Rules 8/13 of the Bihar Registration of Births and Deaths Rules 1999)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि

(स्थानीय क्षेत्र)..... तहसील/प्रखण्ड.....

जिला ..... राज्य..... के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body).....
of tahsil/block ..... of District ..... of State/Union territory .....

नाम / Name : ..... लिंग / Sex : .....

जन्म तिथि / Date of Birth : ..... जन्म का स्थान / Place of Birth : .....

पिता का नाम / Name of Father : ....

माता का नाम / Name of Mother : ....

बच्चे के जन्म के समय माता–पिता का पता / Address of parents at the time of birth of the child

.....

.....

.....

पंजीकरण संख्या / Registration No. ..... पंजीकरण दिनांक / Date of Registration.....

टिप्पणी / Remarks (if any)

दिनांक / Date of issue..... प्राधिकारी के हस्ताक्षर/ Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता/ Address of the issuing authority

मुहर / Seal

झारखण्ड सरकार

अनुसूची 13 – प्ररुप संख्या 6
(नियम 8 देखिये)

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

मृत्यु प्रमाण–पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–12/17 तथा बिहार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया)
(Issued under Section 12/17 of Registration of Births and Deaths Act. 1969 and Rules 8/13 of the Bihar Registration of Births and Deaths Rules 1999)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि

(स्थानीय क्षेत्र)..... तहसील/प्रखण्ड.....

जिला ..... राज्य..... के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of Death which is the register for (local area/local body).....
of tahsil/block ..... of District ..... of State/Union territory .....

नाम / Name : ..... लिंग / Sex : .....

मृत्यु तिथि / Date of Death : ..... मृत्यु का स्थान / Place of Death : .....

पिता/पति का नाम / Name of Father/Husband : .....

मृतक का मृत्यु के समय का पता / Address of the deceased at the time of death :

.....

.....

.....

पंजीकरण संख्या / Registration No. ..... पंजीकरण दिनांक / Date of Registration.....

टिप्पणी / Remarks (if any)

दिनांक / Date of issue..... प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of the issuing authority
प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मुहर / Seal

प्ररुप संख्या 10
(नियम 13 देखिये)

झारखण्ड सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, झारखण्ड

अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा–17 के अधीन निर्गत ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... के अनुरोध पर झारखण्ड राज्य के ..... जिले के ..... तहसील (अंचल/प्रखंड) के ..... स्थानीय क्षेत्र से संबंधित रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों–वर्ष (वर्षों) ..... में तलाशी की गई और यह पाया गया कि ..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... के जन्म/मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया था ।

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख : .....

मुहर

प्ररुप संख्या - 11

(नियम 14 देखिये)

जन्म का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1. माह ..... वर्ष ..... का प्रतिवेदन

2. जिला .....

3. शहर / ग्राम .....

4. रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

5. रजिस्ट्रीकृत जन्मों की संख्या :

(क) घटना घटित होने के एक वर्ष के अन्दर : .....

(ख) घटना घटित होने के एक वर्ष के बाद : .....

कुल* (क+ख) : .....

* कुल जन्म, इस मासिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न जन्म रिपोर्ट प्ररुप (प्ररुप संख्या-1) की संख्या के बराबर होना चाहिए ।

तारीख ..... रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का नाम :

एवं हस्ताक्षर :

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु)/अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) को समर्पित ।

प्ररुप संख्या - 12

(नियम 14 देखिये)

मृत्यु का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1. माह ..... वर्ष ..... का प्रतिवेदन

2. जिला .....

3. शहर / ग्राम .....

4. रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

5. माह में रजिस्ट्रीकृत मृत्युओं का विस्तृत विवरण :

मृत्युओं की संख्या			कुल संख्या में	
घटना घटित होने के एक वर्ष के अन्दर रजिस्ट्रीकृत	घटना घटित होने के एक वर्ष के बाद रजिस्ट्रीकृत	* कुल	शिशु मृत्यु	मातृ-मृत्यु
1	2	3	4	5

* नोट :- शिशु और मातृ मृत्युओं को भी मृत्युओं में शामिल किये जायें ।

* इसके साथ सांख्यिकीय प्रतिवेदन प्ररुप संख्या-2 संलग्न की जानी है । संलग्न प्ररुप (प्ररुप संख्या-2) की संख्या प्रतिवेदित रजिस्ट्रीकृत मृत्युओं की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए ।

तारीख ..... रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का नाम :

एवं हस्ताक्षर :

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु)/अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) को समर्पित ।

प्ररुप संख्या - 13

(नियम 14 देखिये)

मृत जन्म का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1. माह ..... वर्ष ..... का प्रतिवेदन

2. जिला .....

3. शहर / ग्राम .....

4. रजिस्ट्रीकरण इकाई .....

5. रजिस्ट्रीकृत मृत जन्मों की संख्या :

***** रजिस्ट्रीकृत मृत जन्मों की संख्या इस मासिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न मृत जन्म रिपोर्ट (प्ररुप संख्या-3) की संख्या के बराबर होनी चाहिए ।

तारीख ..... रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का नाम :

एवं हस्ताक्षर :

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु)/अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) को समर्पित ।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के विधिक उपबंधों के संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली, द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण

अधिनियम के विधिक उपबंधों पर स्पष्टीकरण

अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधिक उपबंधों के संबंध में कतिपय संदर्भ भेजे जाते हैं। संबंधित राज्य विभागों द्वारा इन्हें भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजा जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जहां भी आवश्यक हो, विधि मंत्रालय से परामर्श करके स्पष्टीकरण जारी करता है। विगत वर्षों में अधिनियम की लगभग प्रत्येक धारा के बारे में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। इस अध्याय में अभी तक जारी स्पष्टीकरण सम्मिलित किए गए हैं:-

धारा 4 :-

1. प्रश्न : चूंकि अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उसमें रखे गए रजिस्टरों की परीक्षा ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे जिला रजिस्ट्रार निदिष्ट करें। अत: क्या मुख्य रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति अधिनियम की धारा 4(4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण कार्य का निरीक्षण कर सकता है या नहीं ?

स्पष्टीकरण : रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे और जिला रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे। धारा 4(4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए समुचित अनुदेश जारी करेंगे या अन्य कदम उठाएंगे। ''पर्यवेक्षण'' शब्द में निरीक्षण भी सम्मिलित है। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य, कार्यवाही या प्रगति के लिए प्राधिकार सहित निदेश देना या उस पर निगरानी रखना। निरीक्षण का अर्थ है सूक्ष्मता से देखना, औपचारिक तौर से जांच करना इत्यादि। जब तक किसी व्यक्ति का उक्त कार्य की सूक्ष्मता से जांच करने या देखने का अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक वह प्राधिकृत रूप से उस कार्य के लिए न तो निर्देश जारी कर सकता है और न उस पर निगरानी रख सकता है। अत:, अधिनियम की धारा 4(4) के अधीन, मुख्य रजिस्ट्रार या उसके नामित ही रजिस्ट्रीकरण के कार्य का निरीक्षण करना उनके अधिकार में आता है । अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में इसे और भी समर्थन मिलता है, जिसके अनुसार जिला रजिस्ट्रार को मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार कार्य करना है और मुख्य रजिस्ट्रार के आदेशों को निष्पादित करना है। धारा 18 में जिला रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में आने वाले रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के आन्तरिक निरीक्षण की व्यवस्था है, लेकिन यह धारा, धारा 4(4) के अधीन समस्त राज्य के रजिस्ट्रीकरण कार्य का पर्यवेक्षण करने के मुख्य रजिस्ट्रार के अधिकार को नहीं छीनती जिसमें राज्य के किसी भी जिले में किसी भी रजिस्ट्रीकरण का निरीक्षण सम्मिलित है।

धारा 6 :

2. प्रश्न : धारा 6(1) में उल्लिखित राजस्व जिले का स्पष्ट क्षेत्र क्या है?

स्पष्टीकरण : ''राजस्व जिला'' वाक्यांश को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि सामान्यतया माना जाता है कि राजस्व जिला एक ऐसा जिला है जो राज्य के राजस्व प्रशासन के प्रयोजन के लिए बनाया जाता है। तदनुसार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 6(1) के संदर्भ में ''राजस्व जिला'' वाक्यांश से राजस्व प्रशासन के प्रयोजनों के लिए बनाया गया जिला अभिप्रेत है और उस धारा के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार के किसी जिले में केवल एक ही जिला रजिस्ट्रार होगा और जिला रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए राज्य सरकार को उतने अपर जिला रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है जितने वह ठीक समझे।

धारा 7 :

3. प्रश्न : क्या राज्य सरकार को प्रत्येक रजिस्ट्रार के लिए अलग-अलग नियुक्ति आदेश जारी करना होगा या रजिस्ट्रारों को पदनाम से नियुक्त करके एक सामान्य आदेश ही जारी करना होगा?

स्पष्टीकरण : इस बात का निर्णय राज्य सरकार को करना है कि वह धारा 7 के अधीन उसे दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए किस प्रकार का आदेश जारी करती है। यदि प्राधिकारी चाहे तो एक सामान्य आदेश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

4. प्रश्न : छावनियों के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी या केन्द्रीय सरकार (रक्षा मंत्रालय) ? क्या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम छावनी पर लागू होंगे या केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय (निदेशक, सेना भूमि रिकार्ड) को सभी छावनियों के लिए एक समान नियम बनाने होंगे ?

स्पष्टीकरण : जहां तक छावनियों का संबंध है, संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 30 के प्रयोजन के लिए ''राज्य सरकार'' केन्द्रीय सरकार नहीं है बल्कि राज्य सरकार स्वयं है। संघ सूची की प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कतिपय मामलों अर्थात परिसीमन, स्थानीय स्वशासन आदि जैसे मामलों से ही केन्द्रीय सरकार का संबंध है। अन्य सभी कार्य राज्य सरकार के कार्य प्रतीत होते हैं। तथापि, राज्य सरकार से यह अनुरोध करना लाभदायक होगा कि वह इन क्षेत्रों में छावनी प्राधिकारियों को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार नियुक्त करने के लिए अनुरोध करे ताकि अधिनियम के उचित कार्यचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।

4. प्रश्न : ''क'' अपनी पत्नी ''ख'' के पैदा हुए बच्चे के पिता के रूप में अपना नाम जन्म रजिस्टर में दर्ज करने पर इस आधार पर आपत्ति करता है कि वे अब एक साथ नहीं रहे हैं और उसने दाम्पत्य जीवन से बाहर गर्भधारण किया है। बच्चे के पिता के रूप में ''क'' का नाम ''ख'' के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार के मामलों और विशेषकर इस मामले में अपनाई जाने वाली कार्यविधि क्या है?

स्पष्टीकरण : चूंकि बच्चे का जन्म कानूनी तौर पर विवाहित माता-पिता से हुआ है, और संबंध विच्छेद की डिग्री के अभाव में ''क'' इस आधार पर बच्चे का पिता होने से इंकार नहीं कर सकता कि गर्भ धारण दाम्पत्य जीवन से बाहर हुआ है। चूंकि जानकारी ''ख'' द्वारा दी जा रही है और वह रिकार्ड जन्म का केवल साक्ष्य भर है, अत: ''क'' की आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती ।

6. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण किसी भी स्थान पर कराया जा सकता है चाहे वह कहीं भी क्यों न हुआ या हुई हो? क्या बम्बई में घटित घटना को गोवा में रजिस्टर कराया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : घटना को केवल उसके घटित होने के स्थान पर ही रजिस्टर कराया जा सकता है। बम्बई में घटित घटना को बम्बई में उसी संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर कराना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह घटित हुई है। घटना को गोवा में रजिस्टर नहीं कराया जा सकता।

7. प्रश्न : क्या भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के जन्मों या मृत्युओं को भारत में घटना के स्थान पर रजिस्टर कराया जा सकता है? अथवा भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के जन्मों या मृत्युओं को केवल संबंधित विदेशी कंसुलावासों में ही

उसी भांति रजिस्टर कराया जाएगा जिस प्रकार विदेशों में भारतीय नागरिकों के जन्मों और मृत्युओं को अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन दर्ज कराया जाता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) में प्रत्येक जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है चाहे राष्ट्रीयता कुछ भी हो। स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा विदेशी राष्ट्रिक के बच्चे के जन्म को रजिस्टर किया जाए और अधिनियम की धारा 12 के अधीन इस आशय का जन्म प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए। इस प्रकार के मामलों में अधिनियम की धारा 20(1) लागू नहीं होती ।

8. प्रश्न : धारा 7 की उपधारा 5 के अधीन रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकता है और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कर्त्तव्य सौंप सकता है। यदि अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा इस आशय का कोई नियम बनाया जाता है या कोई निदेश जारी किया जाता है कि रजिस्ट्रार धारा 12 और 15 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों को उप रजिस्ट्रार को समनुदेशित नहीं करे, तो क्या इससे अधिनियम में कोई असंगति नहीं होगी ?

स्पष्टीकरण : महारजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन इस प्रकार का कोई नियम या निदेश धारा 7(5) के उपबंधों के अनुकूल नहीं होगा। सम्भवतः धारा 7(5) के अधीन उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति का अनुमोदन करते समय मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को यह अनुदेश दे सकता है कि ये कार्य उप रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित न किए जाएं।

9. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की किस धारा में इस बात का उल्लेख है कि घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण घटित होने के स्थान के अनुसार किया जाना चाहिए ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23(2) के साथ पठित धारा 7(2) में स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्रार को उसके अधिकार क्षेत्र में घटित होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं को ही रजिस्टर करना है।

10. प्रश्न : क्या हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु की घटना को गोवा में मृतक के निवास के क्षेत्र में इस आधार पर रजिस्टर कराया जा सकता है कि मृतक के शव का अंतिम संस्कार वहीं किया गया था?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार जन्म/मृत्यु की घटना को घटना के स्थान पर ही रजिस्टर कराया जा सकता है । हैदराबाद में घटित घटना को उस संबंधित रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर कराया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटी है। अतः मृत्यु की संदर्भाधीन घटना को गोवा में दर्ज नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार के मामलों में यह आशा की जाती है कि थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु की घटना की सूचना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8(1) (ङ) के अधीन उस क्षेत्र के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को दें, जिस क्षेत्र में घटना घटी है ।

11. प्रश्न : (क) रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की घटना के आधार पर किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता कैसे मालूम की जा सकती है?

स्पष्टीकरण : (क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी गैर-भारतीय माता पिताओं की वही राष्ट्रीयता दर्ज कर सकते हैं जो उनके पासपोर्ट में दर्ज हो। यदि संदेह हो तो इसका पता उस पुलिस प्राधिकारी से लगाया जा सकता है जहां वह रजिस्ट्रीकृत है और उसके आधार पर आवासीय परमिट जारी किया गया है। जहां तक उन विदेशियों का प्रश्न है जो अपने को भारतीय नागरिक कहते हैं और इस पर पुलिस संदेह करती है, इस प्रकार के मामले को सुलझाने के लिए केवल यही विकल्प रह जाता है कि मामले की जांच संबंधित क्षेत्र की पुलिस से करा ली जाए।

प्रश्न : (ख) क्या सूचना देने वाले द्वारा बताई गई राष्ट्रिकता को अदालत में वैध साक्ष्य माना जाएगा?

स्पष्टीकरण : (ख) रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन कार्य करता है और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वह नियमों में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए है, हालांकि अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली जानकारी केवल जन्म और मृत्यु से संबंधित जानकारी ही होनी चाहिए।

प्रश्न : (ग) क्या रजिस्ट्रार के लिए जन्म/मृत्यु रजिस्टर में राष्ट्रिकता के बारे में प्रविष्टियां दर्ज करना अनिवार्य है?

स्पष्टीकरण : (ग) किसी व्यक्ति की राष्ट्रिकता के बारे में साक्ष्य की ग्राह्यता का निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 को ध्यान में रखते हुए किसी जज द्वारा किया जाएगा। रिकार्ड के साक्ष्य का महत्व उस सच्चाई पर निर्भर है जो परिस्थितियों में सामने आती है। अत: साक्ष्य की ग्राह्यता और रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों के साक्ष्य का महत्व हर मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा।

12. प्रश्न : समुद्री जहाजों में हुई मृत्युओं को व्यापारिक नौ-परिवहन अधिनियम, 1948 की धारा 214 के अधीन अगले बन्दरगाह पर जहाज के कैप्टन द्वारा जहाजरानी महानिदेशक को दर्ज कराई जानी है। भारतीय नागरिकों की मृत्युओं के मामले में, जहाजरानी महानिदेशक उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी रिपोर्टों की एक प्रामाणिक प्रतिलिपि उस राज्य के उचित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज देगा जिस राज्य का मृतक साधारण निवासी था। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दर्ज कराने का सही ढंग क्या है और ऐसी घटनाओं को किस स्थान पर दर्ज कराया जाना है?

स्पष्टीकरण : समुद्र में हुई सभी मृत्युओं को औपचारिक तौर पर केवल उसी स्थानीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र में दर्ज कराया जाएगा जिसका कि मृतक सामान्य निवासी था। मुख्य रजिस्ट्रार, जहाजरानी महानिदेशक से प्राप्त जहाजों में हुई मृत्युओं की प्रमाणित प्रतियों को संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार को भेजने की व्यवस्था करेगा। स्थानीय रजिस्ट्रार मृतक के निकटतम संबंधी से सभी संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद और जहाजरानी महानिदेशक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के बारे में भी विशेष टिप्पणी देते हुए उस घटना को दर्ज करेगा। ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बाद सूचनादाता को फार्म नं. 6 में उद्धरण जारी किया जाए।

धारा 8 :

13. प्रश्न : अधिनियम की धारा 8 में वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट हैं जो जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए रिपोर्ट देंगे। लेकिन फार्म सं. 1, 2 या 3 में उल्लिखित सूचनादाता के नाम से यह मालूम करना संभव नहीं

है कि क्या वह घटना की रिपोर्ट देने के लिए पात्र है या नहीं। चूंकि अब घटना के रजिस्ट्रीकरण को विधि-मान्यता है, अत: क्या यह उचित नहीं होगा कि फार्म सं 1,2 और 3 में एक कालम और जोड़ दिया जाए जिसमें संबंध का उल्लेख हो।

स्पष्टीकरण : आवासीय घटना के बारे में, धारा 8 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था कर सकता है और हो सकता है नवजात या यथास्थिति मृतक से उस व्यक्ति का कोई संबंध न हो।

14. प्रश्न : सामान्यत: जहाजरानी महानिदेशक से समुद्री जहाज में हुई मृत्यु के बारे में रिपोर्ट काफी देर से प्राप्त होती है। क्या ऐसी घटनाओं को अधिनियम की धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा?

स्पष्टीकरण : जहाजरानी महानिदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उस श्रेणी में नहीं आता है जिसमें घटनाएं भूमि पर घटती हैं। भूमि पर घटने वाली घटनाओं के लिए अधिनियम में कुछ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अत: जहाजरानी महानिदेशक द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में धारा 13 लागू नहीं होती।

15. प्रश्न : किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के साथ मृत्यु रिपोर्ट भेजी है लेकिन मृत्यु रिपोर्ट में मृत्यु की तारीख 9.6.75 और 14.6.75 के बीच दी गई है। मृत्यु की निश्चित तारीख मालूम नहीं है क्योंकि मृतक 9.6.75 से लापता था और उसका शव 14.6.75 को प्राप्त हुआ। पुलिस अधिकारी ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर 14.6.75 को हस्ताक्षर किये। अत: इन परिस्थितियों में क्या रजिस्टर में मृत्यु की तारीख 9.6.75 और 14.6.75 के बीच लिखना पर्याप्त होगा क्योंकि कोई भी मृत्यु होने की वास्तविक तारीख नहीं बता सकता।

स्पष्टीकरण : इस बात की संभावना हो सकती है कि इस प्रकार की मृत्यु की विस्तृत जांच की जाए और ऐसे मामलों में सामान्यत: शव परीक्षा की जाती है और शव परीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु की संभावित और वास्तविक तारीख का स्पष्ट उल्लेख होता है।

16. प्रश्न : एक जहाज उसमें सवार सभी व्यक्तियों सहित बीच समुद्र में डूब गया है और किसी व्यक्ति से भी यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इसकी सूचना अगले बन्दरगाह पर दे दे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शिपिंग मास्टर, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, सरकारी नौवहन कार्यालय, वेल्लार्ड इस्टेट, बम्बई-1 के मृतक की पत्नी को भेजे गए पत्र के आधार पर मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण किया जाए जिसे आवेदक द्वारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, उक्त पत्र से यह प्रतीत होता है कि मृतक जूनागढ़ जिले का है इससे यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक मृत्यु को ''दीव'' में क्यों रजिस्टर करवाना चाहता है?

स्पष्टीकरण : अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की दशा का वर्णन नहीं है जबकि जहाज का प्रभारी, जहाज के नाविक और अन्य सभी व्यक्तियों के साथ समुद्र में डूब जाता है और दुर्घटना के बारे में सूचना देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है। नियम 6 यह बताता है कि धारा (8) की उपधारा 8(1) के अधीन जानकारी अगले बन्दरगाह पर जहाज के कप्तान द्वारा दी जाएगी। लेकिन इस मामले में जहाज का कप्तान बचा नहीं है। शिपिंग मास्टर, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, सरकारी नौवहन कार्यालय और मृतक की पत्नी द्वारा प्राप्त

जानकारी को ठीक समझा जाए क्योंकि ऐसी मृत्यु की जानकारी केवल मृतक की पत्नी या उसके उत्तराधिकारी ही दे सकते हैं । यद्यपि धारा 8 की उप धारा (1) के अनुसार ऐसी जानकारी राज्य के रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए, तथापि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन अन्य प्राधिकारी को किया जा रहा है तो उसके द्वारा भी रजिस्ट्रीकरण किए जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन सामान्यत: इस प्रकार का रजिस्ट्रीकरण उस स्थान पर ही किया जाना चाहिए जिस स्थान का मृतक निवासी था ।

ऐसी स्थिति में जब पूरा जहाज समुद्र में डूब जाता है तो मृतक के किसी भी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा ही मृत्यु की घटना को दर्ज कराने की संभावना हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में इस घटना को सही मानना चाहिए । ऐसी घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण उस स्थान पर ही किया जाना चाहिए जिस स्थान का मृतक निवासी था।

इस मामले में, दीव के अपर जिला रजिस्ट्रार, जिन्हें कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रार्थना प्राप्त हुई है, पार्टी को यह सलाह दें कि वह गुजरात राज्य के संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार से सम्पर्क स्थापित करें ।

17. प्रश्न : यह स्पष्ट किया जाए कि क्या कस्बों में अस्पतालों में हुए जन्मों को उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार, जिसमें अस्पताल स्थापित है, द्वारा दर्ज किया जाएगा या संबंधित परिवारों के सामान्य निवास स्थान पर ऐसी घटनाओं को रजिस्टर कराना है?

स्पष्टीकरण : अस्पताल में हुई घटनाएं उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज की जाएंगी जिस क्षेत्र के अन्तगर्त यह अस्पताल आता है। ऐसी घटनाएं सामान्य निवास स्थान पर दर्ज नहीं की जाएंगी क्योंकि रजिस्ट्रीकरण घटना होने के स्थान पर किया जाना है।

18. प्रश्न : क्या जहाजरानी महानिदेशक, बम्बई द्वारा दी गई मृत्युओं की सूचनाएं स्थानीय रजिस्ट्रार को भेजी जानी हैं या ऐसी घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए केवल रिपोर्टों की प्रतियां भेजी जानी हैं और मूल रिपोर्ट को मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्थायी रिकार्ड के लिए रखा जाए ?

स्पष्टीकरण : जहाजरानी महानिदेशक से प्राप्त मृत्यु की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां (मूल रुप में) संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रारों को भेज दी जानी चाहिएं । इससे रजिस्ट्रार को रिपोर्ट को रजिस्टर के अभिन्न भाग के रूप में रखने में सहायता मिलेगी। मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय को केवल ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की रिकार्ड रखें और उसे संबंधित रजिस्ट्रारों को भेजनी चाहिए।

19. प्रश्न : संस्थागत घटनाओं की विलम्बित रिपोर्टिंग के मामले में ऐसी घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 से यह ज्ञात होता है कि किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत घटना की जानकारी रजिस्ट्रार को देने का उत्तरदायित्व धारा 8(1)(ख) के अधीन भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधि कृत अन्य व्यक्ति का है। अत: संस्थागत घटनाओं की विलम्बित रिपोर्ट के लिए अस्पताल के संबंधित भारसाधक अधि कारी को उत्तरदायी ठहराया जाए और अधिनियम की धारा 13 के अधीन वांछित सभी औपचारिकता को पूरा किया

जाए। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारी को अधिनियम की धारा 23 और 24 के अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार दण्डित भी किया जा सकता है।

20 . प्रश्न : किसी व्यक्ति विशेष ने तारीख 26.6.76 और 2.7.76 के बीच की अवधि के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या की । मृत्यु समीक्षक अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि मृतक व्यक्ति की केवल 18.7.76 को ही पहचान की गई थी। जब उसने मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए सूचना दी तो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित विलम्ब-शुल्क की मांग की गई । क्या ऐसे मामले में विलम्ब शुल्क लेने का औचित्य है?

स्पष्टीकरण : यदि वास्तविक तारीख मालूम नहीं है तो यह कहना उचित नहीं होगा कि सूचना देने में देरी की गई है। चूंकि रिपोर्ट सरकार के पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा दी गई है, अत: संबंधित रजिस्ट्रार को यह सलाह दी जाए कि इस विषय में नियम की सख्ती से व्याख्या न की जाए और ऐसी घटना, टिप्पणी कालम में उचित टिप्पणी के साथ दर्ज की जानी चाहिए ।

21. प्रश्न : (।) संस्थानों (।।) और पुलिस प्राधिकारियों से विलम्बित रिपोर्टिंग पर विलम्ब शुल्क लेना आवश्यक है? यदि हां तो ऐसे मामलों में कौन शुल्क देगा?

स्पष्टीकरण : यदि किसी संस्थान या पुलिस स्टेशन या बैरक का प्रभारी अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपेक्षित निर्धारित समय के दौरान घटना की रिपोर्ट नहीं देता है तो उसे विलम्ब शुल्क देना है और यहां तक कि अधिनयम की धारा 23 की उप धारा (1) के अधीन उपबंधित शास्ति के लिए भी उत्तरदायी है।

22. प्रश्न : कतिपय संस्थान जन्म या मृत्यु की सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अवधि के अंतिम दिन भेजते हैं और रजिस्ट्रार के लिए संभवत: उसी दिन सभी घटनाओं को दर्ज करना असंभव है। यदि उससे अगला दिन या अगले कुछ दिन छुट्टी के हैं, तो रजिस्ट्रीकरण करने में और भी देरी हो जाती है। क्या ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क का भुगतान किया जाना है?

स्पष्टीकरण : ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि घटनाओं की सूचना निर्धारित अवधि में दी गई है। रजिस्ट्रीकरण छुट्टियों के बाद अगले कार्य दिवस में किया जा सकता है।

23. प्रश्न : अधर्मज जन्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कानून में किसी विशिष्ट व्यवस्था के अभाव में क्या स्थानीय रजिस्ट्रार धर्मज जन्मों के अनुसार ही रजिस्ट्रीकरण की प्रणाली को अपना सकता है?

क्या पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के फार्म सं. 11 (जन्म रजिस्टर) का फुट नोट 1 कानून के समतुल्य है?

अधिनियम की धारा 7(2) में यह उपबंधित है कि रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा। अधर्मज जन्मों और संदिग्ध मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण के मामले में विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया मार्गदर्शन किया जाए।

स्पष्टीकरण : धर्मज और अधर्मज जन्मों के रजिस्ट्रीकरण की समान प्रणाली है। किसी अधर्मज जन्म की

प्रविष्टि के मामले में रजिस्टर में उसके टिप्पणी कालम में ''अधर्मज'' शब्द भी लिखा जाना है। तथापि, पिता के रूप में किसी भी व्यक्ति का नाम उस समय तक नहीं लिखा जाए जब तक कि इस बारे में पुरुष और महिला की संयुक्त रुप से प्रार्थना न हो। इस बारे में राज्य नियमों के फार्म सं. 11 की तल टिप्पणी में ऐसे मामलों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार का मार्गदर्शन किया गया है। चूंकि फार्म 11 अधिनियम के अधीन तैयार किए गए नियमों का भाग है अत: तल टिप्पणी कानून के समतुल्य है।

अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाली जन्म/मृत्यु की घटना के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 21 के अधीन यथा उपबंधित किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिसर में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इत्तिला जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा । जहां तक अधर्मज जन्मों और संदिग्ध मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार की संरक्षा सुनिश्चित करने की समस्या का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता 1860 के अर्थ में लोक सेवक है और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 की धारा 28 (1) में यथा उपबंधित जब रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों में से किसी कर्त्तव्य का पालन कर रहा हो, उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

24. प्रश्न : केरल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1970 के नियम 6(2) के अनुसार उन मृत्युओं के बारे में जो अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) के अन्तर्गत नहीं आती हैं जिनमें मृत्यु की समीक्षा की गई है, घर में की गई आत्महत्या के बारे में जो यह शंका उठाई गई है कि यद्यपि मृत्यु की समीक्षा करनेवाले अधिकारी से कहा गया कि वह मामले की रिपोर्ट दे, उत्तर में उसने कहा कि नियम 6(2) के अनुसार और चूंकि घटना घर में हुई है अत: इसकी रिपोर्ट धारा 8(1)(क) में वर्णित व्यक्ति द्वारा ही दी जाएगी। कृपया आवश्यक स्पष्टीकरण दें।

स्पष्टीकरण : इस मामले में, परिवार के मुखिया का यह कर्त्तव्य है कि वह मृत्यु के बारे में रिपोर्ट दें। इस मामले में केरल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1970 का नियम 6(2) लागू नहीं होगा। तथापि मृत्यु की समीक्षा करने वाले अधिकारी से अधिनियम की धारा 10 (1) (iii) के अधीन यह कहा जा सकता है कि वह राज्य नियम के नियम 7 में यथाविहित तरीके से रजिस्ट्रार को मृत्यु की सूचना दें।

25. प्रश्न : क्या परिवार के मुखिया को यह अनुमति दी जाए कि वह जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विहित प्ररूप में स्थानीय रजिस्ट्रार को डाक द्वारा सूचना भेजे?

स्पष्टीकरण : इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि परिवार के मुखिया घर में हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना, यदि विवरण विहित रिपोर्टिंग प्ररुप 1, 3 और 2 में क्रमश: जीवित-जन्म, मृत जन्म अथवा मृत्यु के बारे में है, डाक द्वारा रजिस्ट्रार को दें। इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में रजिस्टर के कैफियत कॉलम में टिप्पणी दे दी जाए कि यह रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है।

26. प्रश्न : मछुआरों के समुद्र में लापता हो जाने की रिपोर्ट मिलने पर क्या उन्हें मृत माना जा सकता है? यदि हां तो ऐसे मामलों का किस प्रकार रजिस्ट्रीकरण किया जाए?

स्पष्टीकरण : मछुआरे समुद्र में डूब गए हैं या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर है। यदि व्यक्तियों के समुद्र में वस्तुतः डूब जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनके आधार पर यह नतीजा निकलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें मृत माना जाए। जहां तक मृत्यु की अवधारणा का प्रश्न है, ऐसी अवधारणा गुम होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के अवसान पर ही की जा सकती है।

27. प्रश्न : निम्नलिखित परिस्थितियों में जन्म/मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए कौन जिम्मेदार है :

(1) यदि अस्पताल में जुड़वां बच्चों का मामला भर्ती किया जाता है जिसमें पहला बच्चा अस्पताल से बाहर पैदा होता है और दूसरा बच्चा कुछ समय के पश्चात अस्पाल में पैदा होता है।

(2) यदि अस्पताल से बाहर पैदा हुआ पहला बच्चा माता के साथ अस्पताल में नहीं लाया गया तथा बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है।

(3) यदि प्रसव अस्पताल से बाहर होता है और बाद में किन्हीं प्रसविक पेचीदगियों में नवजात शिशु के साथ माता को अस्पताल में भर्ती किया जाता है।

(4) यदि रोगी को मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया।

स्पष्टीकरण : उक्त सभी चार परिस्थितियों में जन्म/मृत्यु अस्पताल से बाहर हुई है। अतः यह अस्पताल प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वह घटना की रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दे। तथापि, उक्त (1) के मामले में जब भी दूसरे शिशु के बारे में रिपोर्ट दर्ज करें तो टिप्पणी कॉलम में यह भी उल्लेख करें कि ये जुड़वां बच्चे हैं और पहले बच्चे का जन्म अस्पताल से बाहर हुआ।

28. प्रश्न : किसी परित्यक्त बच्चे के जन्म की घटना के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जाए और क्या ऐसे बच्चे के माता-पिता का नाम सुसंगत कॉलम में दर्ज किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : किसी परित्यक्त बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) में विहित कार्यविधि के अनुसार किया जाए। जन्म रजिस्टर में ऐसे बच्चे के माता पिता से संबंधित प्रविष्टि या तो ''अज्ञात'' होनी चाहिए या वास्तविक स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। वास्तविक माता-पिता (अर्थात पिता और माता) के स्थान पर गोद लेने वाले माता पिता का नाम दर्ज नहीं करना चाहिए।

धारा 12 :

29. प्रश्न : क्या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है जो लापता हो और जिसके लापता होने में बारे में पिछले 7 वर्षों से कोई जानकारी नहीं है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 2(ख) के अनुसार ''मृत्यु'' से जीवित जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है। इस अधि नियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मामले में यह प्रश्न उठेगा कि क्या मृत्यु अधिनियम में यथा परिभाषित तौर पर हुई है? संदर्भित टिप्पणी के अनुसार मृत्यु रजिस्टर में भरी जाने वाली प्रविष्टियों और टिप्पणी में उल्लिखित अन्य तथ्यों को

देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु रजिस्टर में इन कॉलमों को केवल ''सबूत के भार'' के आधार पर ही भरा जा सकता है।

30. प्रश्न : अस्पतालों में हुई ''मेडिको लीगल'' मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी?

स्पष्टीकरण : अस्पताल में हुई ''मेडिको लीगल'' मामलों में अस्पताल प्राधिकारियों/चिकित्सकों को चाहिए कि वे पुलिस प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र लेने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित रजिस्ट्रार को विवरण सहित सूचित करें । इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय रजिस्ट्रार मृत्यु की घटना को मृत्यु का कारण कॉलम भरे बिना रजिस्टर कर सकता है और कैफियत कॉलम में यह टिप्पणी दे सकता है ''मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रतीक्षित'', ''मृत्यु का कारण'' मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत भर दिया जाए।

31. प्रश्न : धारा 12 के अनुसार जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उक्त व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी। चिकित्सा संस्थानों में हुए जन्म और मृत्युओं के बारे में भारसाधक चिकित्सा अधिकारी सूचनादाता है। कुछेक रजिस्ट्रारों ने यह शंका अभिव्यक्त की है कि क्या ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को उद्धरण देना जरूरी है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अनुसार '' जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी''। चूंकि संस्थागत घटनाओं के मामले में धारा 8 (ख) के अधीन भारसाधक चिकित्सा अधिकारी सूचनादाता है, अत: उद्धरण उसे दिया जाना चाहिए जो उद्धरण को नवजात शिशु अथवा यथास्थिति मृतक के माता-पिता या संबंधितों को भेजेगा।

32. प्रश्न : क्या अधिनियम के अधीन जन्म प्रमाण पत्र के पीछे परिवार नियोजन और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी नारे छपवाना अनुज्ञेय हैं?

स्पष्टीकरण : जन्म प्रमाण पत्र को प्रचार का माध्यम बनाना वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह विधिक दस्तावेज है।

33. प्रश्न : धारा 12 में रजिस्ट्रार को जन्म मृत्यु से संबंधित रजिस्टरों से अपने हस्ताक्षर सहित निर्धारित विवरणों के उद्धरण जारी करने का अधिकार दिया गया है। जीवन बीमा निगम आदि मृत्यु प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां देने पर बल दे रहे हैं और वे प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अत: आजकल आम जनता प्रमाण पत्रों की एक से अधिक प्रतियों की मांग कर रही हैं। इस प्रकार के मामलों में क्या किया जाए?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 12 में केवल उद्धरण जारी करने का प्रावधान है, तथापि यदि एक से अधिक प्रतियां मांगी जाती हैं तो अधिनियम की धारा 17 के अधीन निर्धारित फीस की अदायगी करने पर उद्धरण की प्रतियां वांछित संख्या में दी जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी किये गये उद्धरण का साक्ष्य महत्व होता है और उससे वही प्रयोजन सिद्ध होता है जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन उद्धरण से होता है।

34. प्रश्न : क्या रजिस्ट्रार द्वारा फार्म संख्या 6 में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण के बारे में एक कॉलम जोड़ा जा सकता है?

स्पष्टीकरण : चूंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 17 के अधीन उद्धरण मांगने वाले व्यक्ति को मृत्यु का कारण नहीं बता सकता, अत: फार्म संख्या 6 में यह सम्मिलित नहीं है।

35. प्रश्न : धारा १२ में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या 9 के अधीन इत्तिला दी है। क्या धारा 13 के अधीन विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के मामले में किसी व्यक्ति को मुफ्त उद्धरण दिये जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 में यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 8 या 9 के अन्तर्गत इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मुफ्त उद्धरण दिये जाएंगे । अत: इस धारा के उपबंध धारा 13 के मामले में लागू नहीं होते हैं। अत: अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मुफ्त उद्धरण नहीं दिये जा सकते।

36. प्रश्न : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 12 में यह प्रावधान हैं कि जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही रजिस्ट्रार जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर में से निर्धारित विवरणों के उद्धरण अपने हस्ताक्षर सहित देगा। इसके अलावा धारा 17(2) में भी यह प्रावधान है कि बाद में भी फीस का भुगतान करने पर जन्म और मृत्यु रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त किए जा सकते है और इस प्रकार का प्रमाण-पत्र उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि सम्बद्ध हो, साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा । क्या ऐसे उद्धरण को पैतृक, सन्तान संबंधी और वैवाहिक संबंध से उत्पन्न किसी नागरिक के जन्म या मृत्यु या उसकी हैसियत साबित करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टरों की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रुप में ग्राह्य हैं, तथापि, ये प्रविष्टियां जन्म या यथास्थिति मृत्यु का निर्णायक साक्ष्य होती हैं। अन्य विवरण जिनके बारे में संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती या जिनकी जांच करने का कोई साधन नहीं है, उन्हें निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के लिए पिता का नाम माता द्वारा बताया जाता है तो सम्बद्ध पार्टी द्वारा एक तरफा बयान होने के कारण इसे पैतृत्व का निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

37. प्रश्न : क्या धारा 12 के अधीन दिए गए उद्धरण का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत वही साक्ष्य महत्व है जो महत्व धारा 17 के अधीन दिए गए उद्धरण का है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 17 के अधीन प्रमाणित उद्धरण विधिक विवाद या न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजनों के उपयोग के लिए आशयित हैं। तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 में बताए गए तरीके से प्रमाणित दस्तावेज धारा 77 के अधीन हैं ''लोक दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सबूत या प्रतियां जिनके लिए तात्पर्चित हैं उन लोक दस्तावेजों के भागत: सबूत'' के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य हैं।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अधीन लोक दस्तावेज की किसी भी प्रति में सबसे नीचे यह प्रमाण पत्र लिखा होगा कि यह ऐसे दस्तावेज, या यथास्थिति उसके किसी भाग की, सही प्रतिलिपि है और इस प्रकार के प्रत्येक

प्रमाण-पत्र पर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे और हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम और पदनाम की मोहर लगाई जाएगी। यह हस्ताक्षर अधिकारी द्वारा तभी किए जाएंगे जब उसे विधि द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

लेकिन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अधीन जारी किए जाने वाले जन्म और मृत्यु रजिस्टर की विहित विशिष्टयों के उद्धरण मुख्यत: रिकार्ड के लिए होते हैं और वे शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश जैसे न्यायेतर प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 17 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के संबंध में फीस वसूल की जा सकती है। तथापि, यदि प्रशासनिक मंत्रालय यह वांछा करता है कि धारा -12 के अधीन जारी उद्धरण से वही प्रयोजन पूरा होता है जो धारा 17 के अधीन दी गई प्रति से होता है तो वह नियमों में इस आशय की व्यवस्था करके कर सकता है, अर्थात् धारा 12 के अधीन दिए गए उद्धरण के नीचे यह प्रमाण पत्र दिया जाए कि यह ऐसे दस्तावेज की सही प्रतिलिपि है और ऐसे प्रत्येक प्रमाण पत्र पर अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर करके अपने नाम, पदनाम और कार्यालय की मोहर लगाई जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो धारा 12 के अधीन जारी उद्धरण भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अर्थ में प्रमाणित प्रति मानी जाएगी, लेकिन धारा 12 के अधीन प्रतियां जारी करने के लिए कोई फीस नहीं ली जा सकेगी।

38. प्रश्न : क्या मृतक की आयु भी मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्शायी जानी है?

स्पष्टीकरण : यह वांछनीय नहीं है कि मृतक की आयु मृत्यु प्रमाण पत्र (फार्म सं. 6) में दर्ज की जाए। मृत्यु रजिस्टर में आयु का कॉलम केवल सांख्यिकी प्रयोजनार्थ दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन के लिए मृतक की आयु प्रमाणित करना चाहता है तो उसे मृतक का जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृतक की आयु से संबंधित कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

39. प्रश्न : क्या जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म/मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में भी जारी किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण : जन्म/मृत्यु रजिस्टरों से उद्धरण केवल उसी भाषा में जारी किए जाने हैं जिस भाषा में रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई हैं।

40. प्रश्न : क्या अधिनियम और राज्य नियमों के उपबंधों के अधीन मृत जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार ''जन्म'' शब्द से जीवित जन्म या मृत जन्म अभिप्रेत है। अत: मृत जन्म प्रमाण-पत्र रजिस्टर (प्ररूप सं. 3) के उद्धरण प्ररूप सं. 5 में उचित परिवर्तन करके जारी किए जा सकते हैं कि जानकारी मृत जन्म के मूल रिकार्ड से ली गई है..... ''जन्म'' शब्द के स्थान पर उक्त प्ररूप में मृत जन्म की तारीख और मृत जन्म का स्थान दिया जाए।

41. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घटनाओं के संबंध में भी धारा 12 के अधीन जन्म/मृत्यु के उद्धरण नि:शुल्क दिए जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 12 में धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला देने वाले व्यक्ति को नि:शुल्क उद्धरण देने की व्यवस्था है। अत: इस धारा के उपबंध धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घटना पर लागू नहीं होते।

42. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु के उद्धरण उस भाषा से भिन्न भाषा में जारी किए जा सकते हैं जिसमें संगत रजिस्टर रखा जाता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टर के उद्धरण उसी भाषा में जारी किए जाने चाहिएं जिस भाषा में रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई हैं। तथापि, यदि रजिस्ट्रार ऐसे उद्धरणों की प्रति अन्य भाषा में भी जारी करता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसी प्रति के सबसे ऊपर ''अनूदित रूपांतर'' लिख देना चाहिए।

धारा 13 :

43. प्रश्न : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अनुसार किसी निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद विलम्ब शुल्क का भुगतान किए जाने पर घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण भी संभव है। देश के कुछ भागों से यह पता चला है कि दंगे, फसाद और कर्फ्यू आदि लग जाने अथवा इसी प्रकार की अन्य स्थितियों के कारण जन्म और मृत्यु की घटनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सका। कुछ मामलों में तो घटनाओं को दो महीने से भी अधिक की अवधि में दर्ज नहीं किया जा सका। क्या ऐसी स्थिती में अधिनियम की धारा 13(1) और इसी प्रकार के राज्य नियमों के अधीन विलम्ब शुल्क की अदायगी को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है? क्या राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा शुल्क हटाये जाने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : धारा 13 में निर्धारित किए जाने वाले विलम्ब शुल्क के भुगतान का प्रावधान है। इस धारा या अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें विलम्ब शुल्क की अदायगी से किसी प्रकार की छूट दी गई हो। धारा 30 के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इस धारा की उप धारा (2) के खण्ड (1) के अनुसार धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए देय शुल्क के लिए नियम बनाने का प्रावधान है। अत: स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 13(1) में सम्मिलित विधायी आशय यह है कि विलम्बित सूचना के लिए विलम्ब शुल्क की अदायगी की जाएगी, परन्तु इस फीस की सीमा अधि नियम की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अवधि के बाद देर से जानकारी देने के मामले में किन्हीं भी परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क के भुगतान को माफ करने के लिए अधिनियम की कोई व्यवस्था नहीं है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नियमों में छूट देने के लिए कोई प्रावधान किया जा सकता है? इस संबंध में कानूनी दृष्टि से यह माना गया है कि ऐसे अधीनस्थ विधान अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। देखें उत्तर प्रदेश सरकार बनाम चमन लाल (ए.आई. आर. 1955 एस. सी. 435)। अधीनस्थ विधान कानून से बाहर नहीं हो सकता। देखें असम सरकार बनाम किदवाई क्1957 एस. सी. आर. 295(317)द्व। इन मामलों में न तो अधिनियम में ही छूट देने संबंधी कोई प्रावधान है और न ही उसमें छूट देने संबंधी नियम बनाने का कोई अधिकार। यदि किसी विशेष मामले में शुल्क के भुगतान के बारे में कानूनी व्यवस्था हो, तो ऐसे शुल्क के भुगतान से छूट के लिए प्रावधान करना अनिवार्य तथा विधायी कार्य बन जाता है। इसे भी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता जब तक कानून में ऐसी नीति निर्धारित न हो और ऐसे मामलों की

श्रेणी या श्रेणियां और परिस्थितियां उल्लिखित न हों जिनके अनुसार छूट दी जा सकती हो। चूंकि ऐसे मामलों में कानून में कोई प्रावधान नहीं है, अत: नियमों में छूट देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग जैसा कि धारा 30(1) में उल्लिखित है, ऐसे नियम बनाने के लिए नहीं किया जा सकता जिसकी अधिनियम में परिकल्पना नहीं की गई और न ही इसके लिए अधिनियम प्राधिकृत करता है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए जैसा कि इस समय कानून है, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को छूट देने की शक्ति नहीं है, न ही इस संबंध में किसी शक्ति के प्रयोग की कोई गुंजाइश है।

44. प्रश्न : कुछ राज्य सरकारों का ''रजिस्ट्रीकरण सप्ताह'' आयोजित करने का विचार है। उनका यह विचार है कि इस प्रकार के अभियान से कुछ प्रभाव अवश्य होगा और अधिक से अधिक लोगों को रजिस्ट्रीकरण के बारे में पता लगेगा। इस अभियान के उद्देश्य को देखते हुए रजिस्ट्रीकरण सप्ताह के दौरान राज्य सरकार का विलम्ब शुल्क की अदायगी से छूट देने का विचार है। तथापि अधिनियम में किन्हीं भी परिस्थितियों में निर्धारित अवधि के बाद विलम्ब से प्राप्त रिपोर्ट पर विलम्ब शुल्क को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन परिस्थितियों में यह सुझाव दिया जाए कि राज्य सरकारों द्वारा ''रजिस्ट्रीकरण सप्ताह'' किस प्रकार से आयोजित किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि विलम्ब शुल्क के भुगतान के बिना देरी से रजिस्ट्रीकरण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 में ऐसे विलम्ब शुल्क का भुगतान करने का उल्लेख किया गया है जो नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। तथापि, रजिस्ट्रीकरण सप्ताह आयोजित किए जाने की अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं को विलम्ब से दर्ज कराने के लिए 5 पैसे या 10 पैसे की नाममात्र राशि निर्धारित करना अनुज्ञेय होगा और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा के अधीन नियम बनाकर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है।

तथापि, धारा 13 की उप धारा (3) के अधीन कुछ कठिनाइयों के उत्पन्न हो जाने की संभावना है । जन्म या मृत्यु की कोई घटना जिसे जन्म और मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत नहीं करवाया गया है, उसको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है । इस उपबंध को देखते हुए इस प्रकार के देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्णय लिया जाना है और मजिस्ट्रेट के सामने इस प्रकार की कार्यवाही में समय लगना स्वाभाविक है। अत: इस पहलू की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उक्त के अलावा देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक मामले में अधिनियम की धारा 23(1) और (4) के अन्तर्गत दण्ड का भी प्रावधान है। तथापि, धारा 24 मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह 50 रु. से अनधिक प्रशमन फीस लेकर अपराध का प्रशमन कर सकता है । अत: इसे ध्यान में रखते हुए ''सप्ताह'' के दौरान देरी से रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति से कुछ प्रशमन करने वाली फीस तो लेनी ही होगी जो कि नाममात्र फीस हो सकती है।

उक्त सप्ताह के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण का दुरुपयोग

न किया जा सके जो कि सरकारी सेवा में अनुकूल लाभ पाने के उद्देश्य से जन्म की गलत तारीख दर्ज करवा कर लिया जा सकता है।

45. प्रश्न : किसी व्यक्ति ने धारा 13(1) के अधीन विलम्ब शुल्क का भुगतान करके घटना के 29वें दिन रजिस्ट्रार को सूचना दी। रजिस्ट्रार ने प्राप्ति की तारीख से 6 दिन के बाद घटना को दर्ज किया । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या उक्त घटना के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को कोई जुर्माना देना होगा और जिला रजिस्ट्रार से लिखित अनुमति लेनी होगी?

स्पष्टीकरण : धारा 13(2) के उपबंध तभी लागू होते हैं जब रजिस्ट्रार को जानकारी 30 दिन के बाद दी जाती है।

46. प्रश्न : मुख्य रजिस्ट्रार, केरल के ध्यान में एक घटना आई है जहां पर एक व्यक्ति ने घटना की सूचना उस घटना के 10 महीने के बाद रजिस्ट्रार को दी थी। जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) के अनुसार इस संबंध में राज्य नियम की नियम 10(2) के अनुसार इस घटना को दर्ज करने के लिए जिला रजिस्ट्रार की मंजूरी की आवश्यकता है। सूचनादाता को जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति लाने को कहा गया। जब तक सूचनादाता द्वारा नियम 10(2) के अन्तर्गत लिखित मंजूरी पेश की गई तब तक एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई थी और इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु अधिनियम की धारा 13(3) और राज्य नियम 10(3) के अनुसार इस घटना को दर्ज करने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है जिससे पार्टी को काफी असुविधा होती। ऐसी असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत है :-

रजिस्ट्रार इस घटना के ब्यौरे सूचनादाता के हस्ताक्षरों और अपने हस्ताक्षरों के बिना जिला रजिस्ट्रार से अन्तिम लिखित अनुमति मिलने पर दर्ज कर ले जब तक इस संबंध में आवश्यक प्रतिक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न हो जाएं। इस प्रकार की अन्तिम अनुमति हस्ताक्षरों को छोड़कर विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियां करने के लिए पर्याप्त होगी। उपर्युक्त पद्धति के अनुसार यदि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाती है तो धारा 10(3) इस पर लागू नहीं होगी। तथापि, जिला रजिस्ट्रार से अंतिम मंजूरी प्राप्त हो जाने पर रजिस्टर में हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है। यदि जिला रजिस्ट्रार की मंजूरी नहीं मिलती है तो प्रविष्टि को काट दिया जाएगा।

इस बात का स्पष्टीकरण किया जाए कि क्या उक्त पद्धति अपनाई जा सकती है? यह भी बताया जाए कि क्या इसके लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण निमय, 1970 के नियम 10(2) में संशोधन करना होगा, अथवा राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा इस पद्धति को अपनाया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : यह नोट किया जाए कि केरल जन्म और मृत्यु नियम 1970 के नियम 10 के उप नियम (1), (2) और (3) केवल विलम्ब शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के अलावा जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप धारा (1), (2) और (3) आवश्यक परिवर्तन सहित उनके अनुरूप ही है। नियम 10(3) और धारा 13(3) में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी जन्म अथवा मृत्यु जो जन्म और मृत्यु होने की एक वर्ष की अवधि में रजिस्टर नहीं करवाई गई है, तो उसे निर्धारित श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने पर और निर्धारित विलम्ब शुल्क के भुगतान के बाद रजिस्टर करवाया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 13 की उप धारा (1) और (2) जन्म अथवा मृत्यु के बारे में जानकारी देने के बारे में है जबकि उप धारा (3) में रजिस्ट्रीकरण संबंधी निर्धारित अवधि का उल्लेख

किया गया है। अधिनियम में ''रजिस्ट्रीकरण'' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 11 में उस पद्धति का उल्लेख है जिसके अनुरूप यह किया जाएगा। यदि एक बार उक्त कार्रवाई पूर्ण हो जाती है तो यह कहा जा सकता है कि जन्म अथवा मृत्यु दर्ज कर ली गई है। सूचनादाता और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षरों के बिना संबंधित कॉलमों को मात्र भर लेने से अधिनियम की धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण पूरा नहीं समझा जाएगा और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धारा 13 की उप धारा (3) के प्रयोजनार्थ जन्म अथवा मृत्यु रजिस्टर कर ली गई है। धारा 13(2) में जानकारी देने और रजिस्टर करने में अन्तर स्पष्ट किया गया है और घटना को रजिस्टर करने से पूर्व निर्धारित प्राधिकारी की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यदि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया एक वर्ष की अवधि में पूरी नहीं होती है तो उप धारा (3) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। जिला रजिस्ट्रार द्वारा अन्तिम अनुमति देने का न ही अधि नियम और न ही नियमों में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 13(2) और नियमों के नियम 10(2) में केवल निर्धारित प्राधिकरण से केवल एक प्रकार की लिखित अनुमति लेने का प्रावधान है और इस प्रयोजनार्थ जिला रजिस्ट्रार जो निर्धारित प्राधिकारी है, अनुमति दे सकता है। यदि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो नियम 10(3) लागू होगा। अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) और उप धारा (3) में उल्लिखित प्रावधानों को देखते हुए नियम 10(2) में संशोधन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। इसका समाधान धारा 13(2) के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकरण द्वारा मामले का शीघ्र निपटान करके या अधिनियम में उचित संशोधन करके किया जा सकता है।

47. प्रश्न : 1 अप्रैल, 1974 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हो जाने से पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के नियम 10(3) के अधीन शक्ति को इस्तेमाल करने का प्राधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए। चूंकि अधिनियम की धारा 13(3) में केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया गया है अत: इस प्राधिकार का उपयोग केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जा सकता। यह भी बताया जाए कि क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करना आवश्यक होगा अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा अपेक्षित उचित मजिस्ट्रेट निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1972 के नियम 10(3) में केवल संशोधन करना होगा?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप धारा (3) में यह उल्लेख किया गया है कि जन्म और मृत्यु की घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद देरी से रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु की जांच किए जाने के उपरान्त दिए गए आदेश और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

यथार्थता की जांच के कार्य में प्रमाण को सही या गलत पाया जा सकता है अथवा निर्णय तैयार करना अन्तर्ग्रस्त हो सकता है, किन्तु निर्णय से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा या दण्ड नहीं मिलेगा अथवा न ही किसी व्यक्ति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 3 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अधिक से अधिक इस कार्य को अर्ध न्यायिक कार्य कहा जा सकता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अधीन कार्य प्रशासनिक या कार्यकारी स्वरूप के माने जाते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 3 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) में यह प्रावधान है कि संहिता को छोड़कर अन्य किसी कानून के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट

द्वारा किए जाने वाले कार्य जो कि प्रशासनिक अथवा कार्यकारी स्वरूप के हों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किये जा सकते हैं। अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले कार्यों का कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है।

48. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व की घटनाओं को भी दर्ज किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु की घटनाएं जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व की हैं, उन्हें भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं में रजिस्ट्रीकरण के लिए देरी से रजिस्ट्रीकरण करवाने संबंधी धारा 13 के उपबंध लागू होंगे।

49. प्रश्न : क्या जिला सांख्यिकीय अधिकारी (जिला रजिस्ट्रार) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2), 13(3) के उपबंधों और बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1970 के नियम 10(2) के अधीन प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्य कर सकता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(3) तथा बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1970 के नियम 10(2) और (3) में जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए अनुमति देने के लिए अलग-अलग प्राधिकारियों का प्रावधान है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश की तभी आवश्यकता होती है जब जन्म और मृत्यु की घटनाओं को एक वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्टर नहीं किया जाता और इस संबंध में धारा 13(3) के उपबंध लागू होते हैं। जिला सांख्यिकीय अधिकारी, जो जिला रजिस्ट्रार होता है, को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं दी जा सकतीं क्योंकि अधिनियम में किसी अन्य व्यक्ति को ये शक्तियां प्रत्यायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

50. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अनुसार कोई भी जन्म और मृत्यु जो जन्म और मृत्यु होने के एक वर्ष की अवधि में रजिस्टर नहीं किया गया है, को अब प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु की यथार्थता की जांच किए जाने के बाद ही आदेश देने पर और निर्धारित विलम्ब शुल्क के भुगतान पर रजिस्टर किया जा सकता है। हाल ही में एक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा एक मामला इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है जहां पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश में यह कहा गया है कि इस जन्म को पति पत्नी के दत्तक पुत्र के रूप में दर्ज किया जाए। तथापि जांच के बाद यह पता लगाया गया कि विद्यमान कानून के अधीन इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। संबंधित व्यक्ति की वैधता का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जिन व्यक्तियों ने उसे अपनाया था वे अब मर चुके हैं और न ही उसके वास्तविक माता-पिता के नाम का पता लगाना संभव है। रजिस्ट्रीकरण के वास्ते प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आदेश आधार है, किन्तु इसमें संदेह हो गया है कि क्या ''दत्तक पुत्र'' के रूप में जन्म रजिस्टर किया जा सकता है जब तक दत्तक ग्रहण को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त न हो। **कृपया स्पष्ट करें?**

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित जानकारी जन्म और मृत्यु के बारे में है जैसाकि अधिनियम में उल्लिखित है। यह जानकारी वास्तविक माता-पिता द्वारा दी जानी है और इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पर्याप्त ग्रहण दिया जाना है जैसा कि धारा 13 के अधीन उल्लिखित है। उक्त को देखते हुए जन्म के बारे में प्रमाण की आवश्यकता है और उसके माता पिता

की अनुपस्थिति में उसके इलाके के निवासियों द्वारा प्रमाण देना होगा जो उसके जन्म को दर्ज किया जाना है वह एक दत्तक पुत्र का है। इस मामले में पुत्र बनाने वाले माता-पिता भी दुर्भाग्यवश मर चुके हैं और उसके वास्तविक माता-पिता का नाम पता लगाना संभव नहीं है। जबकि दत्तक पुत्र के जन्म को दर्ज करने में कोई कानूनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए तथापि यह आवश्यक है कि दत्तक पुत्र के वास्तविक माता पिता का नाम पता होना चाहिए और उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इस मामले में दत्तक पुत्र को रजिस्टर में दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसे कानूनी रूप से दत्तक पुत्र नहीं बनाया गया है। अत: उक्त को देखते हुए उसके जन्म के बारे में प्रमाण केवल वास्तविक माता-पिता अथवा उन व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है जिनको इस जन्म के बारे में जानकारी है।

51. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अधीन जन्म/मृत्यु की घटना के बारे में तथ्य का पता लगाने/जांच करने के लिए विशेष पद्धति निर्धारित करने के लिए राज्य नियमों के अन्तर्गत नियम बनाए जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : यह महसूस किया गया कि इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना उचित नहीं होगा जो मजिस्ट्रेट की विवेक शक्ति को सीमित या सीमाबद्ध करें। मजिस्ट्रेट से यह आशा की जाती है कि वे प्रत्येक मामले के गुणावगुण के तथ्यों के अनुसार न्यायिक आदेश पारित करें।

52. प्रश्न : यद्यपि राज्य नियमों के अधीन निर्धारित अवधि में पार्टियों द्वारा इन घटनाओं की सूचना दी गई थी तथापि राज्य में तलाती-सह-मंत्री, जो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है, द्वारा की गई हड़ताल के कारण जन्म और मृत्यु की घटनाएं दर्ज नहीं की जा सकीं। रजिस्ट्रार की हड़ताल को देखते हुए राज्य के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने ऐसी घटनाओं को दर्ज करने के लिए कुछ छूट देना प्रस्तावित किया है। क्या इस प्रकार की छूट जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन दी जानी संभव है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 तभी लागू होती है जब किसी जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना सूचनादाता द्वारा देर से दी जाती है अन्यथा नहीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों ने घटनाओं के बारे में जानकारी समय पर दी है और वे चूककर्त्ता नहीं हैं। विभाग में हड़ताल होने की वजह से प्राधिकारी, पार्टियों द्वारा दी गई घटनाओं की सूचना के अनुसार घटनाओं को दर्ज करने की कोई कार्रवाई न कर सके। उक्त परिस्थितियों में कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति की जन्म और मृत्यु की घटना की किसी पार्टी द्वारा सूचना न दिए जाने की दशा में ही धारा 13 लागू होती है। इस प्रकार अधिनियम के उपबंधों में किसी प्रकार की छूट दिए बिना ही प्राधिकारी पार्टी द्वारा दी गई घटनाओं को दर्ज कर सकते हैं।

53. प्रश्न : अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा घटनाओं को दर्ज करने में हुई देरी के लिए रजिस्ट्रार द्वारा विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार यदि अपेक्षित जानकारी जन्म मृत्यु की तारीख के

तीस दिन के बाद और एक साल के भीतर दी जाती है तो धारा 13(2) के उपबंध लागू होते हैं। तथापि धारा 13(3) तभी लागू होती है जब कि किसी घटना के उसके होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दर्ज न किया गया है। धारा 13 की उप धाराओं में संबंधित पार्टी द्वारा विलम्ब शुल्क के भुगतान के बारे में उल्लेख किया गया है। किसी घटना को दर्ज करने में रजिस्ट्रार से हुई देरी में विलम्ब शुल्क का भुगतान किए जाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है । तथापि किसी घटना को रजिस्ट्रार द्वारा अत्यधिक देरी से दर्ज किए जाने की दशा में दण्डित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 23(2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अपने क्षेत्राधिकार में हुई किसी जन्म या मृत्यु की घटना की बिना युक्ति संगत कारण के उपेक्षा करता है या उसे दर्ज करने से इन्कार करता है अथवा अधि नियम की धारा 19 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित कोई विवरणी भेजने से इन्कार करता है तो उसे 50 रु. जुर्माना किया जा सकता है।

54. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजि. अधिनियम, 1969 की धारा 23 शास्तिओं से संबंधित है। इस धारा की उप धारा 5 में यह उल्लेख किया गया है कि इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस संबंध में कोई मामला कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जाएगा या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में।

स्पष्टीकरण : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 3(4) में यह प्रावधान है कि जहां किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्य ऐसे मामलों से सम्बद्ध हों जो साक्ष्य का मूल्यांकन करने या उसकी छानबीन करने या ऐसे निर्णय देने जिससे किसी व्यक्ति को सजा या शास्ति या अभिरक्षा में निरोधित किया गया और अन्तत: किसी न्यायालय के आगे विचारण के लिए भेजा जाए, ऐसे सभी मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य हैं।

55. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 13(3) में यथा अधिकथित विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के उपबंधों के अधीन जन्म की कोई घटना, जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत हो सकती है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अधीन जन्म/मृत्यु की घटना उसी स्थान पर रजिस्ट्रीकृत हो सकती है जहां पर वह जन्म/मृत्यु हुई है। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीकरण संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जाना चाहिये।

56. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 13(3) के अधीन जन्म और मृत्यु के लिए विलम्ब से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की यथा विद्यमान धारा 13(3) के उपबंधों के अधीन, ऐसी घटनाओं के विलम्ब से रजिस्ट्रीकरण करने पर कोई समय सीमा नहीं है।

57. प्रश्न : अधिनियम की धारा 13 और तत्संबंधी राज्य नियमों के अधीन देय फीस वसूल करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 और 23 और तत्संबंधी राज्य

नियमों के अधीन देर/विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिरोपित फीस और शास्तियां तब तक संबंधित जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को अदा की जाएंगी जब तक कि इस प्रयोजन के लिए राज्य नियमों के अधीन किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त या प्राधिकृत नहीं कर दिया जाए।

58. प्रश्न : क्या धारा 13 के उपबंध उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें सूचनादाता द्वारा जन्मों और मृत्युओं की घटनाओं की सूचना राज्य नियमों में निर्धारित समय के अंदर दे दी जाती है लेकिन उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा उनकी सूचना देने के एक वर्ष के अन्दर रजिस्टर नहीं किया जाता?

स्पष्टीकरण : धारा 13 केवल उन मामलों में लागू होती है जिनमें सूचनादाता ऐसी घटनाओं की समय पर सूचना देने में असफल रहता है। तथापि, घटनाओं को रजिस्टर करने में रजिस्ट्रार की ओर से अनावश्यक देरी होती है तो उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 14 :

59. प्रश्न : क्या 1.7.1970 से पूर्व (अर्थात् जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने की तारीख से पहले) दर्ज किए गए बच्चे के नाम से संबद्ध कॉलम को भरा जा सकता है या नहीं?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 31(2) में दिए गए उपबंधों के अनुसार निरस्त विधि के अधीन जन्म और मृत्यु के बारे में की गई प्रविश्यिों को अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई प्रविष्टियां पृथक बनी रहेंगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए।

60. प्रश्न : क्या धारा 23(4) के अधीन किसी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है यदि वह राज्य नियमों में विहित समय के अंदर रजिस्ट्रार को बच्चे का नाम बताने में असफल रहता है ?

स्पष्टीकरण : यदि किसी बच्चे का जन्म बिना नाम के रजिस्टर किया गया है और उसके माता-पिता या अभिभावक उस बच्चे के नाम के बारे में निर्धारित 12 महीने की अवधि के बाद रजिस्ट्रार को जानकारी देता है तो रजिस्ट्रार दो रुपये के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा {आदर्श नियमों का नियम 11(1)} । यदि जानकारी किसी युक्तिसंगत कारण के बिना देरी से दी जाती है तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23(4) और तत्समान राज्य नियमों के अधीन 10 रु. तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।

धारा 15 :

61. प्रश्न : क्या अन्य प्रकार के सभी संशोधन जन्म की तारीख की तरह ही किए जाएंगे और प्रमाणित प्रतियां जारी करने के लिए भी क्या उसी प्रकार की पद्धति अपनाई जाएगी?

स्पष्टीकरण : चंडीगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1974 के नियम 12 में यह प्रावधान है कि सभी प्रकार के संशोधन, जिसमें जन्म की तारीख और प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति भी शामिल है, ससमान तरीके से किए जा सकते हैं।

चंडीगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1974 के नियम 12(4) में यह अपेक्षित है कि उक्त प्रयोग के लिए रजिस्ट्रार को विश्वासोत्पादक प्रमाण देना होगा और उसमें अधिनियम की धारा 15 के अधीन संशोधन करने के लिए विस्तृत पद्धति भी दी गई है।

62. प्रश्न : किसी व्यक्ति द्वारा एक मामला ध्यान में लाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि शल्य चिकित्सा के बाद उसकी लड़की का लिंग बदल गया है। उसने अपने इस वक्तव्य के समर्थन में उस डाक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया है जिसने बच्चे का आपरेशन किया है। अब लिंग परिवर्तन के परिणामस्वरूप उक्त बच्चे के पिता ने अनुरोध किया है कि इस बच्चे की जन्म संबंधी प्रविष्टि में आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाए। इस बात को स्पष्ट किया जाए कि क्या पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर मूल जन्म प्रविष्टियों में बच्चे का नाम और लिंग आदि संबंधी आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर जन्म रजिस्टर में नाम और लड़का/लड़की संबंधी मूल प्रविष्टि में परिवर्तन करके संशोधन करने की अनुमति दी जाती है।

63. प्रश्न : श्रीमती ''ए'' को उत्पन्न बच्चे का जन्म, बच्चे के पिता के रूप में उल्लिखित या याचिकादाता के नाम से दर्ज किया गया है। किन्तु याचिकादाता ने इस बच्चे का पिता होने से इंकार किया है। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार को क्या पद्धति अपनानी चाहिए?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह जन्म और मृत्यु रजिस्टर में संशोधन कर सकता है। इस मामले में संबंधित रजिस्ट्रार को पूछताछ करनी चाहिए और अधिनियम की धारा 15 में निर्धारित पद्धति के अनुसार आवश्यक संशोधन करना चाहिए। यदि याचिकादाता उस बच्चे की मां का विधिक पति है तो उसके विरोध को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वह पृथकता या तलाक की डिग्री प्रस्तुत नहीं करता। यदि जांच के आधार पर रजिस्ट्रार के आश्वस्त होने तक प्रविष्टि में गलती अथवा कपट की आशंका हो, तो रजिस्ट्रार नियम 12(6) यथा प्राधिकृत रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें धारा 25 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के आवश्यक ब्यौरे देकर और उससे वांछित जानकारी प्राप्त होने पर नियम 12 के विभिन्न उप नियमों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

64. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों को जन्म और मृत्यु रजिस्टर में संशोधन करने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब यह बात सामने आई है कि इस शक्ति से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं क्योंकि कुछेक रजिस्ट्रार जन्म की तारीख तक बदलने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं जो कि तीस या चालीस वर्ष पहले दर्ज किए गए थे। कुछेक मामलों में तो शैक्षिक रिकार्ड, सरकारी रिकार्ड आदि में दी गई जन्म की तारीख, जन्म संबंधी रिकार्ड में दी गई तारीख से बिलकुल भिन्न है। संबंधित पार्टी से अनुरोध प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार को जन्म की तारीख सही करनी पड़ती है। फलस्वरूप यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उन्हें अपनी नौकरी में समय की अवधि में बढ़ोतरी मिल जाती है। इस प्रकार इससे भ्रष्टाचार होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: रजिस्ट्रारों की इस शक्ति पर कोई रोक लगाना एक वास्तविक आवश्यकता है। **कृपया बताएं?**

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 में रजिस्ट्रारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जन्म या मृत्यु की किसी भी गलती को सही कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं बशर्ते कि वह प्ररूपत: या सारत: गलत हो या कपटपूर्ण या अनुचित तौर पर की गई हो। किन्तु यह स्पष्ट है कि इसमें अनेक सावधानियां भी बरती गई हैं। धारा इस प्रकार आरम्भ होती है ''यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित कर दिया जाए'' जिससे स्पष्ट है कि प्रविष्टि में केवल गलती अथवा कपट ही को सिद्ध नहीं करना है बल्कि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने तक साबित करना है। इस संबंध में रजिस्ट्रार को न्यायिक कल्प कार्य करना होगा और अपने समाधान होने तक प्रमाण की अच्छी प्रकार से जांच करनी होगी। इस संबंध में यह साबित करना होगा कि प्रविष्टि प्ररूपत: या सारत: गलत है या कपटपूर्ण या अनुचित तौर पर की गई है। इससे स्पष्ट है कि जन्म की तारीख बदलने के लिए रजिस्ट्रार को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

इसमें दूसरा बचाव यह है कि रजिस्ट्रार को ऐसी प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना होगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए नियमों के लिए पक्के प्रमाण की आवश्यकता होगी जिससे कि किसी दावे को सही माना जा सके और इस बात की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में बनाई गई क्रिया विधि का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

इसमें तीसरा बचाव यह है कि रजिस्ट्रार किसी मूल प्रविष्टि को नहीं बदलेगा परन्तु मार्जिन में संशोधन करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा संशोधित करने की तारीख डालेगा। फलस्वरूप मूल तारीख और संशोधित तारीख, दोनों ही रजिस्टर में आमने सामने होगी और उक्त प्रविष्टि की किसी भी प्रमाणित प्रति में दोनो तारीखें दी जाएंगी।

अधिनियम में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि रजिस्टर में प्रविष्टि ही जन्म और मृत्यु का एकमात्र सबूत है। अत: इस प्रकार की प्रविष्टि मात्र एक प्रमाण होगी। संशोधन के बाद जब दो तारीखें, एक मूल और एक संशोधित होगी, तो वह प्राधिकरण, जिसे किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख को देखते हुए कोई कार्रवाई करनी है, तो उस संशोधित तारीख को स्वीकार करने या उनके कार्यालय के रिकार्ड में दी गई तारीख को बदलने के लिए बाध्य नहीं होगा।

ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए भ्रष्टाचार किए जाने की संभावनाएं यदि पूर्णतया समाप्त नहीं हो जातीं तो बहुत सीमित ही प्रतीत होती हैं।

इस उपबंध द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां सख्त नियम बनाकर कम की जा सकती हैं और जन्म की तारीख को बदलने के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र के मामले में पद्धति को विस्तृत बना दिया जाए जिससे जन्म की तारीख बदलने के युक्तियुक्त प्रमाण की आवश्यकता होगी जैसा कि ऊपर पैरा-2 में दिया गया है।

65. प्रश्न : यह स्पष्ट किया जाए कि क्या ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व हुई और दर्ज की गई घटनाओं में यदि जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 की धारा लागू 28(1) में भी रजिस्टर में प्रविष्टि को बदलने के लिए इसी प्रकार का प्रावधान था?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रार राज्य के निरस्त कानून के अधीन दर्ज जन्म और मृत्यु के बारे में की गई प्रविष्टियों को रद्द करने या उनमें संशोधन करने के लिए सक्षम हैं ।

जिन राज्यों में जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन जन्म अथवा मृत्यु की घटनाओं को दर्ज किया गया है और वहां यह अधिनियम अभी भी लागू है, उस दशा में प्रविष्टियां उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संशोधित की जाएंगी।

यदि 1886 का अधिनियम निरस्त कर दिया गया है तो उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई प्रविष्टियां अब 1969 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन संशोधन की जा सकती हैं।

66. प्रश्न : विभिन्न राज्यों में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व अन्य अधिनियमों (जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अलावा) के अधीन दर्ज किए गए जन्म और मृत्युओं के बारे में प्रविष्टियों को क्या पुराने अधिनियमों/नियमों (जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अलावा) के अधीन अथवा विद्यमान 1969 के अधिनियम के उपबंधों के अधीन जब भी जनता द्वारा ऐसी प्रविष्टियों के संशोधन या रद्द करने का अनुरोध किया जाता है, रद्द या संशोधित किया जा सकता है ? इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 1969 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व राज्यों में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए (1886 के अधिनियम के अलावा) अपने अपने अधिनियम थे जैसे कि ट्रावनकोर, कोचीन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधनियम, 1953) 1953 का आठवां अधिनियम, केरल नगरपालिका अधिनियम, 1960 (धारा 324), मद्रास जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1899 (1899 का तीसरा अधिनियम) आदि जो कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) के अनुसार निरस्त हो चुके हैं।

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न राज्यों में प्रवृत्त विधि के उपबधों को निरस्त करती है। उपधारा 2 में यह उपबंधित है कि ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई 1969 के अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी की गई समझी जाएगी मानो वे उस समय प्रवृत्त थे जब वह बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए।

इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को ये शक्तियां प्रदत्त की गई हैं कि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके पास रखे गए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को संशोधित अथवा रद्द कर सकते हैं।

धारा 31(2) के उपबंधों के अनुसार निरस्त की गई विधि के अधीन जन्म और मृत्यु के बारे में की गई प्रविष्टियां अब इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई मानी जाएंगी और तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए। इसी प्रकार पुरानी प्रविष्टियों के लिए रखा गया जन्म और मृत्यु का रजिस्टर अब इस अधिनियम के अधीन रखा हुआ माना जाएगा।

उक्त को देखते हुए 1969 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन विभिन्न राज्यों में निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज की गई जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों में संशोधन और रद्द के लिए रजिस्ट्रार सक्षम हैं।

67. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 1969 की धारा 15 के अनुसार जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टियां संशोधित या रद्द की जा सकती हैं। रजिस्ट्रार को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने पास रखे जन्म और मृत्यु के रजिस्टर

में किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करें या उसे रद्द कर दें। यह तभी किया जा सकेगा जब उसके समाधान होने तक यह साबित हो जाता है कि कोई प्रविष्टि प्ररूपत: या सारत: गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है। अधिनियम की धारा 30(2)(ड.) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसरण में रजिस्टरों को जिला रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित किए जाते हैं। क्या रजिस्ट्रार 12 माह की अवधि के पश्चात, जब रजिस्टर उसके पास नहीं हैं, संशोधन अथवा रद्द करने के लिए सक्षम है या अन्य कोई अधिकारी जिसके पास रजिस्टर है उस रजिस्टर में कोई प्रविष्टि संशोधित या रद्द कर सकता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 16(1) के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रार को अपने रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र के जन्म और मृत्यु के रजिस्टर रखने होते हैं। धारा 15 के अनुसार रजिस्ट्रार को उसके पास रखे गए किसी भी रजिस्टर में जन्म और मृत्यु की प्रविष्टि संशोधित करने या रद्द करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 30(2)(3) के अनुसार किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसरण में 12 माह की अवधि के बाद उक्त रजिस्टर जिला रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित किया जाता है। राज्य सरकार की यह राय है कि यदि रजिस्टर इस प्रकार अंतरित कर दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे रजिस्ट्रार के पास हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अधीन उसके द्वारा उक्त रजिस्टरों में संशोधन करने अथवा रद्द करने में काफी कठिनाई महसूस होती है। धारा 15 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रजिस्टर रजिस्ट्रार के पास होंगे। अत: राज्य सरकार द्वारा धारा 30(2)(ठ) के अन्तर्गत बनाए गए नियम की सुंसंगत ढंग से व्याख्या की जानी है। इसमें उचित राय यह ही होगी कि रजिस्टर चाहे कहीं भी रखें जाएं किन्तु यह माना जाएगा कि वे रजिस्ट्रार के पास ही हैं और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय अथवा किसी अन्य अधिकारी के पास उनका अन्तरण प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है ताकि रिकार्ड को सुविधाजनक और केन्द्रीकृत स्थान पर रखा जा सके। यद्यपि रजिस्टरों को जिला रजिस्ट्रार को अंतरित किया जाता है और उसके कार्यालय में रखे जाते हैं तथापि रजिस्ट्रार इन रजिस्टरों का उचित अभिरक्षक होगा। अत: अधिनियम की धारा 15 के अधीन वह संशोधन आदि करने के लिए सक्षम है और उस प्रयोजन के लिए रिकार्ड को मंगवा सकता है या वह स्वयं उस स्थान पर जा सकता है और प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है।

68. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जन्म/मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियों में संशोधन या उन्हें रद्द करने में नाम का परिवर्तन भी शामिल हैं?

क्या 1969 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व हुए और दर्ज किए गए जन्म और मृत्यु के बारे में नाम में परिवर्तन करने में रजिस्ट्रार सक्षम हैं?

स्पष्टीकरण : नाम में परिवर्तन करने के प्रश्न पर दो पहलुओं से विचार किया जाए। उसमें पहला यह है कि रजिस्टर में नाम लिखते समय कोई लिपिकीय गलती हो गई हो। उदाहरणार्थ राम के स्थान पर गलती से ''रामलाल'' लिखा गया हो अथवा शब्द ''चन्द्र'' के स्थान पर ''चंदेर'' लिखा गया हो। ऐसी परिस्थितियों में नाम में संशोधन करना अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार रजिस्टर में नाम कपटपूर्वक या अनुचित रूप से लिखा गया हो। यह भी धारा 15 के अधीन आता है। दूसरा पहलू यह है कि कोई व्यक्ति अपना नाम बदलता है और उसके बाद वह रजिस्टर में अपना नाम बदलवाने के लिए अनुरोध करता है। ऐसी स्थिति अधिनियम की धारा 15 के अधीन नहीं आती है।

रजिस्टर में की जाने वाली निर्धारित विभिन्न प्रविष्टियों में से नाम भी एक प्रविष्टि है। वास्तव में नाम में परिवर्तन करना भी प्रविष्टि में संशोधन करना है। इसलिए नाम में परिवर्तन करने के बारे मे प्रत्येक मामले पर उक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए।

69. प्रश्न : पुराने नियमों के अधीन जन्म और मृत्यु के बारे में दर्ज की गई अनेक प्रविष्टियों में लिपिकीय या औपचारिक गलती है और लोगों को सही विवरणों के साथ प्रमाण पत्र लेने में कठिनाई हो रही है। यह आवश्यक है कि 1969 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी व्यक्ति को शक्तियां प्रदत्त की जाएं जो पुराने रिकार्ड को समझता हो और इन मामलों के बारे में कार्रवाई कर सके। वस्तुतः गोवा, दमन और दीव में सिविल रजिस्ट्रार ही ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर चल रही परिस्थितियों में इस कार्य को कर सकते हैं। तथापि इस प्रशासन के विधि विभाग ने, जिनसे इस मामले में परामर्श लिया गया, यह राय दी है कि अधिनियम में ऐसे किसी प्रावधान के बिना धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रार को दी गई शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह राय दी है कि धारा 15 के अधीन दिए गए कार्यों को केवल रजिस्ट्रार ही कर सकता है। चूंकि पुराने रिकार्ड में संशोधन करने में रजिस्ट्रारों को व्यावहारिक रूप से काफी कठिनाई होती है और मामला अति आवश्यक था, अतः राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 32 के अधीन भारत सरकार की स्वीकृति लेने का निर्णय किया और उसकी प्रत्याशा में प्रत्येक तालुक के सिविल रजिस्ट्रार को पुराने रजिस्टरों में प्रविष्टियों में गलतियों में संशोधन करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। क्या ऐसा आदेश अधिनियम के अधीन वैध है?

स्पष्टीकरण : ऐसा पता चला है कि गोवा, दमन और दीव के प्रशासक ने अधिनियम की धारा 15 के अधीन गोवा, दमन और दीव के प्रत्येक तालुक के सिविल रजिस्ट्रार को पुराने रजिस्टरों में प्रविष्टियों में इस सीमा तक संशोधन अथवा रद्द करने की शक्तियां प्रदान की हैं जो कि उक्त धारा के अधीन और उसके अधीन बनाये गये नियमों में संशोधन अथवा रद्द करने के लिए अनुमेय हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा आदेश अधिनियम के अन्तर्गत वैध है और क्या इस प्रकार सीमित प्रयोजन के लिए प्रत्यायोजन किसी भी प्राधिकारी को किया जा सकता है जो अधिनियम में नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के अलावा हो?

अधिनियम की धारा 15 के उपबंध ऐसे नियमों के अधीन हैं जो कि राज्य सरकारों द्वारा अधिरोपित शर्तों और परिस्थितियों के आधार पर बनाए जाते हैं जिनके अनुसार प्रविष्टियां संशोधित की जाती हैं अथवा रद्द की जाती हैं। किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 15 के अधीन ऐसा कार्य करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी की नियुक्ति, जैसा कि संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा की गई है, रजिस्ट्रार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अन्तर्गत नहीं आती है और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति कानूनी तौर पर ऐसा कार्य कर सकता है। उपरोक्त को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने में कोई कानूनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सिविल रजिस्ट्रार द्वारा की गई कार्रवाई कानूनन ठीक होगी। तथापि अधि नियम में ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है जो इस कठिनाई को दूर कर सके। उपरोक्त को देखते हुए अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों को भी ध्यान में रखा जाए ताकि इस कठिनाई को दूर किया जा सके।

70. प्रश्न : एक लड़की की जन्म की तारीख 26.11.44 दर्ज की गई थी। इसके बाद एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वस्तुतः यह लड़की नहीं अपितु लड़का था। जिस व्यक्ति का जन्म इस प्रकार दर्ज किया गया था उसने यह अनुरोध किया है कि जन्म रजिस्टर में दर्ज किए गए बच्चे का नाम और

लड़का/लड़की में संशोधन किया जाए। उसने अपने इस दावे के समर्थन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसका दो नगरपालिका आयुक्तों ने सत्यापन किया है और अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें वही जन्म की तारीख दर्शायी गई है जो कि उक्त लड़की के जन्म के मामले में दर्ज की गई है।

स्पष्टीकरण : यह नाम और लिंग में संशोधन करने का मामला नहीं है बल्कि जन्म से संबंधित पुरानी प्रविष्टि को पूरी तरह से रद्द करने का मामला है और उसमें संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का सुझाव है। स्थानीय रजिस्ट्रारों को पार्टी को तदनुसार सूचित करने को अनुदेश दिए जाएं।

71. प्रश्न : क्या अन्य पार्टी द्वारा सक्षम न्यायालय से ली गई घोषणात्मक डिगरी के आधार पर जन्म की तारीख ठीक की जा सकती है?

स्पष्टीकरण : आयु को ठीक कराने के लिए आवेदन पत्र संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया जाना है न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

72. प्रश्न : क्या रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड में संशोधन के जरिए पिता और माता का नाम जोड़ कर नाम का विस्तार करना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अन्तर्गत आता है?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 15 इस प्रकार के मामलों पर लागू नहीं होती क्योंकि इनमें नाम में परिवर्तन निहित है।

73. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पहले घटित और रजिस्टर कराई गई घटनाओं के मामले में पुराने रजिस्टर में नाम जोड़े जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के उपबंध 31(2) के आधार पर निरस्त कानून के अधीन की गई जन्म और मृत्युओं की प्रविष्टियों के बारे में यह माना जाएगा कि ये प्रविष्टियां इस अधिनिमय के उपबंधों के अधीन की गई हैं और वे तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे इस अधिनियम के अधीन किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाएं। अत: यह समझा जाता है कि 1969 के इस अधिनियम के लागू होने से पहले रजिस्टर कराई गई घटनाएं उक्त अधिनियम के अधीन विनियमित की जाती रहेंगी।

74. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय, 1969 की धारा 15 के अधीन नाम से पहले के आद्याक्षर देना संभव है?

स्पष्टीकरण : यदि रजिस्ट्रार यह महसूस करे कि पहले लिखा संक्षिप्त नाम (आद्याक्षर) प्ररूपत: या सारत: गलत है तो उसे ठीक कर सकता है।

75. प्रश्न : क्या न्यायालय के निर्णय के आधार पर जन्म प्रविष्टियों में पिता और दादा के नाम में संशोधन किए जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 में रजिस्टर की प्रविष्टि को ठीक करने या उसे रद्द करने की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध करना होगा कि कोई संबंधित प्रविष्टि प्ररूपत: या सारत: गलत है। तो भी मूल प्रविष्टि काटी नहीं जाएगी या उसमें कोई परिवर्तन नहीं

किया जाएगा, बल्कि हाशिए में प्रविष्टि की जाएगी। उसके पश्चात नियम 12 में अपनाई जाने वाली विशिष्ट कार्यविधि बताई गई है। यदि यह किसी औपचारिक गलती का मामला प्रतीत नहीं होता बल्कि प्रविष्टियां प्ररूपत: या सारत: गलत प्रतीत होती हैं... यदि पूर्णतया गलत हैं तो इस प्रयोजन के लिए उस नियम (4) में मामले के तथ्यों की जानकारी रखने वाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा घोषणा करने की विशेष रूप से व्यवस्था है। इसके अलावा, रजिस्ट्रार अपनी संतुष्टि करने के लिए इससे पहले माता या उन व्यक्तियों को कारण बताने का अवसर दे सकता है जिसने पहले रिपोर्ट दी थी।

76. प्रश्न : क्या बच्चे के जन्म को रजिस्टर कराने की तारीख के बाद गजट अधिसूचना या अन्य के माध्यम से पिता/माता के नाम में किए गए परिवर्तन को जन्म रजिस्टर में समाविष्ट किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : चूंकि नाम में इस प्रकार के परिवर्तन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत नहीं आते, इन्हें जन्म रजिस्टर में समाविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

77. प्रश्न : क्या जन्म/मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियों को ठीक/रद्द करने के लिए फीस वसूल की जा सकती है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30(2)(ङ) में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्य नियमों में ऐसे उपबंध बनाए जाएं जिससे कि उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अधीन जन्म/मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टियों को ठीक/रद्द करने के लिए फीस वसूल की जाए। अत: इस संबंध में कोई फीस वसूल नहीं की जा सकती।

78. प्रश्न : क्या जन्म रजिस्टर में नाम और लिंग से संबंधित प्रविष्टि को उपचारी आपरेशन करने वाले शल्य चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर ठीक किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : यदि आपरेशन करने वाला शल्य चिकित्सक बच्चे के लिंग को प्रमाणित कर देता है तो ऐसे बच्चे के नाम और लिंग से संबंधित प्रविष्टि की अनुमति दे दी जाए।

धारा 17 :

79. प्रश्न : छावनी कार्यालयों में कार्य का माध्यम अंग्रेजी है, अत: अधिनियम के अधीन रजिस्टरों और अन्य फार्मों को क्षेत्रीय भाषा में रखना संभव नहीं है। छावनी क्षेत्र की जनसंख्या में देश के अलग-अलग भागों के व्यक्ति होते हैं जो जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी में ही बनाए जाने पर बल देते हैं। कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या छावनी आदि जैसी कुछेक रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में निर्धारित रजिस्टरों और फार्मों को अंग्रेजी भाषा में अपनाया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : चूंकि छावनी बोर्ड के कार्यालय में कार्य का माध्यम अंग्रेजी है, अत: उन्हें रजिस्टर आदि अंग्रेजी भाषा में रखने की अनुमति दे दी जाए।

80. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्टर में बाल पेन या डाट पेन से प्रविष्टियां की जा सकती हैं?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियां करते समय बाल/डाट पेन का प्रयोग वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे कागज पर अधिक दबाव पड़ता है। संभवत: इसी कारणवश मुख्य रजिस्ट्रारों के प्रथम सम्मेलन द्वारा रजिस्टरों में प्रविष्टियां करने के लिए स्याही का प्रयोग करने की विशेष रूप से सिफारिश की गई है। तथापि, मासिक विवरणियां आदि, जिन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं किया जाना है, तैयार करते समय बाल/डाट पेन के प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है।

81. प्रश्न : क्या गर्भ के चिकित्सीय समापन के मामले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा फार्म नं. 4 में मृतक का पूरा नाम, पिता/पति का नाम और स्थायी पता दिया जाना चाहिए? यदि नहीं तो जब पार्टी मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करती है तब मृत्यु प्रमाणपत्र किस प्रकार जारी किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज करने से पहले संबंधित अस्पताल से फार्म नं. 2 में मृतक के सभी अपेक्षित विवरण प्राप्त करना आवश्यक है। इन विवरणों के बिना रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिनियम की आवश्यकता है। संदर्भाधीन गोपनीय मामले का संबंध ''मृत्यु के कारण'' से है। हम अस्पताल प्राधिकारियों को यह सूचित करें कि उनके द्वारा ज्ञात मृत्यु के कारण को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों द्वारा गोपनीय माना जाएगा और अधिनियम की धारा 17 के अधीन मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते समय उसे प्रकट नहीं किया जाएगा।

82. प्रश्न : कुछ मुख्य रजिस्ट्रारों ने सूचित किया है कि कुछ रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में जन्म और मृत्यु रजिस्टरों के निरंतर उपयोग के कारण वे काफी पुराने हो गए हैं और काफी खस्ता हालत में हैं। यदि समय रहते उनकी नकल नहीं बनाई गई तो पुराने रजिस्टरों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः उन्होंने इन रजिस्टरों की दूसरी प्रति तैयार करने के लिए इस कार्यालय की अनुमति मांगी है?

स्पष्टीकरण : यह सच है कि कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु रजिस्टर अनुपयोगी हो जाते हैं। इस संबंध में हम राज्यों को यह सुझाव देते रहे हैं कि इन रिकार्डों का रख-रखाव बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाए। इन रजिस्टरों की प्रतियां तैयार करना समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है, क्योंकि इन रिकार्डों की नकल करने में हमेशा कर्मचारियों से गलती होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा धोखाधड़ी की भी संभावना रहती है। इस प्रकार के रिकार्ड की फोटो स्टैट प्रतियां या माइक्रो फिल्म तैयार करना सबसे अच्छा समाधान है। जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म/मृत्यु के मूल रिकार्ड से तैयार किया जाना है। इस उपबंध को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट वर्ष के सम्पूर्ण रिकार्ड की प्रतिलिपि तैयार करने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार पुनः लिखे गए रिकार्ड का उपयोग रिकार्ड को ढूंढने और जन्म तथा मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए किया जाएगा, लेकिन प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रविष्टि का सत्यापन मूल पुराने रिकार्ड से किया जाएगा। इस पुराने रिकार्ड की टिशू/पारदर्शक कागज आदि से मरम्मत करके उसे इस प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इस तरह से पुनः लिखे गए रिकार्ड का उपयोग लगातार किया जा सकता है जबकि मूल रिकार्ड का उपयोग जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते समय ही किया जाएगा।

83. प्रश्न : हरियाणा राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की पुरानी पद्धति में यह उपबंध था कि जनता उद्धरण प्राप्त करने के सबंध में जन्म और मृत्यु रिकार्ड का निरीक्षण कर सकती थी। लेकिन नए नियमों में यह सुविधा नहीं दी गई है। अतः यह नहीं पता कि जनता द्वारा रिकार्ड के निरीक्षण की अनुमति दी जाए या नहीं। **कृपया स्पष्ट करें।**

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17(1) में यह व्यवस्था है कि जनता जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगी । इस धारा को ध्यान में रखते हुए जनता द्वारा रिकार्ड के निरीक्षण की अनुमति देना संभव नहीं है। तथापि निर्धारित फीस की अदायगी करने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तलाश की जाएगी और आवेदक को प्रमाणित उद्धरण जारी किए जा सकते हैं।

84. प्रश्न : कृपया यह स्पष्ट करें कि नगर परिषदों के पुराने नियमों के अन्तर्गत रजिस्टर की गई घटनाओं के उद्धरण जारी करने के लिए फीस पुराने नियमों के अनुसार ली जाएगी या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित दरों के अनुसार ली जाएगी?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन यह व्यवस्था है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने के बाद पूर्ववर्ती अधिनियमों/ नियमों के सभी उपबंध, जिनका संबंध 1969 के अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विषयों से है, निरसित हो जाएंगे। अत: अब पुराने नियमों के अधीन पुरानी घटनाओं के उद्धरण जारी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार के सभी मामलों में भी 1969 के अधिनियम की धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए संगत राज्य नियमों के अधीन निर्धारित फीस लागू होगी।

85. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की पुरानी प्रणाली के अधीन सरकारी कार्य के लिए उद्धरण नि:शुल्क दिए जाते थे। इसी प्रकार की छूट सैनिक बोर्ड को भी उपलब्ध थी। लेकिन नए नियमों में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। कृपया बताएं कि क्या सरकारी कार्य के लिए सरकारी कार्यालयों और सैनिक बोर्ड को उद्धरण नि:शुल्क दिए जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17(1) में उद्धरण जारी करने के लिए फीस की अदायगी के बारे में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। इस प्रकार यदि राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों और सैनिक बोर्ड को उद्धरण देने के लिए फीस अदायगी के बारे में कोई छूट देना चाहती है तो अधिनियम की धारा 30(1) में यथा उपबंधित राज्य नियम में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

86. प्रश्न : नियमों में दो प्रयोजनों, अर्थात तलाश और उद्धरणों के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 17 में किसी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की तलाश कराने की शक्ति दी गई है। ऐसा करना उस स्थिति में आवश्यक हो जाता है जब संबंधित व्यक्ति के पास कथित प्रविष्टि का कोई ब्यौरा अर्थात जन्म/मृत्यु की तारीख, माह और वर्ष न हो। यदि ये ब्यौरे उसके पास उपलब्ध हों तो उसे उसकी तलाश करवाने की आवश्यकता नहीं है और वह उसके ब्यौरे देकर प्रविष्टि के उद्धरण मांग सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु के ब्योरे देकर उद्धरण मांगता है तो संभवत: वह तलाश नहीं करवाता और तलाश फीस उससे वसूल नहीं की जा सकती और उससे केवल उद्धरण फीस वसूली जा सकती है। **कृपया स्पष्ट करें।**

स्पष्टीकरण : यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की तारीख (जो घटना की तारीख से भिन्न हो) के ब्यौरे देकर उद्धरण मांगता है तो वह तलाश नहीं करवाता। ऐसे मामलों में उससे तलाश फीस वसूल नहीं की जा सकती और केवल उद्धरण फीस ही वसूल की जा सकती है क्योंकि नियमों में ये दो मदें अलग-अलग बताई गई हैं।

87. प्रश्न : क्या कोई व्यक्ति केवल तलाश करवाने के लिए आवेदन कर सकता है अथवा उसे तलाश करवाने और उद्धरण देने के लिए एक ही समय आवेदन करना होगा ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में घटना की तलाश करवाने और रजिस्टर से जन्म या मृत्यु संबंधी उद्धरण देने की फीस सहित अलग-अलग उपबंध विद्यमान हैं। उक्त

स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की तलाश करवाने के लिए आवेदन कर सकता है और उसे तलाश करवाने तथा उद्धरण देने के लिए एक साथ आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे यह सूचित किया जा सकता है कि घटना रजिस्टर में मौजूद है।

88. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए सुसंगत राज्य नियमों में जन्म और मृत्यु रजिस्टरों की तलाश करवाने तथा रजिस्टर से उद्धरण देने की फीस अदा करने की व्यवस्था है । क्या राज्य सरकार के विभाग सरकारी प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 17 में यथा निर्धारित तलाश फीस का भुगतान किए बिना रजिस्टर से ब्यौरे मांग सकते हैं ?

यह ध्यान में लाया गया है कि पुलिस प्राधिकारी को जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जब्त करने का अधिकार है या अदालत उसे उस मामले में मंगवा सकती है जिससे रजिस्ट्रीकरण का कार्य रुक जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार के कानूनी उत्तरदायित्व को निभाने में भी कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु के संबंध में जब किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई जानकारी मांगी जाए तो उस मामले में ज्यादा कानूनी दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं होगा। विभाग को इस प्रकार की जानकारी अनौपचारिक रूप से दे देने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

तथापि, यदि धारा 17 की उप धारा (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए जानकारी की आवश्यकता हो तो विभाग को रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित उद्धरण देने के लिए निर्धारित फीस वसूल करना अनिवार्य होगा (कृपया स्पष्टीकरण 87 भी देखें)।

पुलिस या विधि न्यायालय को रजिस्ट्रार द्वारा रखे जा रहे जन्मों और मृत्युओं की प्रविष्टियों संबंधी रजिस्टर को जब्त करने या मांगने से रोकना संभव नहीं है। तथापि, इस प्रकार के मामले बहुत ही कम होते हैं और ये मामले तब उठते हैं जब जालसाजी आदि का संदेह हो।

किसी व्यक्ति की आयु या मृत्यु की तारीख के प्रयोजन के लिए रिकार्ड को जब्त करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह प्रयोजन पुलिस को प्रमाणित प्रति देकर पूरा किया जा सकता है।

इसी प्रकार रजिस्ट्रार के कार्यालय का कोई प्राधिकृत व्यक्ति न्यायालय में रजिस्टर प्रस्तुत करके प्रमाण दे सकता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में रजिस्ट्रार द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों को इस प्रकार कब्जे से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है और अधिनियम में इस प्रकार का उपबंध करना आवश्यक भी नहीं है। यह नहीं माना जा सकता कि रिकार्ड को इस प्रकार जब्त करने या उसे मांगने से रजिस्ट्रीकरण का कार्य रुक जाएगा या इससे रजिस्ट्रार का कानूनी उत्तरदायित्व प्रभावित होगा।

89. प्रश्न : अधिनियम की धारा 15 और राज्य नियमों में विहित कार्यविधि के अनुसार धारा 17 के अधीन जन्म और मृत्यु रजिस्टर के उद्धरण में मूल और संशोधित की गई मदें दोनों ही दी जाएंगी। कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें जनसाधारण धारा 17 के अधीन केवल संशोधित मदों के उद्धरण ही प्राप्त करना चाहते हैं। इस संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या जनता द्वारा मांगी गई संशोधित प्रविष्टियों के उद्धरण दिए जा सकते हैं?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 17 जन्म और मृत्यु रजिस्टर से उद्धरण देने से संबंधित है। ''उद्धरण'' शब्द का साधारण अर्थ ''.....'' के प्रमाण में सही और यथार्थ है। इस प्रकार, उद्धरणों में मूल प्रविष्टि और सही प्रविष्टि, संशोधन की तारीख सहित दर्शित की जाए। इस संबंध में आजकल यही परिपाटी अपनाई जा रही है।

धारा 18 :

90. प्रश्न : धारा 18 में यह व्यवस्था है कि रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण जिला रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा । क्या धारा 18 के प्रयोजनों के लिए जिला रजिस्ट्रार द्वारा किसी ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है जो रजिस्ट्रीकरण तंत्र में जिला रजिस्ट्रार से उच्चतर स्तर का हो?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 18 के अधीन जिला रजिस्ट्रार निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार का अधिकारी संभवत: जिला रजिस्ट्रार को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह स्वाभाविक ही है कि यह अधिकारी केवल वही अधिकारी हो सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हो अथवा उसके नियंत्रण के अधीन हो। इस प्रकार वह जिला रजिस्ट्रार से उच्च रैंक का अधिकारी नहीं हो सकता।

धारा 19 :

91 प्रश्न : जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार प्रतिमाह प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण इकाई के जन्मों और मृत्युओं के मासिक उद्धरण राज्य निदेशालय को भेजते हैं। इन उद्धरणों का प्रयोग सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करने के लिए किया जाता है और इन्हें एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। सांख्यिकीय कार्य पूरा हो जाने पर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। क्या जब तालुका या इकाई स्तर से कोई जानकारी मंगानी हो तो उस स्थिति में इस निदेशालय द्वारा उद्धरणों की प्रतियां या कोई संगत जानकारी दी जा सकती है?

स्पष्टीकरण : निदेशालय में रजिस्ट्रार से प्राप्त होने वाले जन्मों और मृत्युओं के उद्धरण मूल रिकार्ड की प्रमाणित प्रति नहीं होते, अत: उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है। वे केवल संकलन कार्य के लिए होते हैं। कहीं से भी प्राप्त प्रश्नों को मूल रिकार्ड रखने वाले अधिकारी के पास या उद्धरण जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास भेज दिया जाए ।

92. प्रश्न : क्या राज्य नियमों के अधीन प्राप्त मासिक विवरणियों को उनके प्राप्त होने की तारीख से तीन वर्ष बाद नष्ट किया जा सकता है या संबंधित राज्य की वार्षिक जन्म-मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट में इन विवरणियों के आंकड़े प्रकाशित किए जाने पर नष्ट किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : मासिक सांख्यिकीय विवरणियों को उनकी उपयोगिता के तीन वर्ष बाद नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चूंकि आंकड़ों के सारणीकरण के पश्चात इन मासिक सांख्यिकीय विवरणियों का कोई महत्व नहीं रह जाता, अत: यह प्रत्येक राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वे विवरणियों को तब नष्ट कर दें जब वे यह महसूस करें कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है।

93. प्रश्न : जन्म और मृत्यु की मासिक रिपोर्टों की प्रतियों को कब तक सुरक्षित रखा जाए और इन रिपोर्टों को नष्ट करने की कार्यविधि क्या होनी चाहिए?

स्पष्टीकरण : आंकड़ों का सारणीकरण कर लिए जाने के पश्चात मासिक सांख्यिकी विवरणियों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। अत: यह मुख्य रजिस्ट्रारों पर छोड़ दिया गया है कि वे जब यह महसूस करें कि विवरणियों की उपयोगिता समाप्त हो गई है तो वे अपने अपने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस संबंध में अपनाई जा रही कार्यविधि के अनुसार उन्हें नष्ट कर दें।

धारा 20 :

94. प्रश्न : क्या 1.1.1971 से पहले भारतीय नागरिकों के विदेश में हुए बच्चों के जन्मों को जिन्हें अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन यथापेक्षित भारतीय कंसुलावास में रजिस्टर नहीं कराया गया है, अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन अब रजिस्टर कराया जा सकता है?

यदि इस प्रकार के जन्मों को रजिस्टर कराया जा सकता है तो क्या भारत में आने के 60 दिन के पश्चात रजिस्ट्रीकरण कराने के मामलों में धारा 13 लागू होगी?

स्पष्टीकरण : उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में है।

95. प्रश्न : गोवा, दमन और दीव के एकीकरण से पहले गोवा मूल के बहुत से व्यक्ति विभिन्न प्रयोजनों से मोजाम्बीक, अंगोला, मोंबासा आदि जैसी अफ्रीकी पुर्तगाली कालोनियों में चले गए थे। अफ्रीका में पुर्तगाली कालोनियों में बस जाने पर उन्होंने उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। अब यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति स्थायी रूप से बसने की दृष्टि से भारत लौट रहे हैं। लौटने पर वे प्राय: भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन करते हैं और भारतीय नागरिकता लेने से पहले या बाद में अपने बच्चों के जन्मों के रजिस्ट्रीकरण का अनुरोध करते हैं।

चूंकि अफ्रीका से प्रत्यावर्तित ऐसे सभी व्यक्तियों के बच्चों के जन्मों को पुर्तगाली कालोनियों के प्राधिकारियों के पास रजिस्टर किया गया है अत: यह स्पष्ट किया जाए कि क्या बच्चों की नागरिकता बदलवाने के पश्चात उनके बच्चों के जन्मों का रजिस्ट्रीकरण गोवा में किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण : भारतीय नागरिकता से भिन्न नागरिकता वाले व्यक्तियों से विदेश में हुए और रजिस्ट्रीकृत जन्मों को 1969 के अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन पुन: रजिस्टर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में विदेशी सरकारों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र हमारे देश में सभी प्रयोजनों के लिए काम आएंगे।

96. प्रश्न : धारा 20(2) के अनुसार भारतीय नागरिक के विदेश में पैदा हुए बच्चे के जन्म को, जिसे भारतीय कंसुलावास में रजिस्टर नहीं कराया गया है, भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है बशर्ते कि बच्चे के माता पिता भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए स्वदेश लौटते हैं।

तथापि, ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें जन्मों को धारा 20(1) में यथा निर्दिष्ट उन देशों के भारतीय कंसुलावासों में दर्ज न करा कर विदेशों के उन रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में रजिस्टर कराया गया था, जहां बच्चे के जन्म के समय माता-पिता रहते थे। माता पिता इन विदेशी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र भी

प्रस्तुत करते हैं। क्या इन प्रमाणपत्रों को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 की उप धारा 2 के प्रयोजनों के लिए कानूनी तौर पर मान्य समझा जाएगा?

स्पष्टीकरण : धारा 20 में भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। उप धारा (1) में यह उपबंध है कि विदेशों में भारतीय नागरिकों के जन्मों और मृत्युओं को, जिन्हें नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भारतीय कंसुलावासों में रजिस्टर कराया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर कराया हुआ माना जाएगा और इन नियमों के अधीन प्राप्त ऐसी इत्तिला को महारजिस्ट्रार रजिस्टर कराएगा। जहां जन्मों और मृत्युओं को इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है वहां उप धारा (1) के अनुसार महारजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई इत्तिला प्राप्त नहीं की जाएगी। उस प्रयोजन के लिए उप धारा (2) में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करना होगा और यदि बच्चे के माता-पिता भारत में बसने के लिए वहां लौटते हैं तो वे भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय बच्चे का जन्म इस अधिनियम के अधीन उस रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे, मानो बच्चे का जन्म भारत में हुआ था। बच्चे के जन्म के समय माता-पिता के रहने के स्थान पर भारतीय नागरिक के जन्म का विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण कराने से इस अधिनियम के अधीन महारजिस्ट्रार के पास जन्म का रजिस्ट्रीकरण स्वत: ही नहीं कराया जा सकेगा क्योंकि अधिनियमों में इसकी कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन यदि किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक यासमीचीन प्रतीत हों।

97. प्रश्न : सशस्त्र सेना कार्मिक की पत्नी ने बंगला देश के अस्पताल में एक बच्चे को उस समय जन्म दिया जब उसका पति बंगला देश में तैनात था। इस जन्म को प्रमाणित करने के लिए उसके पास अस्पताल के दस्तावेज हैं। भारत में अपने मूल निवास स्थान पर वापस आने पर उसने जन्म रजिस्टर करने के लिए अनुरोध भेजा है। क्या जन्म को रजिस्टर किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : चूंकि बंगला देश के भारत के साथ राजनयिक संबंध हैं, अत: नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन नागरिक (भारतीय कंसुलावासों में रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1956 के अनुसार जन्म को उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्टर कराया जाना चाहिए था । इस विशिष्ट मामले में आवेदक का पति अस्थायी ड्यूटी पर बंगला देश में तैनात था । अत: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 20(2) के अधीन जन्म को बच्चे के माता-पिता के सामान्य निवास स्थान अर्थात भारत में उसके मूल निवास स्थान पर रजिस्टर कराया जा सकता है।

98. प्रश्न : अधिनियम की धारा 20(2) में भारत के बाहर पैदा हुए किसी बच्चे के जन्म को, जिसे धारा 20(1) के अधीन भारतीय कंसुलावास में रजिस्टर नहीं कराया गया है, बच्चे के माता-पिता के भारत में बसने की दृष्टि से भारत लौटने पर रजिस्टर कराने की अनुमति दी गई है, तथापि देश से बाहर हुई और अधनियम की धारा 20(1) के अधीन रजिस्टर न कराई गई मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। इससे भारत से बाहर मृत व्यक्ति के संबंधियों/उत्तराधिकारियों को काफी कठिनाई होती है। यह स्पष्ट किया जाए कि क्या जन्म के

रजिस्ट्रीकरण की भांति भारत से बाहर हुई मृत्युओं को भारत में रजिस्टर किया जा सकता है? यदि हां तो इस प्रकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या समय सीमा है?

स्पष्टीकरण : धारा 20 की उप धारा (2) में भारत से बाहर पैदा हुए किसी बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था है जिसके संबंध में धारा (1) में यथा उपबंधित इत्तिला प्राप्त न हुई हो। यदि बच्चे के माता-पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत आएं तो वे बच्चे के भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय बच्चे का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे मानो बच्चे का जन्म भारत में हुआ था और धारा 13 के उपबंध ऐसे बच्चे के जन्म को पूर्वोक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात लागू होंगे।

उक्त उप धारा में भारत से बाहर हुई मृत्यु को उसी आधार पर रजिस्टर करने की व्यवस्था नहीं है।

धारा 23 :

99. प्रश्न : विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक मामले पर धारा 23(1) के दाण्डिक उपबंध लागू होते हैं जिसे अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रशमन शुल्क लेकर समाप्त किया जा सकता है। यदि हां तो क्या इसका यह अर्थ है कि विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के सभी मामलों में विलम्ब शुल्क के अलावा दण्ड (या उसके लिए प्रशमन शुल्क) का भुगतान आवश्यक है। तथापि, अधिनियम की धारा 13 में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

स्पष्टीकरण : धारा 23 में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति जो धारा 8 और 9 के उपबंधों के अधीन ऐसी इत्तिला जिसे देना उसका कर्त्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा तो वह जुर्माने से जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इससे यह स्पष्ट है कि धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रार को दी गई कोई इत्तिला पर धारा 23 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा निर्धारित विलम्ब शुल्क की अदायगी के अलावा धारा 23 के अधीन दाण्डिक उपबंध लागू होंगे। धारा 13 घटनाओं के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है और उसमें विलम्ब शुल्क दिए जाने की व्यवस्था है। अपराधों के प्रशमन के लिए ली जाने वाली फीस धारा 24 के अधीन वसूल की जानी है। धारा 24 अपराधों के प्रशमन की शक्ति से संबंधित है।

अत: प्रशमन शुल्क विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त है।

100. प्रश्न : किसी राज्य के रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 23(1)(ख) के अधीन दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई की है। उक्त मामलों की न्यायिक जांच करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त व्यक्ति पर जुर्माना किया है। लेकिन उक्त मामलों में किए गए जुर्माने को पंचायत फंड में जमा नहीं कराया गया क्योंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में इस प्रकार के मामलों में किए गए जुर्माने को जमा कराने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। क्या इस संबंध में नियम बनाने आवश्यक हैं?

स्पष्टीकरण : धारा 23(1)(ख) के अधीन किए गए जुर्माने की अदायगी संबंधित रजिस्ट्रीकरण इकाई को किए जाने के लिए नियमों में संशोधन का प्रारुप अनिवार्य है।

101. प्रश्न : उदाहरणार्थ, नगरीय क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के लिए जन्म की इत्तिला जन्म की तारीख के इक्कीस दिन के भीतर जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को देना आवश्यक है। रजिस्ट्रार ने पार्टी से इत्तिला प्राप्त होने के इक्कीश दिन के भीतर घटना को रजिस्टर कर लिया। इस प्रकार घटना को उसके घटित होने के 42 दिन के भीतर रजिस्टर कर लिया गया। क्या रजिस्ट्रार दण्डनीय है।

स्पष्टीकरण : रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक देरी के लिए वह अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन दण्डनीय हो जाता है।

102. प्रश्न : (क) क्या रजिस्ट्रार संस्थागत घटनाओं को रजिस्टर कराने में असफल रहने के लिए चूककर्त्ता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (इत्तिलादाता) के विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई कर सकता है?

(ख) क्या अभियोजन कार्यवाही के दौरान घटनाओं को रजिस्टर कराया जा सकता है?

(ग) यदि आपराधिक कार्रवाई आरम्भ करने से पहले या उसके बाद चिकित्सा अधिकारी मुख्य रजिस्ट्रार से अपराध को प्रशमन करने का अनुरोध करे तो क्या उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए या सभी अपराधों के लिए उससे पचास रुपये से अधिक की राशि वसूल की जाएगी?

(घ) क्या जन्म और मृत्युओं की सूचना न देने के अपराधों का प्रशमन कर दिए जाने पर घटनाओं को रजिस्टर किया जा सकता है?

(ङ) क्या चिकित्सा अधिकारी धारा 23 या 24 के अधीन किए गए जुर्माने सहित विलम्ब रजिस्ट्रीकरण शुल्क अदा करेगा?

(च) विधि न्यायालयों द्वारा किए गए जुर्माने या विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिए देय विलम्ब शुल्क को चूककर्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा या संस्थानों द्वारा सरकारी /स्थानीय निकाय के फंडों से अदा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : (क) यदि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी घटना की सूचना नहीं दे तो वह विलम्ब शुल्क और अधिनियम की धारा 13 तथा 23 में यथा उपबंधित दण्ड भी अदा करने का उत्तरदायी हो जाता है। धारा 25 के अधीन यथा उपबंधित मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यदि आवश्यक हो तो, अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकती है।

(ख) अभियोजन कार्यवाहियों पर ध्यान दिए बिना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अनुसार विलम्ब आदि के आधार पर घटना को रजिस्टर कराने के लिए बाध्य है।

(ग) अपराध के प्रशमन के समय ध्यान में आई निहित घटनाओं की संख्या पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

(घ) किसी व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन आरम्भ करना या अपराधों का प्रशमन करना अधिनियम की धारा 13(4) के उपबंध के अनुसार अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में आड़े नहीं आता। अधिनियम की

धारा 23 या 24 के अधीन की गई कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 13 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) संबंधित व्यक्ति को धारा 23 या 24 के अधीन किए जाने वाले दण्ड सहित विलम्ब रजिस्ट्रीकरण शुल्क देना होगा।

(च) संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं ही जुर्माना का वहन किया जाएगा संस्थाओं द्वारा नहीं क्योंकि अधिनियम की धारा 8(1)(ख) के अधीन घटनाओं की इत्तिला देने के लिए उसे ही कर्त्तव्य बाध्यता के तौर पर विनिर्दिष्ट किया गया है।

धारा 23, 24, और 25 :

103. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23, 24 और 25 शास्तियों, अपराधों के प्रशमन की शक्ति और अभियोजन के लिए मंजूरी देने से संबंधित है। धारा 23 में उल्लिखित अपराधों के लिये अभियोजन संस्थित करने की प्रक्रिया और संबंधित तंत्र के ब्यौरों के बारे में प्रश्न उठा है। कृपया परामर्श दें?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 में अपराधों और उनकी शास्तियों का उल्लेख है । उक्त अधिनियम की उप धारा (5) में यह प्रावधान है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय इकत्तीस में अपराधों के संक्षेपत: विचारण के उपबंध अन्तर्विष्ट हैं। धारा 262 में यह प्रावधान है कि इस अध्याय (अध्याय इकत्तीस) के अधीन विचारण में शमनीय मामले के विचारण के लिए इसके बाद उल्लिखित पद्धति के अतिरिक्त संहिता में विनिर्दिष्ट पद्धति अपनाई जाएगी। अध्याय बीस में मजिस्ट्रेट द्वारा शमनीय मामलों के विचारण के लिए उपबंध है। अधिनियम की धारा 23 के अधीन अभियोजन चलाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सम्मुख उचित शिकायत दायर करनी पड़ेगी। चूंकि इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों और निकाले गए आदेशों के निष्पादन के लिए किसी राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार उस राज्य का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा, अत: इस बारे में उसके द्वारा सम्यक तौर पर प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ही शिकायत दायर करनी चाहिए। तत्पश्चात् संहिता की धारा 25 के अधीन सहायक लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। विभाग को सफल अभियोजन में सहायक लोक अभियोजक को पूरी सहायता देनी चाहिए। ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 24 यह शक्ति प्रदान करती है कि वह इस अधि नियम के अधीन किसी दाण्डिक कार्यवाही के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात उसे प्रशमित कर दे। इस उपबंध के अधीन बनाए गए नियमों में वे शर्तें उल्लिखित की जा सकती हैं जिनके अध्यधीन विभिन्न मामलों का प्रशमन किया जा सकता है। मामले के प्रशमन के पश्चात यदि दाण्डिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की गई हैं तो कोई दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि इस धारा के अधीन मामले के प्रशमन के पश्चात किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पहले ही दाण्डिक कार्रवाई की जा चुकी है तो मजिस्ट्रेट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। यह कार्य या तो संबंधित व्यक्ति द्वारा या मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा मजिस्ट्रेट को आवेदन

देकर किया जा सकता है। तत्पश्चात अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा और उसके विरूद्ध आगे की दाण्डिक कार्यवाही बन्द कर दी जाएगी।

धारा 25 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अतः शिकायत मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

सं०/No. 6/3/2003-VS (CRS)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. DIVISION, WEST BLOCK-I, R.K. PURAM, NEW DELHI-110066
तार जनगणना / REGGENLIND Tele-fax : 26100678 E-mail - nand-crs9@rediffmail.com
दिनांक _ dated the December 23, 2003

The Chief Registrar of Births and Deaths and Director of
Economics and Evaluation, Bihar,
Old Sectt. Barrack No. 17,
Patna-800 015.

Subject : Birth Certificates - Clarification regarding adding of name with the word “alias”.

Please refer to the clarifications issued by this office regarding implementation of various provisions of the Registration of Births and Deaths Act, 1969. It may be reiterated that as has been clarified earlier that u/s 15 of this Act, a name in the Birth/Death registers and the certificates thereof could be added along with the word “alias”, at the time of registration of the event as reported by the informant. Such addition of name could also be made in the Birth/Death registers in case of already registered event subject to the satisfaction of the Registrar that the relevant entry was improperly made or has formal error and upon production of satisfactory evidence by the party concerned. A copy of the extract of the clarifications issued is also enclosed for ready reference.

In this connection, please refer the copy of the enclosed certificate in which name has been added with the phrase “Name of Childhood” which seems to be improper as per the provisions explained above. It has also been observed that many registrars are not aware of the provisions of the Section 17 of the Act under which any number of copies of the certificate could be issued after collection of due charges as prescribed in the State Rules. In view of this, it is requested to kindly inform all the registration authorities about the correct provisions of adding another name in the Birth/Death registers and the certificates thereof.

Your faithfully,
Sd/-
(Nand Lal)
Dy. Registrar General

Certifications on the provisions of the RBD Act, 1969

1.3 The Chief Registars of Births & Deaths have been seeking clarifications from time to time on the problems experienced by them in course of implementation of the provisions of the Act and the State Rules made thereunder. The Office of the Registrar General, India provided necessary clarifications/ advice to them in cousultation with the Union Law Ministry, wherever considered necessary. The following important clarifications on the provisions of the Act and Rules were given during the period under report.

1. Whether registration of Indian National's working aboard foreign registered ship can be effected in the country on the basis of information given by the concerned department of that country ?	The event of death of an Indian National can be registered formally in the local registration area of which the deceased was a normal resident on the basis of information furnished by the concerned Department of that country after obtaining all relevant information from the next of the kin of the deceased making special remarks about the repport received from the concerned authority of that country.
2. Whether 'alias' in the name of a new born child or a deceased could be written in the birth or death register at the time of registration ?	'Alias' in the name of a new born or a deceased person could be written in the birth or death register at the time of registration of the event as reported by the informant.
3. Whether 'alias' in the name of person can be added subsequently in the register of births and deaths after the event has already been registered ?	Such addition of 'alias' in the name could be made in the births and deaths register subject to the satisfaction of the Registrar that the relevant entry was improperly made and upon production of satisfactory evidence by the party concerned.
4. Whether power of First Class Magistrate under Section 13(3) of the RBD Act, 19 69 could be delegated to the District Registrar or any other officer below the rank of the First Class Magistrate ?	Section 13(2) and (3) of the RBD Act, 1969 and corresponding state rules made thereunder provides for separate authorities to grant permission for delayed registration of birth and death. The Act does not provide for delegation of these powers to any other person, as these are to be exercised by the first class Magistrate only.

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

जीवनांक प्रशाखा

अधिसूचना

6 फरवरी, 1971

जी० सं० का० 5/74 सं० 232-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारी को दिये गये क्षेत्र के लिये उसमें उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पदनाम	जन्म-मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पदेन पदनाम	दिया गया क्षेत्र
(1) संयुक्त निदेशक	संयुक्त मुख्य निबन्धक	बिहार राज्य

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जे०एम० लिंगडोह,
विशेष सचिव ।

ज्ञापांक संख्या 232

6 फरवरी, 1975

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/सभी चिकित्सा पदाधिकारी, पटना नगर निगम/सभी नगरपालिका/सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा कैन्टोनमेंट बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जे०एम० लिंगडोह,
विशेष सचिव ।

आदेश

14 मई, 1971

सं० 1699-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एण्ड डेथ एक्ट), 1969 (18, 1969) की धारा 4 की उप-धारा (2), धारा 6 की उप-धारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिये गये क्षेत्र के लिये उसमें उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पद का नाम	जन्म-मृत्यु अधिनियम, 1969 (18, 1969) के अन्तर्गत पदेन, पदनाम	क्षेत्र विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत
(1) उप-निदेशक (जीवनांक) . .	उप-मुख्य रजिस्ट्रार . .	बिहार राज्य-धारा 4, उप-धारा (2)।
(2) जिला सां० पदाधिकारी . .	जिला रजिस्ट्रार . .	संबंधित जिला-धारा 6, उप-धारा (1)।
(3) प्र० वि० पदाधिकारी/अंचल अधिकारी	अपर जिला रजिस्ट्रार . .	सम्बंधित प्रखंड-तथैव ।
(4) चिकित्सा पदाधिकारी/नगरपालिका/ नगर निगम/अधिसूचित क्षेत्र समिति ।	रजिस्ट्रार	सम्बंधित नगर निगम/नगरपालिका/ अधिसूचित क्षेत्र समिति-धारा 7, उप-धारा (1) ।
(5) पंचायत सेवक	रजिस्ट्रार	पंचायत क्षेत्र-धारा 7, उप-धारा (1)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हरनन्दन प्रसाद,
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक संख्या 1699

पटना, दिनांक 14 मई, 1971 ।

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/सभी चिकित्सा पदाधिकारी, पटना नगर निगम/सभी नगरपालिका तथा सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

हरनन्दन प्रसाद,
सरकार के सचिव ।

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

आदेश

14 दिसम्बर, 1973

सं० भा० सा० का० 22/72-3093-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थस् एण्ड डेथ्स ऐक्ट), 1969 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को सम्बद्ध क्षेत्रों के लिये उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पद का नाम	पदनाम	क्षेत्र	धारा
(1) कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति।	रजिस्ट्रार	नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति।	धारा 7, उप-धारा (1) ।
(2) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका/ अधिसूचित क्षेत्र समिति।	रजिस्ट्रार	नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति।	धारा 7, उप-धारा (1) ।

2. जिस नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति में स्वास्थ्य पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, यहां कार्यपालक पदाधिकारी या विशेष पदाधिकारी जो उपलब्ध हों, वे और जिस नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति में स्वास्थ्य पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, जहां के अध्यक्ष और जिस नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति में अध्यक्ष का पद नहीं है, वहां उपाध्यक्ष निबन्धक (जन्म-मृत्यु) का कार्य करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्र० शं० मुखोपाध्याय,
मुख्य रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक संख्या 3093

पटना, दिनांक 14 नवम्बर, 1973

प्रतिलिपि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी नगरपालिका / पटना नगर निगम / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति / उप-सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

वीरेन्द्र किशोर वर्मा,
उप-निदेशक-सह-मुख्य रजिस्ट्रार,
(जन्म और मृत्यु)।

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

---

30 नवम्बर 1976

अधिसूचना सं० जी०स०क० 5/74-15903-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारी को दिये गये क्षेत्र के लिए उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पदनाम	जन्म-मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पदेन, पदनाम	दिया गया क्षेत्र
कार्यपालक पदाधिकारी, छावनी पर्षद् दानापुर/रामगढ़	निबंधक . .	. . छावनी पर्षद्, दानापुर (पटना)। रामगढ़ (हजारीबाग)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 15903

पटना, दिनांक 30 नवम्बर, 1976

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी छावनी परिषद् दानापुर/रामगढ़/जिला पदाधिकारी, पटना/हजारीबाग/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,

विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 15903

पटना, दिनांक 30 नवम्बर, 1976

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को ''बिहार गजट'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

(ह०) अस्पष्ट,

विशेष सचिव ।

बिहार सरकार

योजना विभाग ।

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

दिनांक 19 फरवरी, 1988 ।

अधिसूचना संख्या 210 जी० सां० का० 8/84- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी	पदनाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	उपाधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ।
(2)	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित सदर अस्पताल ।
(3)	उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित अनुमंडलीय अस्पताल ।
(4)	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल	रजिस्ट्रार	संबंधित रेफरल अस्पताल ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०), अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक संख्या -210

पटना-15, दिनांक 19 फरवरी, 1988 ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को बिहार राज्यपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 अतिरिक्त प्रतियां निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित करने की कृपा करें ।

(ह०), अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक संख्या -210

पटना-15, दिनांक 19 फरवरी, 1988 ।

प्रतिलिपि महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड नं० 1 आर० के० पूरम, नयी दिल्ली - 110066 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०), अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक संख्या -210

पटना-15, दिनांक 19 फरवरी, 1988 ।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी विभागों के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०), अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक संख्या -210

पटना-15, दिनांक 19 फरवरी, 1988 ।

प्रतिलिपि निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/अनुमंडलीय पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/चिकित्सा पदाधिकारी, नगर निगम/नगरपालिका तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अधिसूचित क्षेत्र समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०), अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना ।

संख्या जी-सा०प्रो०-16/82-1013

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग ।

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 1989 ।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 10 (1) (iii) के अधीन निम्नलिखित पदाधिकारी को आवंटित क्षेत्र के लिए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पदनाम	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पदेन पदनाम	आवंटित क्षेत्र
राज्य के सभी चौकीदार	अधिसूचक	ग्रामीण क्षेत्र के उनका कार्यक्षेत्र ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अस्पष्ट,
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग।

ज्ञापांक संख्या -1013

पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 1989 ।

प्रतिलिपि -(1) महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, जीवनांक प्रभाग, खंड, 81 आर० के० पुरम, नयी दल्ली-110066, (2) महानिदेशक, आरक्षी बिहार, पटना, (3) निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं (4) सभी जिलाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

(ह०), अस्पष्ट,
सचिव, योजना एवं विकास विभाग।

ज्ञापांक संख्या -1013

दिनांक 27 सितम्बर, 1989 ।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी विभागों के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०), अस्पष्ट,
सचिव, योजना एवं विकास विभाग।

ज्ञापांक संख्या -1013

दिनांक 27 सितम्बर, 1989 ।

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक, सांख्यिकी/सभी उप-विकास आयुक्त-सह-जिला रजिस्ट्रार, जन्म-मृत्यु/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह०), अस्पष्ट,
सचिव, योजना एवं विकास विभाग।

ज्ञापांक संख्या -1013

दिनांक 27 सितम्बर, 1989 ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को बिहार राज्यपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 अतिरिक्त प्रतियां निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित करने की कृपा करें ।

(ह०), अस्पष्ट,
सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
बिहार, पटना।

POLICE ORDER NO. 186 OF 1962

The State Government have been pleased to appoint in their letter no. 314 dated *the 22nd February 1957* Gram Panchayat Sewaks as Registrars of Births and Deaths in their respective jurisdictions under section 6 of the Bengal Registration of Births and Death Act of 1873. It is therefore, the duty of village Chaukidars to report every birth and death in their area to the Panchayat Sewak concerned. This order of the Government, therefore, relieves the officer-in-charge of the Police Station from the duty of collecting vital statistics as required by P.M. Rule 126.

Superintendents of Police should direct Thana officers to instruct the Rural Police to report vital statistics in future to the Panchayat Sewak on the first Monday of each month. In case any Daffadar or Chaukidar fails to perform their duty, the Panchayat Sewaks or the Junior Statistical Supervisors (posted at each Block head-quarters) may report to the matter to the Thana officer, who will submit "G" form against the defaulter.

(Manual reference)
P.M. Rule (126)

S.P. VERMA,
Inspector-General of Police, Bihar
18-4-1963

Memo No. XLIII-38-118-61(D)-3739

OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL OF POLICE, BIHAR, PATNA.

The 1st May, 19 62

Copy forwarded to all Superintendents of Police (by name) for information and guidance. Compliance may please be reported for information of Inspector-General.

(Sd.) Illegible
A.I.G. of Police, Bihar, Patna

CORRIGENDA AND ERRATA

Please add the words "in areas covered by Gram Panchayats" between the words "Police Stations" and from the duty occurring in the concluding line of the first paragraph.

No. 1-7 (6) 75-V.s (R.A.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Office of the Registrar General, India
(V.S. Division)

To,

CHIEF REGISTRARS OF BIRTHS AND DEATHS.

West Block no. 1, Wing no. 1
2nd Floor, Ramkrishanapuram,
New Delhi-22, the 31st July, 1975

Subject :- Amendment of old bye-laws relating to registration of births and deaths in Municipality/ Corporation.

Sir,

Section 12 of the Registration of births and deaths Act, 1969 requires extracts, of entries of births/ deaths to be issued free of charge immediately after registration the Vividh Bharati programme of All India Radio. It has come to the notice of this office that in same Municipality and corporations which have bye-laws of their own, birth and death certificates are given only on payment of a fee as per law previously in vogue. After the enforcement of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 so much of all previous Acts/Bye-laws as relate to matters covered in this Act stand repealed as provided under Section 31 (1) of the Act. This practice, therefore is in contravention of the provision under Section 12 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and should therefore be discontinued.

It is requested that it may be required from the Municipality/Corporation in your State/Union Territory as to whether any charges are still being levied for giving extracts of entries in the register immediately after registration. In case, the old practice of charging for extract is being continued, necessary action may kindly be taken to amend the old practice to fall in line with the provision under section 12 of the Registration of Births Act, 1969 for making the extract free of charge, when it is given immediately after registration.

Your faithfully,
R.B. Lall
Dy.. Registrar General (V.S.)

ज्ञाप संख्या -1817
बिहार सरकार
योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

पटना, दिनांक 20 सितम्बर, 1975 ।

प्रतिलिपि सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगरनिगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा कैन्टोनमेंट बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि महानिबन्धक, भारत सरकार द्वारा दिये गये आदेश को अपने क्षेत्र में लागू करें ताकि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो ।

वैद्यनाथ साहु,
उप-निदेशक (जी०) ।

संख्या जी०सा०का०-15/74-2039

बिहार सरकार

योजना विभाग ।

प्रेषक

श्री जे० एम० लिंगडोह,

निदेशक,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 ।

विषय :- जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किये गये अपराधों के विरूद्ध अभियोजन संस्थित करने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत जिला निबन्धक नियुक्त किया गया है । उपर्युक्त अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये अभियोजन प्रस्ताव अपने जिले के समक्ष दंडाधिकारी के न्यायालय में संस्थित करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

परिवाद-पत्र दंड-प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पेश किया जायेगा तथा दंड-प्रक्रिया की धारा 260 एवं 261 के अन्तर्गत अपराध पर दंडाधि कारी द्वारा संक्षिप्त जांच (समरी ट्रायल) की जायेगी ।

इस आदेश की सूचना कृपया सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को दी जाय ।

विश्वासभाजन,
जे० एम० लिंगडोह,
मुख्य निबन्धक, जन्म एवं मृत्यु-सह-
निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन

ज्ञापांक-2039

दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 ।

प्रतिलिपि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

बी० एन० साहु,
उप-निदेशक (जीवनांक) ।

पत्रांक जी०सा०-307/75-1182

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक

श्री जे० एम० लिंगडोह,
निदेशक-सह-मुख्य निबन्धक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

दिनांक 12 जून, 1975 ।

विषय :- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 25 के अधीन संस्थित मुकदमों के संचालन तथा उनके लिये निधि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिया गया निम्नलिखित निर्णय आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है :-

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 25 के अधीन जो मुकदमें दंडाधिकारियों के न्यायालयों में होंगे उन्हें सहायक लोक अभियोजक स्वयं संचालित करेंगे । सहायक लोक अभियोजक सरकार के वैतनिक पदाधिकारी हैं । अत: उन्हें किसी प्रकार का दैनिक शुल्क राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जायेगा ।

सत्र न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का संचालन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर लोक-अभियोजक करेंगे और इन्हें निर्धारित दैनिक शुल्क देय होगा ।

जहां तक इन मुकदमों के संचालन के लिये निधि की व्यवस्था का प्रश्न है, प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी के अधीन सरकारी मुकदमों के संचालन के लिये निधि आबंटित रहती है । राज्य सरकार के सरकारी मुकदमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं के दैनिक शुल्क आदि का भुगतान इसी निधि से जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

जहां तक ऐसे मुकदमों में अभियोजित व्यक्ति से खर्च वसूलने का सम्बन्ध है, यह न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर ही निर्भर करेगा ।

विश्वासभाजन,
जे० एम० लिंगडोह,
निदेशक-सह-मुख्य निबन्धक ।

ज्ञाप संख्या -1184

दिनांक 12 जून, 1975 ।

प्रतिलिपि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-जिला निबन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जे० एम० लिंगडोह,
निदेशक-सह-मुख्य निबन्धक ।

पत्रांक 2287

योजना विभाग ।

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक

श्री भुवनेश्वर प्रसाद
निदेशक-सह-मुख्य निबन्धक,

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
(नये जिलों के अनुसार)

दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 ।

विषय :- 20 हजार से कम आबादी की नगरपालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों में जीवनांक कार्य के सम्पादन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त संदर्भ में जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों द्वारा ऐसा सूचित किया गया है कि उन नगरी क्षेत्रों में जहां की आबादी 20 हजार से कम है, वहां जीवनांक कार्य के लिए सांख्यिकी कार्यकर्त्ता का अलग से पदस्थापन नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों से जीवनांक प्रतिवेदन को समय पर प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा उनकी प्राप्ति में नियमितता नहीं रहती है ।

अत: यह निर्णय लिया गया है कि 20 हजार से कम आबादी वाले नगरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रखंड के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को जीवनांक कार्य का भार सौंपा जाय । प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अपने प्रखंड के उन नगर-पालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर जीवनांक कार्य का सम्पादन तथा समय पर प्रतिवेदन का प्रेषण करेंगे ।

अत: आप अपने जिलान्तर्गत वैसी नगरपालिकाओं/अधिसूचित क्षेत्र समितियों में जीवनांक कार्य सम्पादन का भार स्थानीय प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को दें तथा समय पर प्रतिवेदन निदेशालय भेजवाने की व्यवस्था करें ।

विश्वासभाजन,
भुवनेश्वर प्रसाद,
निदेशक-सह-मुख्य निबन्धक ।

पत्रांक जी०सां०नि०-7/85-110

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक

श्री केदार नाथ तिवारी,
निदेशक,

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
सभी अनुमंडलीय सांख्यिकी पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 25 जनवरी, 1986 ई० ।

विषय :- जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण हेतु विभिन्न स्तरों के सांख्यिकी पदाधिकारियों के लिए मापदंड का निर्धारण ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि जीवनांक से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण के संबंध में अभी सिर्फ प्रखंड स्तर के कार्यकर्त्ताओं के लिए ही मापदंड निर्धारित है । इसके अनुसार प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को प्रतिमाह प्रखंड के दस प्रतिशत गाँवों तथा पंचायत पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता निरीक्षक को प्रतिमाह पांच-पांच प्रतिशत गाँवों का निरीक्षण करना है । क्षेत्रीय सांख्यिकी पदाधिकारियों की मई, 1985 में पटना में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जीवनांक कार्यों के निरीक्षण का आधार गांव के बजाय रजिस्ट्रीकरण इकाई होना चाहिये । इसके अलावे राज्य में सांख्यिकी तंत्र के दृढ़िकरण के क्रम में अब प्रमंडल तथा अनुमंडल स्तर पर सांख्यिकी इकाइयों का गठन किया जा चुका है जिनके प्रभारी पदाधिकारियों के लिए भी क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना चाहिये ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जन्म-मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण हेतु विभिन्न स्तरों के सांख्यिकी पदाधिकारियों के लिए निम्नांकित मापदंड निर्धारित किया जाता है :-

प्रखंड स्तर -

1. प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	(i)	प्रतिमाह कम-से-कम दो रजिस्ट्रीकरण इकाइयों का निरीक्षण ।
	(ii)	प्रतिमाह आदर्श निबंधन योजना/न्यादर्श निबंधन प्रणाली से संबंधित एक इकाई (यदि प्रखंड में ऐसी कोई इकाई कार्यरत हो तो) का निरीक्षण।
2. ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक		प्रतिमाह कम-से-कम एक रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
3. स्वच्छता निरीक्षक		प्रतिमाह कम-से-कम एक रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।

अनुमंडल स्तर –

1. अनुमंडलीय सांख्यिकी पदाधिकारी	(i)	प्रतिमाह कम–से–कम दो ग्रामीण तथा एक शहरी रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
	(ii)	प्रति त्रिमाह आदर्श रजिस्ट्रीकरण योजना/न्यादर्श रजिस्ट्रीकरण प्रणाली/प्रत्यक्षण हेतु चयनित आदर्श रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में से एक का निरीक्षण ।

जिला स्तर –

1. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	(i)	प्रतिमाह त्रिमाह एक नगरी रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
	(ii)	प्रतिमाह कम–से–कम एक ग्रामीण रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण । यह कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाय कि एक वर्ष में जिला के सभी प्रखंडों की कम–से–कम एक इकाई का निरीक्षण हो सके।
	(iii)	प्रति त्रिमाह आदर्श रजिस्ट्रीकरण योजना से संबधित इकाई/न्यादर्श रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से संबंधित इकाई/प्रत्यक्षण हेतु चयनित आदर्श रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में से एक का निरीक्षण ।
2. सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (जीवनांक) . .	(i)	प्रतिमाह एक नगरी रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
	(ii)	प्रतिमाह कम–से–कम तीन विभिन्न प्रखंडों में एक–एक ग्रामीण रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
	(iii)	प्रतिमाह आदर्श रजिस्ट्रीकरण योजना/न्यादर्श रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से संबंधित इकाई/प्रत्यक्षण हेतु चयनित आदर्श रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में से एक का निरीक्षण ।

प्रमंडल स्तर –

1. प्रमंडलीय उप–निदेशक (सांख्यिकी) . .	(i)	प्रति त्रिमाही कम–से–कम एक नगरी रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
	(ii)	प्रतिमाह एक जिला में एक ग्रामीण रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
	(iii)	प्रतिमाह एक आदर्श/न्यादर्श/प्रत्यक्षण हेतु चयनित आदर्श रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।
2. प्रमंडल स्तरीय सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी . .	(i)	प्रति माह कम–से–कम दो ग्रामीण तथा एक शहरी रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण ।

(ii) प्रतिमाह आदर्श रजिस्ट्रीकरण योजना/न्यादर्श रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से संबंधित इकाई/प्रत्यक्षण हेतु चयनित आदर्श रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में से एक का निरीक्षण ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
निदेशक

ज्ञापांक -110

पटना-15, दिनांक 25 जनवरी, 1986 ।

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/पंचायत पर्यवेक्षक/स्वच्छता निरीक्षक तथा सभी पंचायत सेवकों के लिए निरीक्षण हेतु निर्धारित मापदंड की जानकारी अपने स्तर से उनको करा दें ।

(ह०) अस्पष्ट,
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)

पत्रांक जी०सां०प्रो० 168/86-1188

बिहार सरकार

योजना विभाग ।

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

प्रेषक

श्री बी० एन० साहु,
संयुक्त निदेशक,

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
सभी अनुमंडलीय सांख्यिकी पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 1986 ई० ।

विषय :- जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण हेतु प्रपत्र का निर्धारण।

महाशय,

निदेशालय के पत्रांक 110, दिनांक 25 जनवरी 1986 के संदर्भ में सूचित करना है कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रेषण हेतु एक प्रपत्र का निर्धारण किया गया है जिसकी एक प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न है । साथ ही आपसे अनुरोध है कि रजिस्ट्रीकरण इकाइयों के निरीक्षण के उपरांत इस प्रपत्र में ही निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय भेजने की कृपा करें ।

विश्सवासभाजन,
बी० एन० साहु,
संयुक्त निदेशक ।

ज्ञापांक -1188

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 1986 ।

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

बी० एन० साहु,
संयुक्त निदेशक ।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाई का निरीक्षण प्रतिवेदन

1. रजिस्ट्रीकरण इकाई का ब्योरा-
   (क) इकाई का नाम
   (ख) जिला ....., अनुमंडल ....., अचंल....., पुलिस स्टेशन.....
   (ग) इकाई का प्रकार ..... ग्रामीण/शहरी
   (घ) इकाई के अन्तर्गत गाँवों/वार्डों की संख्या .....
   (ङ) इकाई की जनसंख्या .....
   (च) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
   (छ) क्या इकाई में रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का साईनबोर्ड है? ..... हाँ/नहीं
   (ज) रजिस्ट्रार का नाम एवं पदनाम ..... हाँ/नहीं
   (झ) क्या रजिस्ट्रार प्रशिक्षित है? ..... हाँ/नहीं
2. रजिस्ट्रीकरण इकाई का कार्यक्रम-
   (क) क्या रजिस्ट्रीकरण इकाई का नजरी नक्शा लभ्य है? हाँ/नहीं
   (ख) क्या इकाई में सादी प्रतियाँ और अन्य प्रपत्र वर्ष भर के लिए उपलब्ध हैं ? हाँ/नहीं
   (ग) क्या इकाई में अधिसूचकों की सूची संधारित है? ..... हाँ/नहीं
   (घ) क्या रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र में स्थित अस्पतालों/काराओं एवं अन्य संस्थाओं की सूची संधारित है? ..... हाँ/नहीं
   (ङ) क्या इकाई में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/नियमावली/कार्यकारी आदेश की एक-एक प्रति उपलब्ध है? ..... हाँ/नहीं
   (च) क्या इकाई में जन्म-मृत्यु की अनुमानित घटनाओं की संख्या उपलब्ध है? हाँ/नहीं
   (छ) क्या इकाई में रजिस्ट्रीकरण अभिलेख साफ-सुथरा एवं सुरक्षित ढंग से रखा जाता है? ..... हाँ/नहीं
   (ज) क्या सूचित घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण निर्धारित अवधि में किया जाता है? हाँ/नहीं
   (झ) क्या विलंबित घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं नियमावली में अंकित उपबंधों के अनुसार किया जाता है? ..... हाँ/नहीं
   (ञ) क्या विलंबित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के उपरांत इससे संबंधित ''डी'' अथवा ''विल'' लिखा जाता है? हाँ/नहीं
   (ट) क्या प्रविष्टियों की शुद्धि अधिनियम में अंकित उपबंध-15 एवं नियमावली के नियम 11(1) से 11(7) के अनुसार की जाती है? ..... हाँ/नहीं
   (ठ) क्या अधिसूचकों से सूचनाएं प्राप्त होती है? हाँ/नहीं
   (ड) क्या अधिसूचकों से सूचनाओं की प्राप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा अनुवर्त्ती कार्रवाई की जाती है? ..... हाँ/नहीं
   (ढ) जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचित/अधिसूचित करने वाली संस्थाओं की संख्या-
      (i) नियमित रुप से .....
      (ii) यदा-कदा .....
      (iii) कभी नहीं .....
   (ण) क्या मृत्यु के कारण से संबंधित चिकित्सा प्रमाण-पत्र सम्बद्ध चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रार को भेजा जाता है?..... हाँ/नहीं

(त) क्या विगत वर्षों के अभिलेख अनुमंडलीय अभिलेखागार में भेज दिए गये हैं ? हाँ/नहीं

3. रजिस्ट्रीकरण कार्य की प्रगति–

(क) गत मासिक जीवनांक प्रतिवेदन के प्रेषण की तिथि .....

(ख) देय जीवनांक प्रतिवेदनों का ब्योरा, जो नहीं भेजा गया है ।.....

4. निरीक्षी पदाधिकारी की अभ्युक्ति –

(क) निरीक्षण की तिथि .....

(ख) रजिस्ट्रीकरण इकाई का किये गये गत निरीक्षण का ब्योरा–

(i) पदाधिकारी का नाम तथा पदनाम .....

(ii) निरीक्षण की तिथि .....

(ग) जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं का भौतिक सत्यापन–

(i) सत्यापित गाँव का नाम एवं थाना संख्या/सत्यापित वार्ड का नाम एवं वार्ड संख्या .....

(ii) सत्यापित घटनाओं की संख्या–

जीवित जन्म .....मृत–जन्म ..... मृत्यु .....

(घ) सत्यापन के क्रम में पायी गयी अरजिस्ट्रीकृत घटनाओं का ब्योरा–

जीवित जन्म .....मृत–जन्म ..... मृत्यु .....

(ङ) सत्यापन के क्रम में पायी गयी वैसी रजिस्ट्रीकृत घटनाओं की संख्या जो ग्राम/वार्ड में घटित नहीं हुई हो।

जीवित जन्म .....मृत–जन्म ..... मृत्यु .....

(च) चालू वर्ष में निरीक्षण की तिथि तक कुल रजिस्ट्रीकृत घटनाओं की संख्या –

(i) अवधि 1 जनवरी ..... से ..... तक

(ii) जीवित जन्म ..... मृत जन्म ..... मृत्यु .....

(छ) क्या निर्धारित मापदंड के अनुसार निकाली गयी अनुमानित घटनाओं तथा वास्तविक रजिस्ट्रीकृत घटनाओं की संख्या में तालमेल है ? ..... हाँ/नहीं

(ज) रजिस्ट्रीकरण इकाई के कार्यकलाप के संबंध में सामान्य अभ्युक्ति बहुत अच्छा/ संतोषप्रद/असंतोषप्रद/दयनीय

(झ) रजिस्ट्रार के लिए कोई विशेष सुझाव .....

.....

.....

तिथि .....

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम .....

पत्रांक 7/ब3-0489/75-शि०-258

शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक

श्रीमती शकुन्तला सिन्हा,
निदेशक (विद्यालय शिक्षा), बिहार,

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक

सभी अवर-प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी-सह-नगरपालिका शिक्षा पदाधिकारी

प्रशासक, पटना नगर निगम ।

पटना, दिनांक 12 अगस्त, 1975 ।

विषय :- स्कूल में प्रथम प्रवेश के समय जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपस्थापित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं के निबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 पारित किया गया है जो इस राज्य में 1 अप्रील 1970 से लागू है । इस अधिनियम के अन्तर्गत देश अथवा राज्य में हुई सभी जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का निबंधन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सेवक तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति के चिकित्सा पदाधिकारी को निबंधक घोषित किया गया है ।

2. इस अधिनियम के व्यापक प्रचार तथा प्रगति लाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल में प्रथम प्रवेश पाने के समय बालक के जन्म प्रमाण-पत्र की मांग अनिवार्य रूप से सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में की जाय । परन्तु यह अवश्य देखा जाय कि इसके चलते अनिवार्य तथा नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रसार कार्य को हानि नहीं पहुंचे ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा संस्थाओं को अविलम्ब अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,
शकुन्तला सिन्हा,
निदेशक (विद्यालय शिक्षा), बिहार ।

ज्ञापांक -258

पटना, दिनांक 12 अगस्त, 1975 ।

प्रतिलिपि योजना विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय) को सूचनार्थ अग्रसारित ।

शकुन्तला सिन्हा,
निदेशक (विद्यालय शिक्षा), बिहार ।

गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित

: जनगणना

Telegram : "REGGENLIND"

सं०1/12/87-जीवनांक (समन्वय-हि.प्र.)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-I, आर.के पुरम,
V.S. DIVISION, WEST BLOCK-I, R.K. PURAM,

नई दिल्ली, दिनांक 15-09-2000
New Delhi, Dated

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु
तथा निदेशक सांख्यिकी और मूल्यांकन,
बिहार,
पुराना सचिवालय, बैरक नं. 17,
पटना-800015

भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को विभिन्न राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालयों से काफी पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें ''गुमशुदा व्यक्ति'' की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिन्हें उनके गुम होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर न्यायालय द्वारा माने जाने के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि गुमशुदा व्यक्तियों की मृत्यु की तारीख और स्थान का निर्धारण किस प्रकार से किया जायेगा। यह मामला विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था और उनके द्वारा दी गई सलाह से संबद्ध उद्धरण नीचे दिया जाता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 और 108 इस बात के सबूत के भार और उपधारणा से संबंधित है कि क्या व्यक्ति मृत है या जीवित। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह लक्ष्मी अमै बनाम आर. गोपाल पातर ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 999 में यह निर्णय दिया है कि धारा 108 के अंतर्गत इस बात की कोई उपधारणा नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु किस विशिष्ट तारीख को हुई या सात वर्ष किस तारीख को समाप्त हुए। साधारणतया, जिस व्यक्ति के बारे में सांविधिक अवधि तक कुछ भी पता न चले उसे सात वर्ष पूरा होने के पश्चात् ही मृत माना जाएगा उससे पहले नहीं।

जहां तक सात वर्ष से अधिक समय तक गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान के निर्धारण का संबध है, यह एक तथ्यपूरक प्रश्न है और सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा उनके सामने इस संबंध में प्रस्तुत किए गए मौखिक

और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इनका निर्धारण किया जाए। चूंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा नियमों में गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की तारीख और स्थान के निर्धारण के प्रश्न के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है अत: इस प्रयोजन के लिए दायर किये गए घोषनात्मक वाद में न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख पर निर्भर किया जा सकता है।

भवदीय।

(नन्द लाल)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

तार : 'जनगणना'
Telegram : "REGGENLIND"
E-mail - rgcrs@rgi.satyam.net.in

सं०/No.1/2/88-VS (Cord.)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-I, रामकृष्णपुरम,
VITAL STATISTICS DIVISION, WEST BLOCK-1, R.K. PURAM,

नई दिल्ली, दिनांक _____
New Delhi, the July 14, 1999

To,

The Chief Registrar of Births & Deaths and
Director of Statistics & Evaluation, Bihar,
Old Secretariat, Barrack No. 17,
Patna - 800 015

Sub : Registration of birth of children taken on adoption.

Sir,

The matter relating to registration and issuance of birth certificates with the name of adoptive parents in respect of children taken on adoption has been under consideration of this office for quite some time now. This problem was being increasingly posed from different quarters and was beginning to assume greater dimensions. The Supreme Court in its judgement dated 14.8.91 in the CMP No. 5704 and 8842 of 1990 in the Writ Petition No. 1171 of 1982 - L.K. Pandey vs Union of India has also clearly recognized the need for issuing birth certificate to adopted children showing the name of the adoptive parents.

2. In pursuance to the Supreme Court judgements during 1984 to 1986 in the Writ Petition mentioned above, the Govt. of India in July, 1989 issued certain guidelines to facilitate the implementation of the norms, principles and procedures relating to adoption of children. Subsequent to a number of clarifactory judgements on the same case delivered by the Supreme Court between 1989 to 1991, the Govt. constituted a Task Force under the Chairmanship of Justice (Retd.) P.N. Bhagawati, former Chief Justice of India to revise the earlier guidelines. The report of the Task Force which was submitted in August, 1993 has been accepted by the Govt. and a Revised Guidelines for adoption of Indian Children has been issued for information, which inter-alia includes a set of specific procedures for registration of births of adopted children and issuance of birth certificate thereof. The salient features of the guidelines are given below :

i) An application is to be made by the agency to the local Magistrate alongwith any other relevant material in form of an affidavit made by responsible person belonging to the agency.

ii) The Magistrate is to pass an order approving the particulars to be entered in the birth certificate and same is to be issued by the registrar of the area where the child was found.

iii) The chief Medical Officer of the district is to be involved in ascertaining the age and the Magistrate would ordinarily act on the certificate granted by him.

iv) Normally, the process should be initiated before the adoption is finalised, so that the particulars of adoptive parents are available for inclusion in the certificate.

v) If the child has attained three years of age and adoption has not been finalised, the agency is to obtain a birth certificate, if found necessary, after informing the court in the form of an affidavit giving the following details :

   a) that to the best of its knowledge the child has attained the age of three years;

   b) that his/her adoption has not been finalised and is likely to take some time or may never be finalised in all probability.

   c) that a certificate is required for educational/medical/legal purposes or any other reasonable purpose which may be specified; and

   d) that person/persons would stand in as local parents to the child (this person/these persons should be a responsible person/responsible persons belonging to the placement agency) till such time as he/she attains majority, or is adopted, whichever is earlier.

vi) A second birth certificate is to be issued after adoption to provide for a change in name/names of the child and the adoptive parent/parents after obtaining an order to that effect from the court which had passed order for issuing the original birth certificate.

3. It has been decided to accept in full the procedure as laid down in the above mentioned guidelines. The only area that needs further amplification in the procedures, relates to the ascertainment of age of the child. Although, under the guidelines, the CMO is to be involved in ascertainment of age and Magistrate is to act on the certificate granted by CMO, it would be necessary to decide on the exact date of birth as mere mention of age in completed years or even years and months would not be sufficient. Therefore, on the certificate granted by the CMO, the Magistrate should also arrive at a date of birth of the child while approving and ordering the other particulars to be entered in the certificate.

Relevant extract from Revised Guidelines for Adoption of Indian Children, 1995 - Ministry of Welfare, Government of India.

Birth Certificate

4.18 Every child must have a birth certificate. For issuing a birth certificate in respect of an abandoned or destitute child, the registration of whose birth is not available, the agency concerned must make an application to the local Magistrate alongwith any other material which the agency considers relevant in the form of an affidavit made by a responsible person belonging to the agency. The local magistrate

will then pass an order approving the particulars to be entered in the birth certificate and on the basis of the magisterial order, the requisite certificate will be issued by the local birth certificate issuing authority of the city/town/area where the child has been found. The Chief Medical Officer of the district may be involved in the enquiry for ascertaining age. The Magistrate would ordinarily act on the certificate granted by the Chief Medical Officer. This process would be initiated only after the adoption is finalised, so that the particulars of the adoptive parents are available for inclusion in the certificate. In case the child has attained the age of three, and the adoption has still not been finalised, the agency may obtain a birth certificate, if it is found necessary, after informing the court in the form of an affidavit.

(a) that to the best of its knowledge the child has attained the age of three years;

(b) that his/her adoption has not been finalised and is likely to take some time or may never be finalised in all probability.

(c) that a certificate is required for educational/medical/legal purposes or any other reasonable purpose which may be specified; and

(d) that person/persons would stand in as local parents to the child (this person/these persons should be a responsible person/responsible persons belonging to the placement agency) till such time as he/she attains majority, or is adopted, whichever is earlier.

In such cases a second birth certificate may be issued after adoption to provide for a change in the name/names of the child and the adoptive parent/parents after obtaining an order to that effect from the court which had passed order for issuing the original birth certificate.

4. It may, however, be noted that the said guidelines pertain to only those children who are sponsored for adoption by the orphanages, child welfare agencies and other like agencies. There are large number of adoptions that take place outside these institutional arrangements, for example children taken on adoption from relatives or friends. It has been decided to extend the benefit to such children also. As formal adoptions of such nature are prevalent mostly in urban areas, it is more than likely that births of these children would have been registered and birth certificates issued. In such cases, it would be sufficient if the Magistrate having jurisdiction over the area passes an order approving the particulars of the adoptive parents to be entered/altered in the birth register/certificate and also pass an order for issuing a second birth certificate. If in case, the birth has not been registered the Magistrate passing the order for issuing a second birth certificate. If in case, the birth has not been registered the Magistrate passing the order has to determine the exact date of birth, which he can do on the basis of relevant proof or declaration from the natural parents and in their absence, on the basis of the certificate granted by the Chief Medical Officer.

5. The Registrar, as he does in case of other court order, has to make an entry in the ‘remarks’

column giving details of the court order (including date) while entering or correcting as per the particulars approved by the Magistrate.

6. If the birth is being registered after the normal reporting period all the procedures laid down under Section 13 of the RBD Act, 1969 have to be strictly followed.

7. You are now requested to bring this to the notice of all the registration functionaries down the hierarchy right upto the level of the local registrar. This may also be circulated to all agencies in your state that sponsor adoption of children. It has also to be ensured that the local Magistrates who would be passing the orders in this regard are made aware of the procedure laid down under the guidelines through appropriate channels.

A copy of the instruction issued in this regard may be forwarded to this office by 7.8.99.

Yours faithfully,

(R.G. Mitra)
Deputy Registrar General.

झारखण्ड सरकार

योजना एवं विकास विभाग

दिनांक : 14/06/2005

संख्या-901/9 विविध-5-73/03/यो०वि०, राँची

अधिसूचना

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारी को दिये गये क्षेत्र के लिये उसमें उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	पद का नाम	जन्म-मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पदेन पदनाम	क्षेत्र	जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 की निम्न धाराओं के अन्तर्गत
1.	सचिव, योजना एवं विकास विभाग	मुख्य रजिस्ट्रार	झारखण्ड	धारा 4, उपधारा (1)
2.	निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय	अपर मुख्य रजिस्ट्रार	झारखण्ड	धारा 4, उपधारा (2)
3.	उपायुक्त / जिलाधिकारी	जिला रजिस्ट्रार	संबंधित जिला	धारा 6, उपधारा (1)
4.	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	अपर जिला रजिस्ट्रार	संबंधित जिला	धारा 6, उपधारा (1)
5.	सिविल सर्जन	अपर जिला रजिस्ट्रार	संबंधित जिला	धारा 6, उपधारा (1)

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 1332 दिनांक 08.10.2002, ज्ञाप संख्या-1699 दिनांक 14.05.1971 एवं ज्ञाप संख्या-923 दिनांक 06.10.1987 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 उपधारा (1) के अन्तर्गत नगर निगम/नगरपालिका/नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र/पंचायत क्षेत्र/धनबाद/बोकारो स्टील सिटी के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में निर्गत अधिसूचना के तहत की गई व्यवस्था यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्य के आदेश से

(जुन्नू किस्कू)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक संख्या 401/राँची

दिनांक : 10/03/05

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 100 (सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को प्रेषित करने की कृपा करें।

सरकार के अपर सचिव

.....

ज्ञापांक संख्या 401/राँची

दिनांक 10 मार्च, 2005

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त के सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / सचिव के सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड, राँची / सभी उप विकास आयुक्त, क्षेत्र प्रमंडल, राँची / निदेशक, सांक्ष्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) दक्षिणी क्षेत्र प्रमंडल, राँची / उपनिदेशक (सांख्यिकी) उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग / सहायक निदेशक (मूल्यांकन) राँची / सहायक निदेशक (मूल्यांकन) हजारीबाग / सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी सिविल सर्जन / सभी नगर निगम / सभी नगरपालिका / सभी जिला अधिसूचित क्षेत्र समिति / बोकारो स्टील सिटी (निबंधक) धनबाद जिला निबंधक / विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

.....

ज्ञापांक संख्या 905

प्रतिलिपि - 1. श्री विमलेश कुमार पांडे, उपानिदेशक, जीवनांक सां० एवं मू० निदेशालय एवं

2. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक, कम्प्यूटर एवं जीवनांक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

झारखण्ड गजट

आसाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 393 7 श्रावण, 1927 शकाब्द

राँची, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2005

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय एवं

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) का कार्यालय, राँची

.....

अधिसूचना

21 जुलाई, 2005

प्रारुप संख्या 4

(नियम 7 देखिये)

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(अस्पताल अंतः रोगियों के लिए, मृत जन्म के लिए व्यवहार नहीं किया जाना है)

प्रारूप संख्या 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जाना है

अस्पताल का नाम .....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उस व्यक्ति जिसकी विवरणियां नीचे दी जा रही है, की मृत्यु अस्पताल के वार्ड संख्या .... में तारीख ..... को बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में हुई।

मृतक का नाम :.....					सांख्यिकी कार्यालय के उपयोग के लिए
लिंग	**मृत्यु के समय उम्र**				
	यदि 1 या 1 से अधिक वर्ष हो, तो उम्र पूरे वर्ष में	यदि एक वर्ष से कम हो, तो उम्र महीने में	यदि एक महीने से कम हो, तो उम्र दिनों में	यदि एक दिन से कम हो, तो उम्र घन्टों में	..
1. पुरूष 2. स्त्री					

मृत्यु का कारण		बीमारी की शुरुआत और मृत्यु के बीच अनुमानित अन्तराल
I		
तत्कालिक कारण : उस बीमारी, चोट या उलझन को बताएं जिसकी वजह से मृत्यु हुई, न कि मरने का कारण। उदाहरण के लिए दिल का दौरा, कमजोरी आदि।	**(क)**	
पूर्ववत कारण : मृत्यु के उक्त कारण के लिए, यदि कोई पुरानी बीमारी हो तो बताएं।	**(ख)** ..... कारण (परिणामस्वरूप) **(ग)**	
II		
मृत्यु के लिए अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण जिसका उस बीमारी या हालत से हुई संबंध नहीं हो जिसके कारण मृत्यु हुई हो।	.....	

मृत्यु का प्रकार

1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 3. आत्महत्या 4. मानव वध/हत्या 5. लम्बित अनुसंधान चोट कैसे लगी?

यदि मृतक महिला थी, क्या गर्भकाल में मृत्यु हुई? 1. हाँ 2. नहीं

यदि हां, तो क्या प्रसव हुआ था? 1. हाँ 2. नहीं

मुत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाले चिकित्सा परिचायक का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापन की तिथि .....

निर्देश के लिए पीछे देखिये।

(अलग कर मृतक के सम्बन्धी को दिया जाये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... इस अस्पताल में .....

..... को दिनांक ..... को भर्ती किया गया और उसकी मृत्यु तारीख ..... को हुई।

चिकित्सक .....

(चिकित्सा अधीक्षक, अस्पताल का नाम)

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र
प्रारूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नाम : पूर्ण रूप में दिया जाना है संक्षेप में नहीं। यदि मृतक शिशु हो और मृत्यु के समय तक उसका नामकरण नहीं हुआ हो, तो पुत्र या पुत्री लिखकर उसके माता और पिता का नाम अंकित करें।

उम्र : यदि मृतक की उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो, तो उम्र पूरे वर्षों में दें। यदि मृतक की उम्र 1 वर्ष से कम हो तो उम्र महीनों में दें। और यदि 1 महीने से कम हो, तो पूर्ण किये गये दिनों में दें तथा यदि 1 दिन से कम हो तो घन्टों में दें।

मृत्यु का कारण : इस भाग को चिकित्सा कर रहे चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत यप से हमेशा भरा जाना चाहिए। मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र दो भागों में विभाजित हैं, I पुनः II । I पुनः I भाग I को तीन भागों में विभाजित किया गया है - तथा पंक्ति (क), (ख) और (ग) I यदि रोगग्रस्त की एक दशा में मृत्यु पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाए, तो यह भाग I की पंक्ति (क) पर लिखा जाएगा और भाग I के शेष भाग या II भाग में कुछ अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरणार्थ चचेक, (बड़ी माता) खंडीय निमोनिया, हृदय रोग, सुखंडी (हीरी-बेरी) मृत्यु के यथेष्ट कारण है और सामान्यतः इससे ज्यादा अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

फिर भी प्रायः मृत्यु के समय उपस्थित रोग ग्रस्त की अनेक दशायें होंगी और तक चिकित्सक प्रमाण-पत्र को सही रूप से भरेंगे ताकि सही मूल कारण का सारणीयन हो सके। सर्वप्रथम मृत्यु के तात्कालिक कारण को भाग I (क) में अंकित करें। यह मृत्यु की प्रक्रिया का अभिप्राय नहीं है। उदाहरणार्थ हृदय गति का अवरोध, श्वसन क्रिया में अवरोध आदि। ये बातें प्रमाण-पत्र में बिल्कुल अंकित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु की परिभाषायें हैं, न कि मृत्यु का करण। तत्पश्चात् उन कारणों को लें जहाँ तात्कालिक कारण पेचिदा हो या मृत्यु अन्य कारणों के दूरगामी परिणामस्वरूप हो। यदि वैसा हो, तो पूर्ववत् कारण भाग I की पंक्ति (ख) में अंकित करें। कभी-कभी मृत्यु की घटनाओं में तीन स्तर की प्रक्रियाएँ होंगी। यदि वैसा हो, तो पंक्ति (ग) पूरे किये जाएंगे। सारणीयन किये जाने वाले मूल कारण हमेशा भाग I के अंत में अंकित किया जाना है।

उपस्थित रोगग्रस्त दशायें या चोट से घटित घटनाओं के सिलसिले में मृत्यु के कारण से सीधे संबंधित नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु का कारण बनी। कभी-कभी चिकित्सक यह निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं, विशेष तौर पर शिशु मृत्युओं की स्थिति में विभिन्न स्वतंत्र दशाओं में मृत्यु के प्राथमिक कारण क्या है, लेकिन मात्र एक ही कारण सारणीयन किया जाना है, इसलिए चिकित्सक द्वारा अवश्य निर्णय लिया जाता है। यदि अन्य रोग मूल कारण के परिणाम सवरूप नहीं हो, तो वे भाग II में प्रविष्ट किये जायें। दो या अधिक दशाओं को एक पंक्ति में न लिखें। कृपया प्रमाण-पत्र में रोगों के पूरा नाम को लिखें, ताकि गलत पढ़ने के जोखिम से बचा जा सके, कानूनन तौर पर जहां तक संभव हो।

प्रारंभ : जहां तक सम्भव हो, बीमारी की शुरूआत और मृत्यु के बीच के अन्तराल का स्तम्भ पूरा भरें, भले ही उसे लगभग रूप में भरें, अर्थात् 'जन्म से' 'अनेक वर्षों से'।

दुर्घटना से या हिंसा से हुई मृत्यु : बाह्य कारण एवं चोट की प्रकृति दोनों आवश्यक है और उसका विवरण दिया जाना चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को चोट का विवरण अंकित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। यथा शरीर के भाग में लगी चोट का विवरण देते हुए बाह्य कारण का पूर्ण विवरण अंकित करना चाहिये, जब ऐसा अंकित किया जाता हो, उदाहरण (क) हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया, (ख) गर्दन की हड्डी का टूटना, (ग) घर की सीढ़ी से गिरना।

मातृ मृत्यु : गर्भवस्था और प्रसव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु आश्वस्त हो लें। यह सूचना गर्भधारण करने योग्य आयु की सभी महिलाओं के लिये आवश्यक है, चाहे गीं या मृत्यु से कोई संबंध न हो।

वृद्धावस्था या बुद्धता : वृद्धावस्था को मृत्यु के कारण के रूप में अंकित नहीं किया जाना चाहिए, यदि अन्य विशिष्ट कारण ाात हो। अगर मृत्यु के कारण से बुढ़ापा का योगदान हो, तो इसे भाग II में अंकित किया जाना चाहिए, उदाहरण (क) पुरानी खांसी, बुढ़ापा।

सूचना की पूर्णत : रोगी की पूर्ण विवरण (केस हिस्ट्री) की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सूचना उपलब्ध हो, तो यथेष्ट विवरण दिया जाना चाहिए ताकि मूल कारण को सही ढंग से वर्गीकृत करने में सहुलियत हो सके।

उदाहरण : रक्तक्षीणता - रक्तक्षीणता का प्रकार दें, अगर ज्ञात हो, गंधद्रव्य (न्यूपलाजम) - सूचित करें कि शुरूआत या केसरी है और निर्धारित करें, प्राथमिक न्यॅप्लाजम के सथा के साथ, जब कभी सम्भव हो। हृदयरोग-विशेष रूप से दशा के बारे में विवरण दें, अगर रक्ताधिक्य (कनजेस्टीव हर्ट-फेल्यूअर) हृदयगति रूकना, फेफड़े का पुराना रोग आदि उल्लिखित है तो पूर्ण दशाओं का विवरण दें। टेटनस-पूर्ववर्ती चोट का विवरण दें, अगर ज्ञात हो। शल्य-क्रिया-उस सिीति का विवरण दें जिसके लिये शल्य-क्रिया की गई थी। पेचिस-दण्डाणु (खूनी)-अमीबी, अमाशा आदि का उल्लेख करें, अगर ज्ञात हो। गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएँ-जटिलताओं का विशेष रूप से विवरण दें। यक्ष्मा (ट्यूबरकलोसिस) - प्रभावित अंगों का विवरण दें।

लाक्षणिक कथन : ऐंठन, अतिसार (दस्त की बीमारी), ज्वर, जलोदर, पीलिया, दुर्बलता आदि ऐसे लक्षण हैं, जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकते हैं। कभी-कभी इससे अधिक कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है, परन्तु जब कभी सम्भव हो, उस रोग को लिखें, जो लक्षणों को प्रदर्शित करता हो।

मृत्यु का प्रकार : बाह्य कारणों से हुई मृत्यु का प्राकृतिक रूप में पहचान न किया जाए, अगर मुत्यु का कारण ज्ञात हो कि दुर्घटना, आत्महत्या या मानववध के परिणामस्वरूप हुआ हो, और इस संबंध में अनुसंधान किया जाना हो, तो मृत्यु का कारण अपरिवर्तित रूप में अंकित किया जाना चाहिए, और मृत्यु का प्रकार ''लंबित अनुसंधाान'' के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

प्ररुप सं० 2

मृत्यु रिपोर्ट
विधिक सूचना
इस भाग को जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

1 मृत्यु की तारीख:
(मृत्यु की वास्तविक तिथि, उदाहरणार्थ 01.01.2000)

2 मृतक का नाम :
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है।)

3 पिता /पति का नाम:
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है ।)

4 मृतक का लिंग :
('पुरूष या 'स्त्री', पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं)

5 मृतक की उम्र :
(यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से अधिक हो, तो उसकी उम्र पूरे वर्षों में लिखें। यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1वर्ष से कम हो, तो पूरे महीनों में लिखें और यदि 1 महीना से कम हो, तो पूरे दिनों में और यदि एक दिन से कम हो, तो पूरे घंटों में लिखें)

6 मृत्यु का स्थान :
(नीचे लिखी प्रविष्टि 1, 2 या 3 जो उपयुक्त हो, चिह्नित करें । अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें,
जहाँ मृत्यु की घटना हुई है। यदि अन्य स्थान पर मृत्यु हुई हो, तो उस स्थल की पहचान दें।)
1 अस्पताल/संस्थान -नाम :
2 घर : पता :
3 अन्य स्थान :

7 मृतक का स्थायी पता :

8 सूचक का नाम :
पता :

(1 से 19 तक के सभी मदों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे)

तारीख : सूचक का हस्ताक्षर या बाँयें अँगूठे का निशान

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
रजिस्ट्रीकरण इकाई:
शहर/ग्राम: जिला:
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

मृत्यु रिपोर्ट
सांख्यिकीय सूचना
इस भाग को अलग कर सांख्यिकीय प्रशोधन के लिए भेजा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

9 मृतक के निवास स्थान का शहर या ग्राम:
(मृतक जहाँ वास्तव में निवास करते थे । यह उस स्थान जहाँ मृत्यु की घटना हुई है, से भिन्न हो सकता है । घर का पता अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।)
(क) शहर/ग्राम का नाम:
(ख) यह शहर है या ग्राम: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें ।)

1. शहर 2. ग्राम

(ग) जिला का नाम :

(घ) राज्य का नाम :

10 धर्म: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें।)
1 हिन्दू 2. मुस्लिम 3 इसाई
4 अन्य कोई धर्म: (धर्म का नाम अंकित करें।)

11 मृतक का व्यवसाय :
(अगर व्यवसाय न हो तो 'शून्य' अंकित करें ।)

12 मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार :
(नीचे अंकित उपर्युक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)
1 संस्थागत

2 संस्थान से अलग चिकित्सा सहायता

3 कोई चिकित्सा सहायता नहीं

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु-

नाम कोड संख्या

जिला :
तहसील :
शहर/ग्राम :
रजिस्ट्रीकरण इकाई :

प्ररुप सं० 2

सूचक द्वारा भरने हेतु

13 क्या मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण हुआ था ?
(नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)
1 हाँ 2 नहीं

14 रोग का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण :
(सभी मृत्युओं की दशा में चाहे वह चिकित्सीय प्रमाणित हो अथवा नहीं)

13 स्त्री की मृत्यु की दशा में, क्या मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव के समय या गर्भ समाप्ति के 6 सप्ताह के अन्दर घटित हुई :
(नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)

1 हाँ 2 नहीं

16 (यदि धूम्र-पान के आदी थे-
तो कितने वर्षों से ?:

17 यदि किसी रूप में तम्बाकू (खैनी, सुरती)
खाने के आदी थे - तो कितने वर्षों से ? :

18 यदि किसी रूप में सुपारी (कसैली) खाने
के आदी थे (पान मशाला सहित)- तो कितने वर्षों से ?:

19 यदि मद्य-पान करने के आदी थे -
तो कितने वर्षों से ?:

(मदों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाँयीं तरफ हस्ताक्षर करें ।)

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु-

रजिस्ट्रीकरण की संख्या: रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
मृत्यु की तारीख : लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
उम्र : वर्षों/महीनों/दिनों/घंटों
मृत्यु का स्थान : 1. अस्पताल/संस्थान 2. घर
3. अन्य स्थान

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

अधिसूचना

21 जुलाई, 2005

संख्या 1150–उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट
सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
झारखण्ड राँची।

DIRECTORATE OF STATISTICS AND EVALUATION
&
OFFICE OF THE CHIEF RRGISTRAR (BIRTH & DEATHS), RANCHI

NOTIFICATION

The 21st July, 2005

No. 7/VS/Jeewnank/44/2005-1150-In exercise of powers conferred by section - 30 of the Registration of Births ans Death Act, 1969 and under section - 10 (2) thereof, the State Government is pleased to make it compulsory to issue medical certificate of cause of Death (In the prescribed Form No. - 4 enclosed) in the following Medical Institutions with effect from the date of publication of this notification namely -

1. All District Hospitals managed by Government of Jharkhand.
2. Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS), Ranchi.
3. M.G.M. Medical College Hospital, Jamshedpur.
4. Parliputra Medical College Hospital, Dhanbad.
5. Private Hospitals including maternity & nursing homes located in Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad & Bokaro towns.

These institutions shall present the Medical Certification of cause of death in Form No. - 4 to the concerned Registrar of Births & Deaths at the time of giving information of death as required under the Act.

By order and in the name of the Governor of Jharkhand,
(Sd/-) Illegible,
secretary,
Planning and Development Department
Jharkhand, Ranchi

FORM - 4
(See Rule 7)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

(Hospital in-patients. Not to be used for still births)

To be sent to Register aslong with Form No. 2 (Death Report)

Name of the Hospital .....

I have by certify that the person whose particulars are given below died in the hospital in Ward no ..... on ..... at ..... AM/PM.

NAME OF DECEASE					FOR USE OF Satistical Office
		Age at Death			
Sex	If 1 year or more age in years	if less than 1 year age in years	If less than one month age in day	If less than one day age in hours	
1. Male 2. Female					
Cause of Death				Interval between Onset and death approx	
I **Immeduate cause** State the disease, Injury or complication which caused death, not the mode of dying such as heart failure, asthenia, etc	(a) ..... due to (or as a consequences of				
Antecedent cause Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause, stating underlying conditions last	(b) ..... due to (or as a consequences of				
II State the disease, Injury or complication which caused death, not the mode of dying such as heart failure, asthenia, etc	(c)				

Manner of Death How did the injury occur ?
1. Natural 2. Accident 3. Suicide 4. Homicide
5. Pending investigation

If decesed was a female, was pregnancy the death associated with? 1. Yes 2. No
If yes, was there a delivery? 1. Yes 2. No

Name and signature of Medical Attendant certifying the cause of death

Date If verification .....

SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS

(To be detached and handed over to the deceased)

Certified that Shri/Smt/Kum ..... S/W/D of Shri .....

R/O ..... was admitted to this hospital on .....

and expired on .....

Do
(Medical Supdt.....
Name of Hospital)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH
Directions for compieting the form 4

Name of deceased : To be given in full. Do not use initials. If deceased is an infant, not yet named at time of death, write 'Son of (S/o)' or 'Daughter of (D/o)' followed by names of mother and father.

Age : If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below 1 month give age in completed number of days, and if below on day, in hours.

Cause of Death : This part of the form should always be completed by the attending physician personally.

The certificate of cause of death is divided into two parts, I and II, part I is again divided into three parts lines (a) (b) (c). If a single morbid condition completely explains the deaths, than this will be written on line (a) of part I, and nothing more need be written in the first of Part I or in Part II, for example, smallpox, Iobar pneumonia, cardiac beriberi, are sufficient cause of death and usually nothing more is needed.

Often, however, a number of morbid conditions will have been present at death, and the doctor must then complete the certificate in the proper manner so that the correct underlying cause will be tabulated. First, enter in Part I (a), the immediated cause of death. This does not mean the mode of dying, e.g. heart failure, respiratory failure, etc. These terms should not be appear on the certificate at all since they are modes of dying and not causes of death. Next consider whether the immediate cause is a complication or delayed result of some other cause. If so, enter the antecedent cause in Part I, line (b) sometimes there will be three stages in the course of events leading to death. If so line (c) will be completed. The underlying cause to be tabulated is always written in lest in Part I.

Morbid conditions of injuries may be present which were not directly related to the train of events, causing death but which contributed in some way to the fatal outcome. Sometimes the doctor finds it difficult to decide, cause can be tabulated. So the doctor must decide. If the other diseases are not effects of the underlying cause, they are entered in Part II.

Do not write two or more conditions on a single line, Please write the names of the diseases (In full) in the certificates as legibly as possible to avoid the risk of their being misread.

Onset : Complete the column for interval between onset and death whenever possible, even if very approximately. e.g., "from birth" "several years."

Accident or violent deaths : Both the external cause and the nature of the injury are needed and should be started. The doctor or hospital should always be able to describe the injury, stationg the part or the body injured, and should give the external cause in full when this is shown. Example : (a) Hypostatic pneumounia; (a) Fracture of neck of femur; (c) Fall from ladder at home.

Maternal deaths : Be sure to answer the question on pregnancy and delivery. This information is needed for all women of child-bearing age, even though the pregnancy may have had nothing to do with the death.

Old age or senility : Old age (or senility) should not be given as a cause of death if a more specific cause is known. It old age was a contributory factor, it should be entered in part II. Example L (a) Chronic bronchitis II old age.

Completeness of information : A complete case history is not wanted, but if the information is available, enough details should be given to enable the underlying cause to be property cassefied.

Example : Aneemia - Give type of anaemia, if know, *Neoplasm* - Indicate whether bening or malignant and site with site of primary neoplasm, whenever possible, *Heart disease* - Describe the condition specifically: If congestive heart failure, chronic on pulmonale, etc are mentioned, give the antecedent conditions. Tetanus - Describe the antecedent injury, if known. Operation - State the condition for which the operation was performed *Dysentery* - Specify whether bacillary, amoebic, etc., If known, Complications of pregnancy or delivery - Describe the complication specifically *Tuberculosis* - Give organs affected.

Symptomatic statement : Convulsion, dlarrhea, fever ascites, jaundice, debilies, etc. are symptoms which may be due to any one of a number of a number of different conditions. Sometimes nothing more is known, but whenever possible, give the disease which caused the sympton.

Manner of Death : Deaths not due to external cause should be identified as 'Natural'. If the cause of death is known, but it is not known whether it was the result of an accident, suicide or homicide and is subject to further investigation, the cause of death should invariably be filled in and the manner of death should be shown as 'Pending Investigation.

प्ररुप सं० 2

मृत्यु रिपोर्ट

विधिक सूचना

इस भाग को जन्म रजिस्टर के साथ जोड़ा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

1 मृत्यु की तारीख:
(मृत्यु की वास्तविक तिथि, उदाहरणार्थ 01.01.2000)

2 मृतक का नाम :
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है।)

3 पिता /पति का नाम:
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यत: लिखा जाता है ।)

4 मृतक का लिंग :
('पुरूष या 'स्त्री', पूर्ण शब्दों में लिखें, संक्षेप में नहीं)

5 मृतक की उम्र :
(यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1 वर्ष से अधिक हो, तो उसकी उम्र पूरे वर्षों में लिखें। यदि मृत व्यक्ति की उम्र 1वर्ष से कम हो, तो पूरे महीनों में लिखें और यदि 1 महीना से कम हो, तो पूरे दिनों में और यदि एक दिन से कम हो, तो पूरे घंटों में लिखें)

6 मृत्यु का स्थान :
(नीचे लिखी प्रविष्टि 1, 2 या 3 जो उपयुक्त हो, चिह्नित करें । अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता दें,
जहाँ मृत्यु की घटना हुई है। यदि अन्य स्थान पर मृत्यु हुई हो, तो उस स्थल की पहचान दें।)

1 अस्पताल/संस्थान -नाम :
2 घर : पता :
3 अन्य स्थान :

7 मृतक का स्थायी पता :

8 सूचक का नाम :
पता :

(1 से 19 तक के सभी मदों को पूरा करने के पश्चात् सूचक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और तारीख देंगे)

तारीख : सूचक का हस्ताक्षर या बाँयें अँगूठे का निशान

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु

रजिस्ट्रीकरण संख्या : रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
रजिस्ट्रीकरण इकाई:
शहर/ग्राम: जिला:
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

मृत्यु रिपोर्ट

सांख्यिकीय सूचना

इस भाग को अलग कर सांख्यिकीय प्रशोधन के लिए भेजा जाना है ।

सूचक द्वारा भरने हेतु

9 मृतक के निवास स्थान का शहर या ग्राम:
(मृतक जहाँ वास्तव में निवास करते थे । यह उस स्थान जहाँ मृत्यु की घटना हुई है, से भिन्न हो सकता है । घर का पता अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।)
(क) शहर/ग्राम का नाम:
(ख) यह शहर है या ग्राम: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें ।)

1. शहर 2. ग्राम

(ग) जिला का नाम :

(घ) राज्य का नाम :

10 धर्म: (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें।)
1 हिन्दू 2. मुस्लिम 3 इसाई
4 अन्य कोई धर्म: (धर्म का नाम अंकित करें।)

11 मृतक का व्यवसाय :
(अगर व्यवसाय न हो तो 'शून्य' अंकित करें ।)

12 मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार :
(नीचे अंकित उपर्युक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)
1 संस्थागत

2 संस्थान से अलग चिकित्सा सहायता

3 कोई चिकित्सा सहायता नहीं

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु-

नाम	कोड संख्या
जिला :	
तहसील :	
शहर/ग्राम :	
रजिस्ट्रीकरण इकाई :	

प्ररुप सं० 2

सूचक द्वारा भरने हेतु

13 क्या मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण हुआ था ?
(नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)
1 हाँ 2 नहीं

14 रोग का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण :
(सभी मृत्युओं की दशा में चाहे वह चिकित्सीय प्रमाणित हो अथवा नहीं)

13 स्त्री की मृत्यु की दशा में, क्या मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव के समय या गर्भ समाप्ति के 6 सप्ताह के अन्दर घटित हुई :
(नीचे अंकित उपयुक्त प्रविष्टि को चिह्नित करें)

1 हाँ 2 नहीं

16 (यदि धूम्र-पान के आदी थे-
तो कितने वर्षों से ?:

17 यदि किसी रूप में तम्बाकू (खैनी, सुरती)
खाने के आदी थे - तो कितने वर्षों से ? :

18 यदि किसी रूप में सुपारी (कसैली) खाने
के आदी थे (पान मशाला सहित)- तो कितने वर्षों से ?:

19 यदि मद्य-पान करने के आदी थे -
तो कितने वर्षों से ?:

(मदों की प्रविष्टियाँ पूर्ण हुई, अब बाँयीं तरफ हस्ताक्षर करें ।)

रजिस्ट्रार द्वारा भरने हेतु-

रजिस्ट्रीकरण की संख्या: रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
मृत्यु की तारीख : लिंग : 1. पुरूष 2. स्त्री
उम्र : वर्षों/महीनों/दिनों/घंटों
मृत्यु का स्थान : 1. अस्पताल/संस्थान 2. घर
3. अन्य स्थान

रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के जनसंख्या की सूची 2001

प्रमंडल	जिला	नगरपालिका	जनसंख्या	आ० क्षे० सं०	जनसंख्या
उत्तरी छोटानागपुर	हजारीबाग	हजारीबाग	1,27,243		
	कोडरमा	झुमरीतिलैया	69,444	कोडरमा	17,160
	चतरा	चतरा	41,990		
	गिरिडीह	गिरिडीह	98,569		
	धनबाद	धनबाद	1,98,963		
				सिन्दरी	76,827
				झरिया	81,979
				कतरास	51,182
				छाताटांड	32,235
				चिरकुण्डा	39,121
दक्षिणी छोटानागपुर	बोकारो	चास	96,923	फुसरो	83,463
	राँची	राँची नगर निगम	8,46,454	बुण्डू	18,505
				खूंटी	29,271
	लोहरदगा	लोहरदगा	46,204		
	गुमला	गुमला	39,790		
	सिमडेगा			सिमडेगा	33,962
संथाल परगना	दुमका	दुमका	44,917	वासुकीनाथ	14,119
	जामताड़ा			मिहिजाम	32,869
				जामताड़ा	22,426
	देवघर	देवघर	98,372	जसीडीह	14,129
		मधुपुर	47,349		
	पाकुड़	पाकुड़	36,014		
	साहेबगंज	साहेबगंज	80,129	राजमहल	17,974
	गोड्डा	गोड्डा	37,007		
पलामू	पलामू	डाल्टेनगंज	71,307	हुसैनाबाद	23,433
	लातेहार			लातेहार	19,067
	गढ़वा	गढ़वा	36,708		
प० सिंहभूम	चाईबासा	चाईबासा	63,615		
		चक्रधरपुर	38,352		
	सरायकेला–खरसावा	सरायकेला	12,260	खरसावा	6,790
				आदित्यपुर	1,19,221
	पूर्वी सिंहभूम	जुगसलाई	46,061	जमशेदपुर	5,70,349
				चकुलिया	14,330
				मानगो	1,66,091

जिला की संख्या	–	22
नगरपालिका की संख्या	–	20
अधि० सू० स० की संख्या	–	22
नगर निगम की संख्या	–	1

LIST OF CAUSES OF DEATH

As per the International Classification of Disease-Tenth Revision (ICD-10)

Sl. No.	CAUSES OF DEATH	ICD-10 CODE
	Infectious and Parasitic Disenses	
1.	CHOLERA - Profuse watery motions, vomiting, stoppage of urine, excessive thirst, Collapse and death due to dehydration.	A 00
2.	TYPHYOID & PARATYPHOID - Fever progressively increasing and of long duration with severe headache, constipation or diarrhoea.	A 01
3.	OTHER SALMONELLA INFECTIONS - Food Poisoning with attack of vomiting and diarrhoea. The onset is sudden in nature.	A 02
4.	AMOEBIASIS - Dysentary of frequent motions with lower ballyache, Constant desire to defecate without actual defecating.	A 06
5.	DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS - Sudden onset of vomiting and diarrhoea (abnormal frequent discharge of fluids from the bowel) which are numerous in number.	A 09
6.	TUBERCULOSIS - of Lungs, Nervous System, Bones & Joints, Intestines, Other Organs with symptoms of chronle coughs, loss of weight and blood fever.	A 15
7.	PLAGUE	A 20
8.	LEPROSY	A30
9.	TETANUS - Injury or ulcer with locked jaw with whole body becoming rigid and adopts particular posture like rainbow. There is extreme exhaustion & convulsions. (Deaths of new born due to cord infection included.)	A 33
10.	DIPHTHERIA	A 36
11.	WHOOPING COUGH - Cough with Whoop at the end of the spell of severe bout of cough. Vomiting of food leading to emaciation during short illness. Fever not essential. Generally in the case of children.	A 37
12.	INFECTIONS WITH A PREDOMINANTLY SEXUAL MODE OF TRAMISSION - Sexually Transmitted Diseases like Syphillis, Gonococcal Infection.	A 50
13.	RABIES - Bite by licking animals like monkey, cat, dog.	A 82
14.	DENGUE FEVER	A 90
	Viral Infections	
15.	VARICELLA - Chicken Pox	B 01
16.	MEASLES	B 05
17.	VIRAL HEPATITIS - Acute Hepatitis A & B	B 15
18.	HIV - Human immunodeficiency virus disease resulting in infectious and parasitic diseases.	B 20
19.	MALARIA	B 50
	Cancers	
20.	CANCER OF LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX - Lip, Tongue, Gum, Mouth, Palate, Parotid Gland, Salivary Gland, Tonsil.	C 00
21.	CANCER OF DIGESTIVE ORGANS - Stomach, Small intestine, Colon, Anus or Rectum, Liver, Gallbladder, Pancreas.	C 15
22.	CANCER OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS - Nasal cavity, Middle ear, Larynx (Vocal cord), Lung, Heart	C 30
23.	CANCER OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE - Long/short bones of upper limb, long/short bones of lower limb, Bones of skull and face, Ribs, pelvic bones.	C 40
24.	CANCER OF BREAST	C 50
25.	CANCER OF FEMALE GENTAL ORGANS - Vagina, Cervix, Uterus.	C 51

LIST OF CAUSES OF DEATH (CONTD.)

As per the International Classification of Disease-Tenth Revision (ICD-10)

Sl. No.	CAUSES OF DEATH	ICD-10 CODE
26.	CANCER OF MALE GENTAL ORGANS - Penis, Prostate, testis	C 60
27.	CANCER OF URINARY TRACT - Kidney, Bladder	C 64
28.	CANCER OF EYE, BRAIN, OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	C 69
29.	LEAUKAEMIA - Blood Cancer	C 91
	Diseases of the blood and blood forming organs	
30.	ANAEMIAS - Nutritional anaemias like iron deficiency anaemia, Vitamin B12 deficiency anaemia, Anaemia due to enzyme disorders, Thalassaemia, Other anaemias.	D 50
31.	DIABETES MELLITUS - Insulin dependent diabetes mellitus, Non-insulin dependent diabetes mellitus, Other types of diabetes.	E 10
32.	MALNUTRIATION - Lack of weight gain in children or weight loss in children or adults.	E 40
	Mental and behaviournl disorders	
33.	MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS	F 10
	Diseases of the nervous system	
34.	MENINGITIS - Fever of short duration with rigidity of neck, convulsions and headache.	G 00
35.	EPILEPSY	G 40
	Diseases of the circulatory system	
36.	ACUTE RHEUMATIC FEVER AND CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASES - Arthritis, Rheumatic, Acute or sub acute.	I 00
37.	HYPERTENSIVE DISEASES - High blood pressure.	I 10
38.	ISCHAEMIC HEART DISEASE - Angina pain.	I 20
39.	CARDIAC ARREST - Sudden death with acute pain in the chest or arm followed by breathlessness.	I 46
40.	HEART FAILURE - Death due to breathlessness or palpitation.	I 50
	Diseases of the respiratory sytstem	
41.	INFLUENZA - High fever of short duration, Severe pain in body and back, The temperature may rise very high resulting in death.	J 10
42.	PNEUMONIA - Cough of short duration with high fever, pain in the chest and rapid breathing. If child, there may be convulsions and vomiting. There is respiratory failure causing death.	J 12
43.	ACUTE BRONCHITIS - Cough of long duration, Shortness of breath. Bouts of cough resulting in frothy mucous expectoration, sometimes with fever.	J 20
44.	ASTHMA - All symptoms Acute Bronchitis with seasonal suffering and of chronic nature with a history of several years. Difficulty in breathing and breathlessness due to constant coughing.	J 45
	Diseases of the digestive system	
45.	GASTRIC AND DUODENAL ULCER - History of chronic pain in upper abdomen, periodic in nature on empty stomach or after of food, relieved by alkalies, milk food or medicines.	K 25

LIST OF CAUSES OF DEATH (CONTD.)

As per the International Classification of Disease-Tenth Revision (ICD-10)

Sl. No.	CAUSES OF DEATH	ICD-10 CODE
46.	DISEASES OF LIVER.	K 70
	Diseases of the genitourinary system	
47.	RENAL FAILURE - Kidney failure.	N 17
48.	OTHER DISORDERS OF KIDNEY AND URETER	N 25
49.	DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS - Prostate.	N 40
	Pregnancy, childbirth and puerperium	
50.	PREGNANCY WITH ABORTIVE OUTCOME - Abortions, miscarriage.	O 00
51.	OEDEMA, PROTEINURIA AND HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY, CHILDBIRTH AND PUERPERIUM - Accumulation of fluids in the body during early stages of pregnancy; swelling of the feet, breathlessness and convulsions.	O 10
52.	HAEMORRHAGE (Bleeding of pregnancy).	O 20
53.	OBSTRUCTED LABOUR DUE TO MALPOSITION AND MALPRESENTATION OF FETUS - Disproportion between the size of the baby's head and the space in the bony birth canal or an abnormal position of the fetus.	O 64
54.	COMPLICATIONS PREDOMINANTLY RELATED TO THE PUERPERIUM - Infection of the genital tract and other puerperal infections.	O 85
55.	TUBERCULOSIS COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM.	O 98.0
56.	VIRAL HEPATITIS COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM.	O 98.3
57.	MALARIA COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM.	O 98.6
58.	OTHER MATERNAL DISEASES CLASSIFIABLE ELSEWHERE BUT COMPLICATING PREGNACNCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM.	O 99.0
59.	ANAEMIA COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM.	O 99
	Certain conditions originating in the perinatal period	
60.	BIRTH TRAUMA - Haemorrhage due to birth injury.	P 10
61.	RESPIRATORY DISTRESS OF NEW BORN - The infection of respiratory tract with fever. The infant may have rapld breathing, convulsions, vomiting and feeding difficulties and may die without any external sign of infection.	P 22
62.	DIGESTIVE SYSTEM DISORDERS OF FOETUS AND NEW BORN	P 75
	Congenital malformation, deformations and chromosomal abnormalities.	
63.	CONGENITAL MALFORMATION - The child has an abnormal head, too big or too small. Sometimes, the intestines are outside. Sometimes, the urinary system has some malformation, sometimes, the anus is not perforated to pass motion. In major abnormalities life is not compatible. The child may die of starvation and malnutrition at a later stage though not immediately.	Q 00
	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings not elsewhere classified.	

LIST OF CAUSES OF DEATH (CONTD.)

As per the International Classification of Disease-Tenth Revision (ICD-10)

Sl. No.	CAUSES OF DEATH	ICD-10 CODE
64.	Abdominal and Pelvic Pain - Severe and acute pain in the abdomen which is due to varied reasons and may be associated with high temperature and vomiting but no motions. After sevr pain, there is sudden calmness, the patient goes into coma and dies.	R 10
65.	Senility - Old age deaths (60 years and over) where none of the specific causes of death are reported.	R 54
	Injuries, poisoning and other consequences of external causes	
66.	Injuries to various parts of Body - Head, neck, thorax, abdomen, lower neck, lumbar spine and pelvis, shoulder and upper arm, elbow and forearm, wrist and hand, hip and thigh, knee and lower leg, ankle and foot.	S 00
67.	Burns and Corrosions.	T 20
	External Causes of mortality	
68.	Transport Accidents.	V 01
69.	Falls.	W 00
70.	Accidental Drowning and Submersion.	W 65
71.	Contact with Venomous Snakes and Lizards.	X 20
72.	Contact with Scorpions.	X 22
73.	Exposure to Forces of Nature - Excessive natural heat/cold, lighting, earthquake, volcanic eruption, landslide, storm, flood.	X 30
74.	Intentional Self Harm - Suicide.	X 60
75.	Assault (Homicide).	X 85
76.	Others, Not Elsewhere Specified.	99
77.	Prematurity (New Born Bany).	P 07
78.	Paralysis or Cerebral Apoplexy.	G 80
79.	Kalazar.	B 55.0

झारखण्ड सरकार

योजना एवं विकास विभाग

राँची

दिनांक : 07/06/06

अधिसूचना

झारखण्ड सरकार

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

परिशिष्ट 24

बिहार सरकार

योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

.....

अधिसूचना

9 जनवरी, 1976

ज्ञाप सं. 585

परिशिष्ट 4 (घ)

बिहार सरकार

योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

ज्ञापांक 3810

ज्ञापांक 3810

परिशिष्ट 4 (ग)

बिहार सरकार

योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

ज्ञाप संख्या 1456

परिशिष्ट 4 (ख)

बिहार सरकार

योजना विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

ज्ञापांक 1643

परिशिष्ट 4 (क)

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

ज्ञाप संख्या 1929

परिशिष्ट (37)
निबन्धक का कर्त्तव्य एवं शक्ति

No. 10447

GOVERNMENT OF BIHAR

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

From

Shri K.P. Sinha
Deputy Secretary to Government,

To

All Commissioners of Divisions.

Dated Patna, the 18th November 1962

Subject - Collection of vital statistics.

Sir,

In continuation of this Departments letter No. 9986, dated the 9th November 1962, I am directed to say as follows :-

(1) For default or partial registration of births and deaths Government may have to take in consideration stoppage of grants in aid.

(2) Sections 344 - 347 of the Bihar and Orissa Municipal Act, 1922 may be strictly adhered to by the Municipalities.

(3) The "Dhai, jamadar, attendant and the wood contractor" at the crematorium may be made responsible for the reporting of births and deaths.

(4) The Local Bodies in your jurisdiction may be informed accordingly.

K.P. Sinha
Deputy Secretary to Government.

.....

Memo No. 10447 - L.S.-G.

Dated Patna, the 19th November 1962.

Copy forwarded to the Director of Statistics for information with reference to his letter No. 4951, dated the 29th August 1962.

K.P. Sinha
Deputy Secretary to Government.

परिशिष्ट 60 (घ)

संचिका सं. जी. सा. का. 2/86 -- 21

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

ज्ञापांक 21

ज्ञापांक 21

ज्ञापांक 21

परिशिष्ट 42

पत्रांक जी. सां. स. 5-2 -- 1433

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

परिशिष्ट 28 (क)

पत्रंक जी. सं. का. 2/75 -- 1990

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

परिशिष्ट 25 (क)

पत्रांक- अ. सा. का. 2/86 - 348

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

ज्ञापांक 348

परिशिष्ट 8

ज्ञापांक 43-38-268-75-6254-डी.
आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना

परिशिष्ट 7

पत्रांक जी. वि. 4/75- 1116

बिहार सरकार

योजना विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

झारखण्ड सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

(1) उपायुक्त (जिला रजिस्ट्रार) :

(2) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (अपर जिला रजिस्ट्रार) :

(3) असैनिक शल्य चिकित्सक (अपर जिला रजिस्ट्रार) :

(4) अनुमण्डलाधिकारी :

(5) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (अपर जिला रजिस्ट्रार) :-

(6) जिला में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (जीवनांक)/अनुमण्डलीय सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

(7) प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक -

(8) नगर निगम/नगर पालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति/छावनी पर्षद में पदस्थापित सांख्यिकी कार्यकर्त्ता:-

झारखण्ड सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

938